पंचम माला, खंड 58, अंक 8, गुरुवार, 18 मार्च, 1976/28 फाल्गुन, 1897 (शक)

Fifth Series, Vol. LVIII, No. 8, Thursday, March 18, 1976/Phalguna 28, 1897 (Saka)

लोक-सभा वाद-विवाद

का

संक्षिप्त अनूदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION

OF

LOK SABHA DEBATES

[सोलहवां सत्र
Sixteenth Session]

5th Lok Sabha

सत्यमेव जयते

[खंड 58 में अंक 1 से 10 तक हैं
Vol. LVIII contains Nos. 1 to 10]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : दो रुपये

Price : Two Rupees

[यह लोक सभा वाद-विवाद का संक्षिप्त अनूदित संस्करण है और इसमें अंग्रेजी/हिन्दी में दिय गये भाषणों आदि का हिन्दी/अंग्रेजी में अनुवाद है ।]

[This is translated version in a summary form of Lok Sabha Debates and contains Hindi/English translation of speeches etc. in English/Hindi].

969 L. S.—1.

विषय-सूची/CONTENTS

अंक 8, गुरुवार, 18 मार्च, 1976/28 फाल्गुन, 1897 (शक)

No. 8, Thursday, March 18, 1976/Phalguna 28, 1897 (Saka)

विषय	SUBJECT	PAGES
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	Oral Answers to Questions—	
*तारांकित प्रश्न संख्या 141, 143 से 145, 147, 150, 152, 154 और 155	Starred Questions Nos. 141, 143 to 145, 147, 150, 152, 154 and 155 . . .	1—13
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	Written Answers to Questions—	
तारांकित प्रश्न संख्या 142, 146, 148, 149, 151, 153 और 156 से 160	Starred Questions Nos. 142, 146, 148, 149, 151, 153 and 156 to 160 . . .	13—20
अतारांकित प्रश्न संख्या 767 से 800, 802, 804 से 841, 843 से 860 और 862 से 879	Unstarred Questions Nos. 767 to 800, 802, 804 to 841, 843 to 860 and 862 to 879 .	20—77
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers laid on the Table	77-79
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति—	Committee on the Welfare of Scheduled Castes and Scheduled Tribes— . . .	
34वें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों के उत्तर दर्शाने वाला विवरण	Statement showing replies to recommendations contained in Thirty Fourth report .	79
राज्य सभा से संदेश	Messages from Rajya Sabha . . .	79-80
सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति—78 वां प्रतिवेदन	Committee on Public Undertakings—Seventy-eigth report	
रेल बजट—1976-77—सामान्य चर्चा	Railway Budget, 1976-77—General Discussion	
श्री कमलापति त्रिपाठी	Shri Kamlapati Tripathi . . .	80—82

किसी नाम पर अंकित यह + इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

The Sign + marked above the name of a member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by him.

विषय	SUBJECT	PAGES
मूंगफली की गिरी, छिलके सहित मूंगफली और काफी के निर्यात शुल्क के बारे में सांविधिक संकल्प-- स्वीकृत	Statutory Resolution re. Export Duty on Groundnut Kernel, Groundnut in Shell and Coffee—Adopted	82—84
श्री प्रणव कुमार मुखर्जी	Shri Pranab Kumar Mukherjee	82—84
तमिल नाडु राज्य विधान मण्डल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक	Tamil Nadu State Legislature (Delegation of Powers) Bill .	84—88
विचार करने का प्रस्ताव, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में--	Motion to consider, as passed by Rajya Sabha—	
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F.H. Mohsin	84
श्री सोमनाथ चटर्जी	Shri Somnath Chatterjee . . .	84-85
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम्	Shri S.A. Muruganantham	85
श्री बी० वी० नायक	Shri B.V. Naik	85
श्री जे० माता गौडर	Shri J. Matha Gowder .	85
श्री ओ० वी० अलगेसन	Shri O.V. Alagesan	85-86
खण्ड 2, 3 और 1	Clauses 2, 3 and 1	87-88
पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass .	87
श्री एफ० एच० मोहसिन	Shri F. H. Mohsin	86-87
बजट (सामान्य) 1976-77— सामान्य चर्चा	General Budget, 1976-77—General Discussion	88—107
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	88—91
डा० वी० के० आर० वी० राव	Dr. V. K. R. Varadaraja Rao .	91—94
श्री ए० के० गोपालन	Shri A. K. Gopalan	94—99
श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे	Shri N.K.P. Salave	99—101
श्री इराज्मु द सेकैरा	Shri Erasmo de Sequeira . .	101-102
श्री चिंतामणि पाणिग्रही	Shri Chintamani Panigrahi . .	102-103
श्री प्रियरंजन दास मुंशी	Shri Priya Ranjan Das Munshi . .	103-104
श्री पी० जी० मावलंकर	Shri P.G. Mavalankar . . .	104-105
श्री के० सूर्यनारायण	Shri K. Suryanarayana	106-107
श्री के० लकप्पा	Shri K. Lakkappa	107

लोक सभा

LOK SABHA

गुरुवार, 18 मार्च, 1976/28 फाल्गुन, 1897 (शक)

Thursday, March 18, 1976/Phalguna 28, 1897 (Saka)

लोक सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

The Lok Sabha met at Eleven of the Clock.

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए

MR. SPEAKER *in the Chair*.]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

बहुमूल्य धातुओं की खानों को अपने अधिकार में लेना

*141. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सभी कायनाइट, क्रोमियम, निकल तथा ऐसी ही अन्य बहुमूल्य धातुओं की खानों को अपने अधिकार में लेने का है; और

(ख) क्या इन धातुओं के कच्चे माल का निर्यात भी पूरी तरह निषिद्ध करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, नहीं। अभी तक निकिल की कोई खान नहीं है। कायनाइट और क्रोमाइट की अधिकांश खानें तथा स्वर्ण खनन पहले से ही सरकारी क्षेत्र में है।

(ख) इन धातुओं की निर्यात नीति की नियमित समीक्षा की जाती है। क्रोम अयस्क और उसके चूरे का निर्यात पहले से ही निर्यात नियंत्रण आदेशों के अधीन है।

Sardar Swaran Singh Sokhi : I am very much surprised by the reply of the hon. Minister. He says that there is no Nickel mine in India I want to know whether the survey of India was asked to make a survey for nickel mines and whether they have informed that nickel is available ? It is always found near about chromite mines.

I want to know the number of Kainite and Chromite mines in private sector ?

The Minister of Steel and Mines (Shri Chandrajit Yadav) : Survey of India carried out surveys not only for nickel mines but for all other mines. During the recent years, more stress has been laid on the survey of such minerals which we import. There are some indications

regarding existence of nickel mines but at this stage nothing can be said finally. All the possibilities for this mineral are being explored.

As has been pointed out in the main answer, the production of chromite and kainite is very little in our country. Both of these minerals are very important for steel industry and therefore we are taking a policy decision about the quantity to be imported and regarding our long term requirements. All these are under active consideration and it will not be in public interest to say any thing more about that at this stage. But government is vigilant and are regulating it according to our requirements. Decisions regarding import etc. are also to be taken soon.

Sardar Swaran Singh Sokhi : There are private Kainite mines all over the district of Singhbhum in Bihar. I want to know the quantity of kainite stolen and exported ? Have you got a record of the kainite stolen by the middleman ?

Shri Chandrajit Yadav : The mines in Bihar are being operated by Public sector. Government do not consider it necessary to nationalise small mines of private sector. But an eye is kept on production, better use and scientific mining. Government do not keep a record of theft but every care is taken to stop the thefts.

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी को चासनाला खान से कोयले की सप्लाई

*143. **श्री राम सहाय पाँडे** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल में चासनाला खान दुर्घटना के परिणामस्वरूप इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी में कोयले की सप्लाई में कमी हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसे दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी हां, मामूली कमी हुई है परन्तु इस्पात के उत्पादन पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया गया है।

(ख) अल्पकालिक उपाय के रूप में भारत कोकिंग कोल लि० से अतिरिक्त कोयला खरीदा जा रहा है। कम्पनी की चासनाला और रामनगर की कोयला खानों से कोयले का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी कदम उठाये जा रहे हैं।

श्री राम सहाय पाँडे : चासनाला की उत्पादन क्षमता क्या है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : इस दुखद घटना के पहले चासनाला में प्रति वर्ष 10,000 मी० टन कोयला निकाला जाता था, जो कि अब निकलना बन्द हो गया है और उतना ही कोयला इंडियन आयरन एण्ड स्टील कं० भारत कोकिंग कोल लि० से खरीदती है।

श्री राम सहाय पाँडे : इस्पात का उत्पादन करने वाले कारखानों को कितने कोयले की आवश्यकता होती है ?

श्री चन्द्रजीत यादव : सब इस्पात कारखानों को कुल मिला कर 30,000 मी० टन कोयले की प्रतिदिन आवश्यकता होती है।

परिवार नियोजन के लिये विधायन

*144. **श्री शशि भूषण** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापक जनमत यह है कि परिवार के आकार को सीमित करने सम्बन्धी कानूनों में संशोधन करने की जरूरत है;

(ख) क्या सरकार का विचार अधिक जनसंख्या के खतरे का सामना करने के लिए परिवार के आकार पर नियंत्रण लगाने हेतु कानून बनाने का है; और

(ग) क्या उन सभी कर्मचारियों को एक अग्रिम वेतन वृद्धि मंजूर करने का कोई प्रस्ताव है जिन्होंने पहले ही नसबंदी करा ली है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) हाल ही तक जनमत इस पक्ष में रहा है कि लोगों के बीच परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। इस में कुछ स्थानों से प्राप्त वे सुझाव भी शामिल हैं जिनमें परिवार के आकार को सीमित करने के संबंध में कानून बनाने की बात कही गई है।

(ख) और (ग) प्रोत्साहनों और हतोत्साहनों की एक योजना पर उच्चतम स्तर पर विचार किया जा रहा है।

Shri Shashi Bhushan : The hon. Minister said that public opinion has been in favour of Family Planning. But how has he come to know about the public opinion ? By what time decision regarding package incentives and disincentives will be taken ?

What instructions have been issued to the state governments about this ? What is the number of those states who have enacted legislation in this regard ?

Dr. Karan Singh : As hon. Member has said, seeing public opinion is in favour of some compulsion in family planning, Maharashtra, Punjab and Haryana have informed us that they intend to bring compulsory sterilisation Bill. Apart from it, we are daily receiving letters, resolutions are being passed and it seems that gradually the country is getting ready for some effective steps in this regard. As regards compulsion, we will have to give an active thought to that. Government of India are actively considering this. I think that by the end of this month or in the beginning of next month I will make some announcement in this connection.

Shri Shashi Bhushan : People have accepted all the programmes of the government brought forth after the emergency. This shows that people obey orders of the government. Do the central government also intend to bring legislation like other state governments ?

Do government intend to bring legislation that will apply to everybody irrespective of religion and ensure that those who are trying to oppose it are rendered ineffective ?

Do government have any information as to which political parties have adopted this programme ? If so, whether any disciplinary action will be taken against those who produce children even after the emergency and the family planning incentives ?

When will that legislation will be introduced and whether he has consulted the Law Ministry ?

Dr. Karan Singh : Indian National Congress adopted a resolution regarding Family Planning for the first time in its Chandigarh session. This time while addressing the joint session of Parliament, President also made a mention about Family Planning . From all this our line of thinking becomes very clear.

No final decision has been taken regarding legislation. We are also consulting the Law Ministry in this connection. But till the legislation is brought state governments can give incentives and disincentives. This is our policy, state governments are taking quick steps in this regard. It is true that people are ready to obey orders, but before passing any orders, we will have to consider all the aspects.

Shri R. P. Yadav : In the beginning. family planning had the slogan of "Do ya teen bas." after that it had "Ham do aur hamare do". They now want to give the new slogan of "Ek, aur ab nahin".

Do the government intend to give some incentive for providencing less children just as in some under-populated European Countries incentive is given for producing more children ?

Dr. Karan Singh : Sir, so far we have not reached the stage of "Ek, aur ab nahin". We will be happy if people restrain themselves upto three only. Only after that we can think of something else. But I think at present more than three is not good. So far as incentives and disincentives are concerned, we are preparing a package of both.

Shri Ramavatar Shastri : Whether this principle of family planning also applies to M. Ps. and Ministers. If so, whether government have the information regarding the number of childtren before and after their becoming Ministers and Members of Parliament ? If so, the details thereof ? This I want to know so that the public may know that the law makers also believe in family planning.

Dr. Karan Singh : I have not got the information with me at present. But it can be collected, which will be very interesting.

श्रीमती माया राय : मंत्री महोदय यह बताएं क्या हमारा विचार सूचना और प्रसारण तथा विद्युत मंत्रालय के सहयोग से इस सम्बन्ध में काम करने का है ? यदि ये कार्यक्रम टेलीविजन आदि पर दिखाएं जाएं तो जनसंख्या पर नियंत्रण करने के लिए इतने कठोर उपाय न करने पड़ें।

डा० कर्ण सिंह : इस सम्बन्ध में हम सूचना और प्रसारण मंत्रालय के निकट सहयोग से कार्य कर रहे हैं। यह सत्य है कि विद्युतीकरण के साथ जन्मदर कम हो जाती है। इस सम्बन्ध में स्वयं सदस्य अपना निष्कर्ष निकालें।

श्री के० लकप्पा : ग्रामीण क्षेत्र में परिवार का आकार छोटा करने के लिए आप क्या प्रोत्साहन दे रहे हैं सभी प्रकार के प्रोत्साहन या सुविधाएं अभी तक केवल सम्पन्न लोगों को ही मिली हैं, गांव वालों को नहीं जनसाधारण को इसका ज्ञान कराने पर पैसा खर्च नहीं किया गया। इस योजना की ओर आम जनता को आकर्षित करने के लिए प्रोत्साहन नहीं दिया गया। भारत सरकार ने इस दिशा में और क्या कदम उठाए हैं ?

डा० कर्ण सिंह : नसबन्दी के लिए कुछ नकद भुगतान किया जाता है। पुरुषों और महिलाओं को नसबन्दी कराने पर क्रमश: 35 या 40 और 70 रुपए दिए जाते हैं। मैं इस बात से सहमत हूं कि यह भुगतान पर्याप्त नहीं है। पर मैं सदस्यों को बता दूं कि गत वर्ष 11 लाख लोगों ने नसबन्दी कराई जबकि इस वर्ष फरवरी के अन्त तक 20 लाख लोग नसबन्दी करा चुके थे। इस प्रकार इस वर्ष गत वर्ष की अपेक्षा दुगुने लोगों ने नसबन्दी कराई। परन्तु तथ्य यह है कि अभी और भी नसबन्दी किए जाने की आवश्यकता है। और इसी लिए हम प्रोत्साहन और हतोत्साहन की एक योजना पर विचार कर रहे हैं। जिसकी घोषणा शीघ्र की जाएगी।

श्री वसन्त साठे : मैं यह जानना चाहता हूं कि कोई दण्डात्मक विधान बनाने से पहले क्या सरकार विनोबा जी के सुझाव के अनुसार विवाह आयु को बढ़ा कर 25 वर्ष करेगी ? किसी को गिरफ्तार करने या जेल में उसकी अनिवार्य नसबन्दी करने के बजाय ऐसा करने पर इस दिशा में अधिक मदद मिलेगी। दूसरे, क्या आप सभी प्रकार की सुविधाओं, सहायता जैसे ऋण देना, नौकरी देना, कृषि सहायता देना आदि के लिए नसबन्दी के प्रमाण पत्र को अनिवार्य करेंगे ? यदि यह कार्य योजना बद्ध तरीके से किया जाता है तो इससे अच्छे परिणाम निकल सकते हैं। मुझे भय है कि दण्ड की व्यवस्था करने से परिणाम अनुकूल नहीं निकलेंगे। क्या सरकार इस पहलू पर भी विचार करेगी ?

डा० कर्ण सिंह : माननीय सदस्य ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है कि नसबन्दी अनिवार्य करने के अलावा और भी कई प्रकार के पग उठाए जा सकते हैं। उन्होंने विवाह आयु 25 वर्ष तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। यदि लड़कियों और लड़कों की विवाह आयु क्रमशः 18 और 21 भी कर दी जाए, तो भी इससे बड़ा असर पड़ेगा। यह बहुत आवश्यक है। मैं माननीय सदस्य और सदन को बता देना चाहता हूं कि इस प्रश्न के सभी पहलुओं पर विचार किए बिना कोई निर्णय नहीं किया जाएगा।

नाविकों द्वारा स्थायी रोजगार योजना की मांग

*145. **श्रीमती रोजा देशपांडे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नाविकों ने एक स्थायी रोजगार योजना और नियमित पेंशन व्यवस्था करने की मांग की है, और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां।

(ख) नाविकों के स्थायीकरण के प्रश्न पर राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड द्वारा जांच की जा रही है। जहां तक पेन्शन योजना का सम्बन्ध है, मामले की नाविक कल्याण निधि संस्था द्वारा जांच की जा रही है।

श्रीमती रोजा देशपांडे : राज्य सभा में दिए गए अपने एक उत्तर में मंत्री जी ने उल्लेख किया है कि एक प्रशासनिक समिति की नियुक्ति की गई थी किन्तु उसके कदाचारपूर्ण कार्यकरण के कारण उसे 1-9-75 को समाप्त कर दिया गया। मैं जानना चाहती हूं कि इस समिति की नियुक्ति पुनः कब तक की जायेगी और यह अपना कार्यकरण कब तक आरम्भ कर लेगी। दूसरे एक समाचार पत्र में समाचार छपा है कि रोर्टडम में एक भारतीय पोत मालिक ने हमारे कुछ भारतीय नाविकों को नौकरी में लिया था। उसने उन्हें उनकी मांग के अनुसार 48 पौंड न्यूनतम मजूरी नहीं दी। उन्हें नौकरी से निकाल दिया और पोतें के मालिक ने 100 पौंड वेतन देकर अन्य लोगों को नौकरी दे दी। मैं जानना चाहती हूं कि मंत्री महोदय अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत ऐसे कर्मकारों की सुरक्षा के बारे में क्या सोच रहे हैं।

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : जहां तक प्रश्न के पहले भाग का सम्बन्ध है, स्थायीकरण योजना इस समय राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड की एक उप समिति के विचाराधीन है। जहां तक प्रश्न के दूसरे भाग का सम्बन्ध है मैं चाहता हूं कि माननीय सदस्या मुझे इस सम्बन्ध में सभी तथ्यों से अवगत करायें। जहां तक भारतीय नाविक की न्यूनतम मजूरी का सम्बन्ध है, राष्ट्रीय समुद्री बोर्ड में द्विपक्षीय ढंग से बातचीत करके इसे निर्धारित किया जाता है। पिछली बार बातचीत करके इस समय उनकी न्यूनतम मजदूरी 36 पौंड निर्धारित की गई है। अतः किसी भी

भारतीय नाविक की अधिक न्यूनतम मजूरी की मांग, चाहे वह भारतीय पोत में काम कर रहा हो अथवा किसी विदेशी पोत में न्यायोचित नहीं है ।

श्रीमती रोजा देशपांडे : मैं मंत्री जी को अवश्य ही प्रेस कटिंग उपलब्ध करूंगी । किन्तु मेरा ख्याल है कि यह राशि 36 पौंड नहीं है अपितु 48 पौंड है ।

श्री एच० एम० त्रिवेदी : 48 पौंड सही राशि है । इसे अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा निर्धारित किया गया है ।

डा० रानेन सेन : मंत्री जी ने अभी बताया है कि समुद्री बोर्ड में द्विपक्षीय बातचीत की जाती है और न्यूनतम मजूरी इस ढंग से निर्धारित की जाती है जो कि नाविकों तथा पोत मालिकों को मान्य हो । यदि अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने नाविकों की मजूरी के प्रश्न पर निर्णय दिया है तो फिर भारत सरकार पोत मालिकों पर उन निर्णयों का पालन करने के लिए दबाव क्यों नहीं डालती ?

श्री एच० एम० त्रिवेदी : अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने केवल अन्तर्राष्ट्रीय न्यूनतम मजूरी की सिफारिश की है । यह तो सदस्य राष्ट्रों की मर्जी है कि वे इसे स्वीकार करें अथवा नहीं ।

डाक तथा तार विभाग की लेखन सामग्री पर विज्ञापन

*147. **श्री नारायण चन्द पराशर** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या डाक लेखन-सामग्री पर विज्ञापनों से होने वाली आय को ग्रामीण क्षेत्रों में नए डाकघर खोलकर तथा पिछड़े क्षेत्रों में घाटे की सीमा बढ़ाकर अधिक विद्यमान डाकघरों को बड़ा डाकघर बनाकर ग्रामीण क्षेत्रों को और अधिक डाक सुविधायें प्रदान करने पर खर्च किया जायेगा ?

संचार मंत्रालय में उप मंत्री (श्री जगन्नाथ पहाड़िया) : डाक लेखन सामग्री पर छापे गये विज्ञापनों से प्राप्त आय विभाग की सम्पूर्ण आय का एक अंश है ।

श्री नारायण चन्द पराशर : मंत्री जी के उत्तर को ध्यान में रखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि कुल राजस्व में होने वाली वृद्धि का उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में डाक और तार सुविधाओं में सुधार करने के लिए किया जायेगा ?

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : मैंने पहले ही उल्लेख किया है कि यह सम्पूर्ण आय का एक भाग है ।

श्री नारायण चन्द पराशर : मैं जानना चाहता हूं कि इन विज्ञापनों को आरम्भ करने से पूर्व विद्यमान व्यवस्थाओं के अतिरिक्त क्या ग्रामीण क्षेत्रों में डाक सुविधाओं की व्यवस्था के लिए धन के प्रावधान के मामले में विशेष उदारता दिखाई जायेगी ।

श्री जगन्नाथ पहाड़िया : इस राजस्व तथा सामान्य राजस्व से हम ग्रामीण क्षेत्रों, पिछड़े क्षेत्रों तथा सीमावर्ती क्षेत्रों को विशेष राहत देते हैं ।

Shri D. N. Tiwari : I want to know whether the loss in regard to postcards and Inland letters is shown without including the revenue obtained from the Advertisements.

Shri Jagannath Pahadia : The hon. Minister has given detailed information regarding the loss. We have recently started advertisements. After maintaining the accounts of revenue received thereby, the same will be intimated to the hon. Member.

Shri Ramavatar Shastri : I want to know whether the Government have formulated any policy to give advertisements on Post Cards, Inland letters, Envelops and Money Order forms or not.

Shri Jagannath Pahadia : Yes Sir, we have formulated a scheme in this regard.

दिल्ली में मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि

\+
*150. **श्री सोमनाथ चटर्जी :**
श्री एम० गोपाल रेड्डी :

क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि गत तीन वर्षों में दिल्ली मे मलेरिया के रोगियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है; और

(ख) यदि हां, तो मलेरिया उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) देश के अधिकांश भागों की तरह दिल्ली में भी पिछले वर्षों की अपेक्षा इस बार मलेरिया के रोगियों की संख्या में वृद्धि हुई है ।

(ख) दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में मलेरिया के प्रकोप को रोकने के लिए और अधिक तेज तथा सामयिक उपाय बरतने का विचार है ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : श्रीमान देखिये मंत्री महोदय ने किस तरह अनमने ढंग से उत्तर दिया है । केवल इतना कह देने से, कि मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि हुई है, कोई अर्थ नहीं निकलता । देश के अन्य भागों की तुलना में दिल्ली की क्या स्थिति है ?

डा० कर्ण सिंह : दिल्ली के बारे में आंकड़े इस प्रकार हैं । 1974 में ऐसे 12,163 मामले हुए हैं । वर्ष 1975 में इनकी संख्या बढ़कर 37,879 हो गई जो वर्ष 1974 की तुलना में तिगुनी है । सामान्य तौर पर समूचे देश में वर्ष 1974 में ऐसे 31 लाख मामले हुए हैं जो कि 1975 में बढ़कर 36 या 37 लाख हो गए ।

श्री सोमनाथ चटर्जी : मंत्रालय की राय में मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि होने के क्या कारण हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में डी० डी० टी० छिड़कने जैसे क्या-क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ? आधुनिक कालोनियों में कई खुली नालियां हैं । जिनसे मच्छरों की संख्या बढ़ती है । इस बारे में क्या किया जा रहा है ?

डा० कर्ण सिंह : दिल्ली में ही नहीं अपितु समूचे देश में मलेरिया के मामलों में वृद्धि होने के कई कारण हैं । पहला कारण यह है कि कीटनाशक दवाइयों के मूल्य में गत

दो वर्षों के दौरान बहुत तेजी से वृद्धि हुई है। चूंकि हमारे पास संसाधन इस वृद्धि के समान नहीं थे इसलिए उनकी उपलब्धता घट गई। दूसरी समस्या यह है कि मच्छरों में ऐसी शक्ति विकसित हो गई है जिससे उन पर विभिन्न प्रकार की कीटनाशक दवाइयों का प्रभाव नहीं पड़ता। तीसरे मैं सभा के समक्ष स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि गत कुछ वर्षों से हम कार्यान्वयन के बारे में कुछ हद तक ढीले हो गए थे। इन तीनों समस्याओं को ध्यान में रखकर हम इस सम्बन्ध में तंत्र के पुनर्गठन तथा उसे मजबूत बनाने के लिए एक नई नीति अपना रहे हैं ताकि देशी तथा आवश्यकता पड़ने पर आयातित कीटनाशक दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके और मलेरिया निवारक औषधियां पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध कर सकें। वास्तव में, मैं इस समस्या से बहुत चिंतित हूं और मैंने इसका उल्लेख कई बार किया है। हम सभी संभव कार्यवाही कर रहे हैं।

श्रीमती मुकुल बनर्जी : क्या इस बजट से मूल्य स्तर पर और प्रभाव पड़ेगा और परिणामस्वरूप मलेरिया की घटनाओं में वृद्धि होगी ?

डा० कर्ण सिंह : मुझे पता नहीं कि ऐसा होगा या नहीं किन्तु यदि ऐसा हुआ तो फिर हमें इसके लिए अधिक बजट प्रावधान की व्यवस्था करनी होगी क्योंकि इसके लिए हमने जो प्रावधान किया है, वह बहुत ही अपर्याप्त है।

Shri Nar Singh Narain Pandey: May I know whether the hon. Minister would take steps to fight malaria which takes place every year in tarai region of Uttar Pradesh, adjoining Nepal.

Mr. Speaker: It is a matter related to Delhi.

Shri Nar Singh Narain Pandey: It is related to the whole country.

Mr. Speaker: No it is not so.

Shri Nar Singh Narain Pandey: Mr. Speaker.

अध्यक्ष महोदय। मैं किसी भी बाहरी स्थान के बारे में प्रश्न पूछने की अनुमति नहीं दे सकता।

श्री नरसिंह नारायण पांडे : किन्तु आंकड़े समूचे देश के बारे में दिए गए हैं।

Despite having several programmes to eradicate malaria the number of mosquitoes in members' flats at North Avenue and South Avenue are increasing day by day. I want to know from the Minister as to what steps have been taken to solve this problem. This is the problem totally concerned with Delhi, the Capital.

Dr. Karan Singh: Hon. Member is talking of North Avenue and South Avenue. My personal experience is this that the number of mosquitoes is sharply increasing at my own house. I live in Chankyapuri, a sophisticated locality and the mosquitoes are there too. I am also facing this nuisance and with the sympathy and cooperation of the Hon. members I am going to start a campaign to kill the mosquitoes.

Mr. Speaker: You have told about your personal experience in this regard. I have also become the victim of malaria thrice.

डा० रानेन सेन : दो वर्ष पूर्व दोनों सदनों में मच्छरों के बन्धीकरण के बारे में सरकार द्वारा स्वीकृत एक योजना पर वाद-विवाद हुआ था। यह योजना विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा आई० सी० एम० आर० की सहायता से अमरीकी वैज्ञानिकों ने नियोजित की थी। इस योजना की दोनों ही सभाओं में आलोचना की गई थी। क्या मैं जान सकता हूं कि उस योजना का क्या हुआ है ?

डा० कर्ण सिंह : निस्संदेह यह दूसरा प्रश्न है। उस योजना को निलंबित कर दिया गया था। और अब इस समूचे मामले पर एक बहुत उच्च स्तरीय समिति जांच कर रही है। प्रतिवेदन प्राप्त होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

Shri Ram Sahai Pandey : Mr. Speaker, this matter regarding mosquitoes has been raised here time and again. The hon. Minister has his own difficulties in this regard. Various kinds of pesticides have become ineffective. They are not so powerful to kill them. This increasing number of mosquitoes is causing malaria which is ultimately affecting our health. Some arrangements should be made to eradicate malaria.

Dr. Karan Singh : Mr. Speaker, we have three kinds of pesticides i.e. D.D.T., V.H.C. and Mailathin. When D.D.T. fails to kill them, then we use V.H.C. and Mailathin. We are not the only country who are facing malaria, but a number of South East Asian countries are also suffering from this disease. The World Health Organisation organised a seminar last which was attended by the representatives of all the countries. Ways and means were thought of tackle this problem. In May I will be visiting Geneva to attend the Conference of the World Health Assembly. There we will discuss it and try to take advantage of the latest knowledge.

डाक तथा तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ते तथा खराब जलवायु भत्ते की अदायगी

*152. **श्री अनादि चरण दास : क्या संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दण्डकारण्य परियोजना कर्मचारियों के समान कोरापुट के डाक तथा तार कर्मचारियों के लिये परियोजना भत्ता तथा खराब जलवायु भत्ता बंद कर दिया गया है यद्यपि दण्डकारण्य परियोजना के कर्मचारी इन भत्तों को ले रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या कोरापुट जिले के तार कर्मचारियों को वर्ष 1966 से और डाक कर्मचारियों को बाद की तारीख से खराब जलवायु भत्ता दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री श्री जगन्नाथ पहाड़िया : (क) से (घ). कोरापुट के डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता 1–10–66 से दिया जा रहा है। अलबत्ता यह भत्ता देने की मंजूरी 29 फ़रवरी, 1976 को समाप्त हो गई है। 1 मार्च, 1976 से परियोजना भत्ता देने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

इस जिले के डाक-तार कर्मचारियों को 1–11–60 से 30–9–68 तक खराब जलवायु भत्ता दिया गया था। तत्पश्चात् यह बंद कर दिया गया। लेकिन तार कर्मचारियों को गल्ती से यह भत्ता 1–10–68 से 21–2–72 की अवधि के दौरान भी दे दिया गया था। बाद में आदेश जारी करने पर 22–2–72 से खराब जलवायु भत्ता बहाल कर दिया गया और यह भत्ता 30–9–75 तक डाक और तार दोनों शाखाओं के कर्मचारियों को दिया गया। इसकी मंजूरी 30–9–75 तक थी। उक्त तारीख के बाद से यह भत्ता देने की मंजूरी का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है।

Shri Anadi Charan Das : I want to know whether you have made any arrangements to pay the same allowance to the Postal Department employees which has been paid to the employees of the Telegraph Department by mistake from 1-10-68 to 21-2-72. If you have not paid them the said allowance so far, are you ready to pay them that allowance now ?

Shri Jagannath Pahadia : I have already stated that this payment was made by mistake and in this regard we follow the Ministry of Rehabilitation. We have taken up this matter with the Ministry of Finance. If the Finance Ministry agrees to that, then it will be considered otherwise the only alternative is to get that amount back from them.

Shri Anadi Charan Das : When during this period the employees of the Dandakaranya Project have been given bad climate allowance, then what is the difficulty in giving the same to the employees of Post and Telegraph Department.

Shri Jagannath Pahadia : I have already submitted that we will follow the Ministry in this regard.

टैक्स इन्स्टालेशन की मुख्य इमारत में रखी वस्तुओं की क्षति

***154. श्री रामावतार शास्त्री : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 'टैक्स' की मुख्य इमारत (जिसमें इस समय डी० एम० टी० पटना का कार्यालय स्थित है) में भूमिगत चैम्बर में पटना की 1975 की बाढ के दौरान कई लाख रुपये के मूल्य का बिजली के पंखे, टूयूब लाइटें तथा टेलीफ़ोन उपकरण जैसा मूल्यवान सामान रखा गया था;

(ख) क्या यह सच है कि यद्यपि भूमिगत चैम्बर में बाढ का पानी तीसरे दिन ही प्रवेश कर गया था परन्तु वहां रखे गये सामान को ऊपर की मंजिल में, जहां पर्याप्त जगह थी, स्थानान्तरित करने के लिये कोई प्रयास नहीं किया गया; और

(ग) यदि हां, तो इस प्रशासकीय चूक के कारण वहां रखे माल को कुल कितनी क्षति पहुंची और इस बारे में क्या कार्यवाही किये जाने का विचार है ?

संचार मंत्रालय में उपमंत्री (श्री जगन्नाथ पहाडिया) : (क) से (ग) पटना के ट्रंक आटोमेटिक एक्सचेंज (टी-ए-एक्स) की इमारत के तहखाने में लगभग 1.2 लाख रुपये का बिजली का साज-सामान रखा हुआ था। उस इलाके में बाढ आने के एक घंटे के भीतर ही अचानक तहखाने में बाढ का पानी आ गया। साज-सामान वहां से तुरन्त हटाया गया, उसे सुखाया गया और ठीक कर दिया गया इस काम पर कुल 4,200/- रु० खर्च हुए।

Shri Ramavatar Shastri : Sir, the reply is totally incorrect. I belong to that place and it would be better if the whole matter is enquired into. However, I want to know from the Hon. Minister the dates on which flood water entered Patna city and the P. & T. Office ? The employees of his department did not care for the costly equipment and as a result we have suffered considerable loss.

Shri Jagannath Pahadia : Our house is also situated in Patna city and according to our information flood water entered the Patna city on the night of 24th-25th and the very day it flooded our house as well as the P. &. T. building.

Shri Ramavatar Shastri : The Hon. Minister is giving incorrect reply again. Since I belong to that place, I have collected every bit of information. Flood water entered the Patna city on the 24th and his house was flooded on the 26th. The amount of Rs. 4000 is too much Such huge amount was spent on shifting the equipment from underground chamber to the upper storey. The Minister has given an evasive reply. He has not stated the amount of loss due to administrative lapse.

Shri Jagannath Pahadia ; Very little quantity of goods was shifted to the upper storey and most of the articles were shifted to a near by building which was a safer place. This amount was spent in drying and reconditioning the equipment. This was a big job. The Post and Telegraph employees, without caring for their lives, worked for whole night and within three days main connections became alright. Patna was again linked up with the rest of the country within a week.

Shri Ramavatar Shastri : He has not mentioned the loss.

Mr. Speaker : Have you got figures of loss.

Shri Jagannath Pahadia : No, Sir.

Shri Ramavatar Shastri : My main question was in regard to the total loss.

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma) : The question is about electrical and telephone goods. The expenditure involved was to the tune of Rs. 4,200 An amount of Rs. 3,000 was spent on baking etc. and Rs. 1,200 were spent on shifting the goods.

Shri Bibhuti Mishra : Sir, I had recovered from illness but weakness was still there when flood water entered Patna. Somebody telephoned my son to tell that the embankment had given way. I was taken to the underground chamber of the Fertilizer Corporation's guest house. But the water entered into that portion and I was taken to the 3rd floor. Thereafter I sent a telegram to the Prime Minister who asked me to come down to this place. So I want to point out that there was only one telephone line which was working. The whole North Bihar was cut from the rest of the city. But this department did not move at all. Flood waters entered into this building two days after it had flooded Patna. But the employees of his department remained inactive. They did not go anywhere to set the things right and they were hesitant to shift their equipment. The Hon. Minister should get the factual report. You should not mislead the people.

Dr. Shankar Dayal Sharma : Sir, I humbly submit that our employees worked with the spirit of dedication and patriotism. All the underground lines were submerged. There was water and water alround. Our workers waded their way through neck-deep water. The equipment was reconditioned and commissioned. The lines were linked. We tried our best to maintain the communication system by some way or the other. The workers should be congratulated for having worked with such dedication. No doubt, the loss due to floods amounts to lakhs of rupees. For three days we did not charge anything for cables or telephone calls. But this loss has to be borne by all.

Shri Bibhuti Mishra : The steps were taken after the Prime Minister's arrival.

अमरीका द्वारा डियागों गार्सिया में नौसैनिक और हवाई अड्डे बनाने की तैयारियां

*155. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या डियागो गार्सिया द्वीपसमूह में नौसैनिक और हवाई अड्डे बनाने के लिए अमरीका द्वारा जो तैयारियां की जा रही हैं उनमें कोई कमी नहीं आई है;

(ख) यदि हां, तो उसको रोकने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ग) हिन्द महासागर के किन तटवर्ती देशों ने हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने के लिये इन अड्डों के बनाये जाने का विरोध किया है; और

(घ) क्य हिन्द महासागर को शान्ति का क्षेत्र बनाये रखने और इस प्रयोजन के लिये संयुक्त राष्ट्र संघ का समर्थन प्राप्त करने के लिये तटवर्ती देशों का सम्मेलन बुलाने का विचार है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) सरकार ने इस आशय की रिपोर्ट देख ली है।

(ख) यह ऐसा मामला है जिसका हिन्द महासागर के तटवर्ती तथा भीतरी देशों और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से वास्ता है। सरकार ने हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र बनाने तथा वहां से विदेशी सैनिक अड्डे हटाने के प्रस्तावों का जोरदार समर्थन किया है।

(ग) तटवर्ती राज्यों ने भारी बहुमत से हिन्द महासागर को शांति क्षेत्र के रूप में रखने के संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्तावों के पक्ष में वोट दिया है।

(घ) हिन्द महासागर के विषय पर संयुक्त राष्ट्र तदर्थ समिति, जिसका सदस्य भारत है, हिन्द-महासागर को शांति क्षेत्र के रूप में घोषित करने के संयुक्त राष्ट्र प्रस्तावों पर अमल करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हिन्द महासागर सम्मेलन आयोजित करने के विषय पर परामर्श करने में सक्रिय रुप से लगी हुई है ? सरकार ऐसा सम्मेलन आयोजित करने के पक्ष में है जिसमें बड़े-बड़े देश, प्रमुख समुद्री उपभोक्ता देश तथा तटवर्ती और भीतरी प्रदेशों के राज्य सम्मिलित हों ।

श्री भोगेन्द्र झा : हमें मालूम ही है कि पहले अमरीका तथा ब्रिटेन दोनों ने ही इस बात से इन्कार किया था कि दियागो गार्सिया पर मनुष्य रहते हैं । लेकिन मारिशस के प्रधानमंत्री सहायक द्वारा बताया गया है वहां 200 आदमियों को भर्ती किया गया है । अब समाचार मिला है कि ईरान, पाकिस्तान और लीबिया भी हिन्द महासागर को शान्ति क्षेत्र घोषित किये जाने के पक्ष में है । लेकिन मंत्री जी ने उत्तर में यह नहीं बताया कि किस देश ने शान्ति क्षेत्र बनाये जाने के प्रस्ताव का विरोध किया है ?

दियगो गार्सिया को जासूसी के लिए प्रयोग किया जाता है । वहां से यू-2 जासूसी हवाई जहा तथा अन्य बमवर्षक जहाज उड़ाये जा सकते हैं । अमरीका ने भारत को मुख्य लक्ष्य बनाया है क्योंकि रूस की सीमा में तो वे घुस नहीं सकते । हमारी सुरक्षा को खतरा है । इस बात को दृष्टि में रखते हुए सरकार क्या उपाय कर रही है इस बारे में एक सम्मेलन बुलाकर सभी देशों का सहयोग लेने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है । अमरीका का कहना है कि यह अड्डा केवल ईंधन की सप्लाई के लिए प्रयोग किया जायेगा । लेकिन प्रकाशित समाचार में तो ऐसा नहीं लगता ।

श्री यशवंतराव चव्हाण : विशेष उपाय के रूप में हमने सम्मेलन बुलाने के प्रस्ताव का समर्थन किया है । समिति अन्य तटवर्ती देशों, महाशक्तियों तथा समुद्र का उपयोग करने वाले अन्य देशो के साथ सम्पर्क बनाये हुए है । हमने उन्हें अपने विचारों से अवगत करा दिया है । लेकिन सम्मेलन तभी सफल हो सकता है जब सभी शक्तियां इसमें भाग लें ।

वास्तव में बहुत पेचीदा स्थिति है । तटवर्ती देशों की संख्या लगभग 27 है । दक्षिण अफ्रीका ने शुरू से ही इसका विरोध किया है और आस्ट्रेलिया में पहली सरकार के समय शान्ति क्षेत्र बनाये जाने के प्रस्ताव का समर्थन किया लेकिन अब स्थिति इसके विपरीत है । बाकी सभी देश प्रस्ताव का समर्थन करते हैं ।

श्री भोगेन्द्र झा : उत्तर से स्पष्ट है कि सभी अश्वेत देश प्रस्ताव के समर्थक हैं । हम सभी जानते हैं कि साम्राज्यवादी देशों का लक्ष्य अरब और मध्यपूर्व में तेल, दक्षिण अफ्रीका सम्पदा खनिज, और दक्षिण-पूर्वी देशो की रबड़ और चाय को हड़पना है । कई बार अमरीका ने धमकी दी है और श्री फ़ोर्ड ने कहा है कि वह अरब देशों में तेल के कुएं खरीद लेंगे और भारत में तत्कालीन अमरीकी राजदूत श्री मोयनीहान ने कहा था कि इस सागर का नाम हिन्द महासागर ही क्यों है, इसे मडगास्कर समुद्र क्यों नहीं कहा जाता । मैं पूछना चाहता हूं कि जब अमरीका युद्ध को भारत के द्वार पर ला रहा है तो हम यह घोषणा क्यों नहीं करते कि अमरीकी रवैया शत्रुतापूर्ण है । यदि अमरीका अपनी जिद पर अड़ा रहता है और वह इस क्षेत्र को विनाश के मार्ग पर ले जाने को उत्सुक है तो क्या हम उसके विरुद्ध राजनीतिक कार्यवाही करने पर विचार करेंगे हम उसके साथ अपने सामान्य सम्बन्ध भी समाप्त कर सकते हैं । यदि यह नहीं किया जाता तो और क्या कदम उठाने का विचार है ।

श्री यशवंत राव चव्हाण : सदस्य महोदय को पता होना चाहिये कि यह मामला केवल भारत और अमरीका के बीच में ही नहीं है। इसमें सन्देह नहीं कि भारत एक बड़ा देश है लेकिन इस क्षेत्र में और भी बड़े देश हैं जहां दो महाद्वीपों अफ्रीका और एशिया का सम्बन्ध है, भारत अकेले ही कोई निर्णय नहीं ले सकता। उससे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पायेंगे। अत: हमें इसी ढ़ंग से कार्य करना है।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे : भौगोलिक स्थिति के कारण इस बात से इन्कार नहीं किया जा सकता कि हिन्द महासागर विशेषकर डियागो गासिया में हो रही सैनिक गतिविधियों में भारत की गहरी रुचि है। 1971 से अब तक प्रति वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ में प्रस्ताव पास किये जाते रहे हैं और महाशक्तियां विशेषकर अमरीका केवल प्रस्ताव का उल्लंघन करने में ही विश्वास रखते हैं। अमरीका ने तो उस द्वीप से मूल निवासियों को भी निकाल दिया है और वहां परमाणु अड्डा स्थापित किया है। दक्षिण पूर्व एशिया और जापान के समाचार पत्रों में भी इस आशय के समाचार छपे हैं। हम क्या कार्यवाही कर रहे हैं।

श्री यशवंतराव चव्हाण : आपने जो कहा है ठीक ही कहा है। ब्रिटेन और अमरीका ने 25 फ़रवरी, 1976 को एक अनुपूरक समझौता किया है जिस के अनुसार सीमित नौसैनिक संचार सुविधाओं के अड्डे को पूर्ण रूप से नौसैनिक अड्डा बनाया जाना है और नौसैनिक अड्डे में कुछ भी हो सकता है। यह भी सच है कि प्रस्ताव पास किये जाने और अनेक देशों द्वारा विरोध प्रकट किये जाने के बावजूद भी ब्रिटेन और अमरीका इस दिशा में आगे बढने का इरादा रखते हैं। हम भी अपने प्रयत्न जारी रखे हुए हैं।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : मंत्री महोदय के कथन से पता चलता है डियागो गार्सिया का सैनिक अड्डा न केवल हिन्द महासागर के लिए बल्कि विश्व शान्ति के लिए भी खतरा है। मैं चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में गुट निरपेक्ष देशों का समर्थन प्राप्त करने के लिए क्या उपाय किए गये हैं? भारत सरकार तथा अन्य तटवर्ती देशों ने दूसरी महाशक्तियों का जो हिन्द महासागर में रुचि न लेते हों पर विश्वशान्ति के इच्छुक हों, समर्थन पाने के लिए क्या कुछ किया गया है?

श्री यशवंतराव चव्हाण : हम लोग नि:सन्देह यही कर रहे हैं। गुट निरपेक्ष आन्दोलन के समर्थन के प्रयत्न जारी हैं। संयुक्त राष्ट्रसंघ में भी हम आवाज उठा रहे हैं और अन्य देशों के साथ भी वार्ता चल रही है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

डाकघरों में निष्क्रिय खातों में जमा राशि

*142. **श्री सुरेन्द्र महन्ती :** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, 1975 के अन्त तक डाकघरों में निष्क्रिय खातों में कुल कितनी राशि जमा थी; और

(ख) सरकार का इस जमा राशि का निपटान किस प्रकार से करने का विचार है?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 24करोड़ रुपये ।

(ख) निष्क्रिय खातों के धारकों से निवेदन किया गया है कि जिस डाकघर में उनका खाता है, वे उस डाकघर में अर्जी देकर खातों को फिर से चालू करा लें ताकि वे अपने नाम में पड़ी रकम निकाल सकें। इसके लिये सभी प्रमुख समाचार-पत्रों में प्रेस नोट और विज्ञापन देकर पर्याप्त प्रचार किया गया है और सभी डाक सर्किलों के अध्यक्षों को हिदायत दे दी गई है कि खाता-धारकों को उनके अंतिम ज्ञात पते पर पत्र लिख कर कहदें कि वे अपने निष्क्रिय खातों को फिर से चालू करा लें ।

अलप्पी में ड्राई डॉक वर्कशाप का निर्माण

*146. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अलप्पी में ड्राई डॉक वर्कशाप बनाकर टर्मिनल सुविधाएं उपलब्ध करने के बारे में केरल सरकार द्वारा प्रस्तुत योजना केन्द्र सरकार द्वारा मंजूर कर दी गयी है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

उपरि आसाम में ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था का कार्यकरण

*148. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपरि आसाम क्षेत्र में ट्रंक टेलीफोन व्यवस्था इतनी खराब है कि किसी भी एक्सचेंज से कलकत्ता, दिल्ली आदि के लिए बुक की गई ट्रंक काल 12 घंटे के अन्दर नहीं मिलती है; और

(ख) यदि हां, तो इस दोष को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है।

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं। आसाम के ऊपरी भाग के प्रमुख एक्सचेंजो से कलकत्ता को की जाने वाली काल औसतन दो घंटे के अन्दर लगा दी जाती हैं। दिल्ली को की जाने वाली कालों में कुछ अधिक विलम्ब हो जाता है, किन्तु प्रतिदिन ऐसी कालों में से 60 से 70% तक कालें लगा दी जाती हैं।

(ख) यातायात की लगातार छानी-बीन की जाती है और जहां भी औचित्य पाया जाता है अतिरिक्त सर्किटों की योजना बनाई जाती है और उनकी व्यवस्था की जाती है। तिनसुकिया-कलकत्ता तिनसुकिया-गौहाटी, जोरहाट-गौहाटी और डिब्रूगढ़-कलकत्ता के बीच प्रत्येक मार्ग पर सर्किटों की संख्या में तुरन्त ही एक-एक सर्किट की वृद्धि की जा रही है ।

अतिरिक्त पोत निर्माण यार्डों के निर्माण के लिये आवंटन

*149. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में अतिरिक्त पोत-निर्माण यार्डों के निर्माण के लिए कितनी राशि आवंटित की गयी है और किस प्रकार के जहाजों के लिए अतिरिक्त पोत-यार्डों के निर्माण करने का प्रस्ताव है और उनका निर्माण किन-किन स्थानों पर किया जायेगा;

(ख) इस आवंटित राशि का कितना उपयोग किया गया है; और

(ग) पांचवीं योजना की शेष अवधि में किन-किन प्रस्तावों को पूरा किया जायेगा ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) नये शिपयार्डों के निर्माण के लिए पांचवीं पंच वर्षीय योजना में 50.00 करोड़ रु० की व्यवस्था की गयी है। शिपयार्डों के लिए स्थलों के चयन और बनाये जाने वाले जहाजों की किस्म का प्रश्न विचाराधीन है।

(ख) विदेशी परामर्शकों द्वारा प्रारंभिक परियोजना रिपोर्ट तैयार करने और अन्य आकस्मिक मदों पर अब तक लगभग 16.25 लाख रु० व्यय किए जा चुके हैं।

(ग) मामले में और कार्यवाही शिपयार्ड की स्थापना के बारे में निर्णय किए जाने के बाद की जायेगी।

National Telephone Grid Scheme

*151. **Shri K. M. Madhukar** : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) whether Central Government propose to formulate a National Telephone Grid Scheme like All India Power Grid Scheme and

(b) if so, whether Government have fixed any time limit within which this scheme will be implemented ?

The Minister of Communications (Dr. Shankar Dayal Sharma) : (a) The National Grid for Telephones which is called "Telecommunication Network" is already in existence. The Telecommunication Network till recently consisted mostly of open wire lines with manual handling of trunk calls. Now the main links of the network are provided by microwave and Coaxial systems. Provision of nation-wide Subscriber Trunk Dialling is the ultimate objective. About 55 per cent of trunk calls are now handled on automatic basis.

(*b*) No time-limit has been fixed for implementation of the nation-wide STD. The scheme will be progressively implemented consistent with the availability of resources and equipment.

केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र द्वारा चासनाला दुर्घटना की पूर्व चेतावनी

*153. **श्री रोबिन सेन** : क्या **इस्पात और खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय खनन अनुसन्धान केन्द्र ने चासनाला कोयला खान में दुर्घटना होने की सम्भावना की चेतावनी वास्तविक दुःखद घटना से पांच महीने पूर्व ही दे दी थी; और

(ख) यदि हां, तो चेतावनी की उपेक्षा करने वाले सम्बद्ध अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) :(क) और (ख) इस बात को देखते हुए कि चासनाला कोयला खान में हुई दुर्घटना के कारणों का पता लगाने तथा इस बात को देखने के लिए कि किन परिस्थितियों में यह दुर्घटना हुई थी एक जांच अदालत बैठाई गई है और यह अदालत अपना काम कर रही है। उठाए गये प्रश्न पर इस समय कोई मत व्यक्त करना उचित न होगा। यह अदालत उठाये गए प्रश्न पर निःसन्देह विचार करेगी और जांच अदालत की रिपोर्ट मिलने के बाद कार्रवाई, यदि कोई हुई, पर विचार किया जाएगा।

भारत चीन संबंध

*156. **श्री सरोज मुकर्जी :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) चीन के साथ संबंध सुधारने के उद्देश्य से सरकार ने और आगे क्या कदम उठाये हैं;

(ख) क्या दोनों के बीच राजदूतों के आदान-प्रदान की निकट भविष्य में कोई संभावना है; और

(ग) भारत और चीन के बीच अच्छे पड़ौसियों जैसे संबंधों की स्थापना में क्या मुख्य बाधायें हैं ?

***विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) :** (क) से (ग). संबंधों को सामान्य बनाने की दिशा में सरकार ने कई ठोस कदम उठाये हैं। लेकिन चीन की ओर से अभी समुचित प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा ही है । चीन की ओर से इस समुचित प्रतिक्रिया का अभाव ही दोनों देशों के बीच अच्छे पड़ौसियों के संबंधों की स्थापना के मार्ग में रोढ़ा बना रहा है ।

माल उतारने चढ़ाने की व्यवस्था और पत्तन सुविधाओं का आधुनिकीकरण

*157. **श्री रानेन सेन :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार विश्व व्यापार के क्षेत्र में अपनी राष्ट्रीय माल-वाहन पोत सेवा का विकास करने तथा अन्य देशों को बराबरी करने के लिए माल चढ़ाने-उतारने की व्यवस्था और पत्तन-सुविधाओं का आधुनिकीकरण करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो इस दिशा में सामान्य रूप से, तथा कलकत्ता पत्तन के बारे में विशेष रूप से क्या कदम उठाए गए हैं ।

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) तथा (ख). विभिन्न मुख्य पत्तनों में बड़े-बड़े जहाजों की धरा-उठाई तथा माल की अधिक शीघ्रता से धरा उठाई करने के लिए विकास योजनाएं प्रारम्भ की गयी हैं ।

कलकत्ता पत्तन, वर्तमान डुबाव की कमी के कारण बड़े जहाजों को संभालने में असमर्थ है । हल्दिया, जो कि कलकत्ता से कुछ मील नीचे की ओर है, जिसका एक गहरे जल पत्तन के रूप में विकास किया जा रहा है, अन्ततः 40 फुट डुबाव में 80,000 डी०डब्ल्यू०टी० के जहाजों को संभाल सकेगा । पत्तन लोह अयस्क, कोयला, तथा उर्वरक के लिए उच्च गति यांत्रिक धरा-उठाई सुविधाओं से सुसज्जित होगा, और सामान्य माल घाट होगा, जिसमें कन्टेनरों और फिंगर जैट्टी, जिसमें बड़े जहाजों से छोटे जहाजों में अथवा जलयान में माल की अदला-बदली की धरा-उठाई के लिए ट्रांसटेनर और पोर्टेनर क्रेन होंगी ।

मारमागोवा पत्तन के लिये 65 करोड रुपये की परियोजना

*158. **श्री एम० कतामुत्तु :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या मारमागोआ पत्तन के लिए 65 करोड़ रुपये की परियोजना के इस वर्ष के अन्त तक पूरा होने की संभावना है, और

(ख) इस कार्य में अब तक कितनी प्रगति हुई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्री (डा० जी० एस० ढिल्लों) : (क) और (ख) अपेक्षित सूचना देने वाल विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) परियोजना की इस वर्ष के अन्त तक काफी पूरा हो जाने की संभावना है।

(ख) मदवार प्रगति नीचे दी गयी है :—

सिविल कार्य :

(i) बजरा घाट	पूरे हो गए।
(ii) निकर्षण . . .	पूरे होने की प्रत्याशित तारीख मार्च/अप्रैल, '77 है।
(iii) खनिज और तेल घाट	पूरे होने की प्रत्याशित तारीख–मई, 1976
(iv) यांत्रिक उपस्कर के लिए नीव . .	सितम्बर, 1976 तक प्रगामी रूप से पूरा किया जाना है।

यांत्रिक कार्य

(i) बजरा उतारक . . .	चालू करने की प्रत्याशित तारीख दिसम्बर, 1976 है।
(ii) कनवेयर सिस्टम, स्टोकर, रिक्लेमर, शिपलोडर वाला खनिज लदान यंत्र	प्रगामी रूप से चालू करने की प्रत्याशित तारीख दिसम्बर, 1976 है।

फलोटिला

(i) ट्रेलिंग सैक्शन ड्रेजर	सुपुर्द किया गया।
(ii) हायर सैक्शन ड्रेजर	पूरा होने वाला है।
(iii) कर्षनाव	प्रत्याशित सुपुर्दगी दिसम्बर, 1976 तक।

पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नये डाकघर

*159. **श्री अर्जुन सेठी** : क्या **संचार** मंत्री पूर्वी तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में नये डाकघरों के बारे में 29 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 320 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रतिबन्ध हटाने के आदेश देश के सभी पोस्टमास्टर जनरल और दूर संचार महा-प्रबन्धकों को सूचित कर दिये गये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे कब सूचित किये गये ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख). अत्यंत पिछड़े हुये आदिवासी और पहाड़ी इलाकों में डाकघर खोलने पर कोई पाबन्दी नहीं है । दूसरे इलाकों में नये डाकघर खोलने के बारे में जो प्रतिबन्ध लगे हुए हैं उन्हें हटाने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ।

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लिये 20 वर्षीय संदर्श योजना

*160. **श्री डी० डी० देसाई** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य सेवा के लिये एक 20 वर्षीय संदर्श योजना तैयार की है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री (डा० कर्ण सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना के लिए तैयार की गई योजना की रूप रेखा का एक विवरण सभा-पटल पर रख दिया है ।

विवरण

केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना 1954 में दिल्ली में शुरू की गई थी। बाद में तीसरी पंच वर्षीय योजना में इसे बम्बई में, चौथी पंचवर्षीय योजना में इलाहाबाद, मेरठ, कलकत्ता और कानपुर में और पांचवीं पंचवर्षीय योजना के प्रथम दो वर्षों के दौरान नागपुर-मद्रास, बंगलौर और हैदराबाद में भी चालू कर दिया गया।

1973 में तैयार की गई 1974—94 की संदर्श योजना की रूपरेखा इस प्रकार है :—

(1) जिन शहरों में यह योजना पहले से ही चालू है वहां इसका विस्तार/समेकन करना और

(2) इसे नए शहरों में शुरू करना ।
जिन शहरों में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के 7500 या इससे अधिक परिवार रहते हों उन में यह योजना चालू कर दी जायगी ।

इसमें इस प्रकार विस्तार/समेकन करने का विचार है :—

(1) **बम्बई** : केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना का अस्पताल बनाना और अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना ।

(2) **कलकत्ता** : 40,000 अतिरिक्त परिवारों को शामिल करना और एक अस्पताल बनाना ।

(3) **कानपुर** : एक अस्पताल बनाना और 10,000 अतिरिक्त परिवारों को शामिल करना ।

(4) **इलाहाबाद** : 5,000 अतिरिक्त परिवारों को शामिल करना और एक पोलि-क्लिनिक खोलना।

(5) **मेरठ** : एक पोलिक्लिनिक खोलना और 5,000 अतिरिक्त परिवारों को शामिल करना ।

(6) **मद्रास** : एक अस्पताल बनाना और 10,000 अतिरिक्त परिवारों को शामिल करना ।

(7) **नागपुर** : एक पोलिक्लिनिक खोलना तथा 5,000 अतिरिक्त परिवारों को इस योजना के अन्तर्गत लाना ।

इस योजना के अन्तर्गत जिन नये शहरों को लाये जाने की आशा है वे इस प्रकार हैं :—

पूना	आगरा
लखनऊ	वाराणसी
जबलपुर	तिरुचिरापल्ली
खड़गपुर	देहरादून
बंगलौर	बीकानेर
हैदराबाद	विशाखापतनम
गोरखपुर	जोधपुर
झांसी	आसनसोल
अजमेर	शाहजहांपुर
जयपुर	
अहमदाबाद	

संसाधन प्रशासनिक सुविधा, आवास आदि की सुविधाओं को देखते हुए हो सकता है इस योजना को क्रियान्वित करने के बारे में इसका पुनरीक्षण करना पड़े।

श्रम ब्यूरो के अनुसार योजनाओं के लिये पाँचवीं योजना में परिव्यय

767. **श्री बंसत साठे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) श्रम ब्यूरो द्वारा प्रस्तावित विभिन्न अनुसंधान योजनाओं के लिये, योजनावार, योजना आयोग ने पांचवीं योजना में कुल कितने परिव्यय की स्वीकृति दी ह ;

(ख) कुल परिव्यय में से ग्रामीण श्रम संबंधी अनुसंधान योजनाओं के लिये कितने परिव्यय की व्यवस्था की गई है ;

(ग) क्या बन्धक श्रम का राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने और उन क्षेत्रों में गहन अध्ययन आरंभ करने के लिये कोई व्यवस्था की गई है जहां अनुसंधान कार्यक्रम को उपयोगिता प्रधान बनाने के लिये छोटे, सीमान्त किसानों और ग्रामीण श्रमिकों के आर्थिक उत्थान के लिये केन्द्रीय क्षेत्र की योजनाएं चालू हैं , और

(घ) ग्रामीण क्षेत्र में अन्य कौन-सी योजनाएं आरंभ करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) 120 लाख रुपये। एक विवरण संलग्न है जिसमें योजनानुसार व्यौरा दिया गया है।

(ख) भारत में ग्रामीण श्रमिक सम्बन्धी गहन अध्ययन करने के लिए और द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच के लिए 36.42 लाख रुपये।

(ग) श्रम ब्यूरो द्वारा बन्धक श्रम का राष्ट्रीय सर्वेक्षण करने का कोई प्रस्ताव नहीं है तथा इसलिए इस सर्वेक्षण के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। तथापि भारत में ग्रामीण श्रमिक सम्बन्धी गहन अध्ययन से संबंधित सर्वेक्षण के लिए व्यवस्था की गई है।

(घ) राष्ट्रीय श्रम संस्थान द्वारा "भारत में कृषक संगठन अध्ययन" सम्बन्धी अनुसन्धान परियोजना चलाई गई है। ग्रामीण क्षेत्र में कुछ और अनुसंधान कार्यक्रम/परियोजनायें चलाने के प्रश्न पर उन द्वारा जांच की जा रही है।

विवरण

श्रम ब्यूरो की अनुसन्धान योजनाओं के लिये पाँचवीं योजना के लिये कुल परिव्यय

क्रम संख्या	योजना का नाम	पांचवीं योजना के लिए परिव्यय (1974-79)
1	2	3
		(लाख रुपयों में)
1.	द्वितीय ग्रामीण श्रमिक जांच . . .	21.42
2.	तृतीय व्यावसायिक मजदूरी सर्वेक्षण	12.02
3.	भारत में ग्रामीण श्रमिक सम्बन्धी गहन अध्यन . .	15.00
4.	(क) त्रुटि की गुंजाइश की अनुमान सम्बन्धी योजना (ख) त्रुटि की गुंजाइश सम्बन्धी योजना के अन्तर्गत किए गए सर्वेक्षणों के परिणामों पर अनुवर्ती कार्रवाई	9.75
5.	उद्योगों के असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के बारे में मजदूरी और रोजगार सम्बन्धी आंकड़ों का संग्रहण	5.00
6.	अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों से सम्बन्धित श्रमिकों का कार्य और जीवन-यापन सम्बन्धी सर्वेक्षण . .	9.50
7.	60 केन्द्रों में श्रमिक वर्ग परिवार आय और व्यय सर्वेक्षण .	7.11
8.	अनुसंधान परियोजना (उद्योग में महिला श्रमिकों की सामाजिक व आर्थिक स्थितियां)।	1.00
9.	औद्योगिक विवादों के आंकड़ों का संग्रहण . . .	2.50
10.	श्रमिक आंकड़ों में सुधार-प्रशिक्षण-एवं-सम्पर्क योजना . .	18.30
11.	उद्योगों के वार्षिक सर्वेक्षण के अन्तर्गत श्रमिक आंकड़ों का संग्रह — नमूनाक्षेत्र (कारखाना) बागान और खनन क्षेत्र . .	10.83
12.	प्रतिष्ठानों की केन्द्रीय डायरेक्टरी	7.57
	कुल रुपये	120.00

Labour Welfare Centres for Agricultural Labour in M.P. and other States

768 **Shri G. C. Dixit** : Will the **Minister of Labour** be pleased to state:

(*a*) whether there is a proposal to set up ordinary labour welfare centres for agricultural labour in some of the Districts in Madhya Pradesh during the Fifth Five Year Plan period; and

(*b*) whether Government propose to set up the said centres in other States also ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) Information is being collected and will be placed on the Table of the House.

(b) The Union Government do not have any proposal at present.

देवगढ़ पत्तन का एक बड़े पत्तन के रूप में विकास

769. **श्री मधु दण्डवते** : क्या **नौवहन और परिवहन** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जांच से पता लगा है कि महाराष्ट्र के कोंकण तट पर स्थित देवगढ़ पत्तन को बड़ा पत्तन बनाया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो देवगढ़ पत्तन को बड़े पत्तन के रूप में विकसित करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) तथा (ख) मख्य पत्तनों से भिन्न अन्य पत्तनों के विकास की जिम्मेदारी सम्बद्ध राज्य सरकारों की है। परन्तु जब कभी आवश्यकता होती है केन्द्रीय सरकार तकनीकी सहायता देती है। चौथी योजना में कुछ एक चुने हुए छोटे पत्तनों को केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत दीर्घकालीन ऋण के रूप में भी सहायता दी गई है। देवगढ़ पत्तन इस योजना के अन्तर्गत नहीं आता है। केन्द्रीय सरकार ने ऐसी कोई जांच नहीं की है कि क्या देवगढ़ में मख्य पत्तन की क्षमता है अथवा नहीं। साथ ही केन्द्रीय सरकार का इसे मुख्य पत्तन के रूप में विकसित करने का कोई विचार नहीं है।

वर्ष 1973--75 में इस्पात का निर्यात और आयात

770. **श्री समर गुह** : क्या **इस्पात और खान** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1973--75 के दौरान किन-किन किस्मों के इस्पात का आयात और निर्यात किया गया है;

(ख) उक्त अवधि में इस्पात के उत्पादन के लक्ष्य क्या थे और वे कहां तक पूरे हुए; और

(ग) वर्ष 1975 में इस्पात के उत्पादन का, उसकी किस्मों सहित लक्ष्य क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) वर्ष 1973–74 और 1974–75 में इस्पात का आयात मुख्यत: साधारण इस्पात के चपटे उत्पादों अर्थात् चादरों, प्लेटों, स्ट्रिप और क्वायल के रूप में किया गया था। इसके आलावा कुछ प्रकार का औजारी, मिश्रित, और विशेष इस्पात और बेदाग इस्पात का भी आयात किया गया था।

वर्ष 1973–74 में मुख्यत: कच्चे लोहे, रेल की पटरी, छड़ों और गोल छड़ों और वर्ष 1974-75 में कच्चे लोहे, बिलेट, छड़ों और गोल छड़ों, संरचनात्मकों और तारों का निर्यात किया गया था।

(ख) 1973--75 में उत्पादन के लक्ष्य तथा उनकी प्राप्ति इस प्रकार थी:--

(मुख्य कारखाने)

अवधि	इस्पात पिण्ड			विक्रय इस्पात		
	लक्ष्य (000 टन)	वास्तविक (000 टन)	प्राप्ति प्रतिशत	लक्ष्य (000टन)	वास्तविक (000टन)	प्राप्ति प्रतिशत
1973–74 .	7,128	5,722	80%	5,442	4,353	80%
1974–75 .	6,575	6,264	95%	5,044	4,899	97%

(ग) इस्पात पिण्ड और विक्रय इस्पात के उत्पादन का लक्ष्य :--

(मुख्य इस्पात कारखाने--श्रेणीवार, 1975–76

श्रेणी	मात्रा (000 टन)
1. इस्पात पिण्ड (कुल)	7,647
2. **विक्रय इस्पात**	
2.1 अर्द्ध तैयार माल	1,426
2.2. छड़ें, गोल छड़ें और संरचनात्मक	2,198
2.3. रेल का साजसमान	446
2.4. चपटे उत्पाद	1,584
2.5. ई० आर० डब्ल्यू पाइप	45
2.6. कुल विक्रय इस्पात	5,700

दिल्ली प्रशासन द्वारा परिवार नियोजन के लिये उपाय

771. **श्री विश्वनाथ झुनझुनवाला** : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली प्रशासन ने हाल ही में दिल्ली में परिवार नियोजन को बढ़ावा देने के लिए हतोत्साह करने का पैकेज कार्यक्रम चलाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए गए प्रोत्साहन और हतोत्साहन कार्यक्रम का विस्तृत विवरण संलग्न है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल०टी--10463/76]

औषध अपमिश्रण

772. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में औषधियों में बड़े पैमाने पर अपमिश्रण के कारण अनेक व्यक्तियों की मौतें हो रही हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) इस बात के बारे में कोई स्पष्ट प्रमाण नहीं है । वैसे, कुछेक मामलों में मौतों का कारण दवाइयों में मिलावट होना बतलाया गया है ।

(ख) औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 में दवाइयों में मिलावट की रोकथाम करने के लिये समुचित उपबन्धों की व्यवस्था की गई है । फिर भी, इस अधिनियम को और अधिक कारगर बनाने के लिये इसके उपबन्धों में संशोधन करने का विचार है ।

इस्पात सामग्री की मूल्य निर्धारण नीति

773. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि कुछ लोगों की राय है कि इस्पात सामग्री की अवास्तविक मूल्य निर्धारण नीति के कारण पूंजीनिवेश की बहुत कम गुंजाइश रह गई है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) इस्पात सामग्री के मूल्य निर्धारित करते समय पूंजी निर्माण की आवश्यकता पर सम्यक रूप से विचार किया जाता है ।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान उड़ीसा में डाकघर खोला जाना

774. **श्री राज सिंह देव :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पांचवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने डाकघर खोलने का विचार है ; और

(ख) उड़ीसा के ग्रामीण क्षेत्रों में डाकघरों के कार्यकरण में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पांचवीं योजना अवधि के दौरान लगभग 440 डाकघर खोलने का प्रस्ताव है ।

(ख) उड़ीसा के देहाती इलाकों में डाक सुविधाओं में सुधार और गति लाने के लिए ऐसा प्रस्ताव है कि राज्य के सभी गांवों में यथाशीघ्र दैनिक वितरण सेवा चालू कर दी जाए। डाक को तेजी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए कई मार्गों पर हरकारों की जगह डाक

मोटर सेवा चालू करने का प्रस्ताव है। जहां कहीं व्यवहार्य होगा देहाती इलाकों में साइकिलों पर चल-डाकघर खोलने का भी प्रस्ताव है ।

Failure of Family Planning Measures

775. **Dr. Laxminarayan Pandeya** : Will the **Minister of Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) whether Family Planning Programme has generally been unsuccessful in checking the birth rate;

(b) if so, the other measures taken by Government in this regard; and

(c) the percentage of decrease in the birth rate during the last three years as compared to that of 1971-72 ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A. K. M. Ishaque): (a) No.

(b) Does not arise.

(c) In terms of the births averted as a result of the Family Planning Programme, it is estimated that as compared to 1971-72 the birth rate had dropped by about 1.9% in 1972-73; 4.6% in 1973-74 and 5.7% in 1974-75.

Impact of land reform laws on Agricultural Labourers

776. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the State-wise precentage of increase or decrease registered in the number of agricultural labourers as a result of land reform laws in the country during the last three years ; and

(b) whether Government have formulated any scheme to provide work to the rural agricultural labourers when they are idle ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) A statement showing the State-wise percentage of increase or decrease of Agricultural Labour in 1961 and 1971 is placed on the Table of the House. It is difficult to arrive at any firm conclusion regarding the extent to which land reform laws have a bearing on these statistics.

(b) A statement is placed on the Table of the House.

[Placed in the Library. *See* No. L. T.—10464/76]

Gold Find in Madhya Pradesh

777. **Shri Hukam Chand Kachwai** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether it has been published in a news item that high quality of gold reserves have been discovered in Barjar village in Raigarh District of Madhya Pradesh.

(b) whether these gold reserves are in a radius of about 500 kilometres, if so, whether survey work in this regard has been completed in alll respects and if so the time by which the setting up of furnace etc. in this area will be completed and the expenditure to be incurred thereon; and

(c) the quantity of gold likely to be extracted and whether quality of this gold has also been determined and if so, the various qualities of gold expected to be recovered ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad): (a) According to press reports, gold occurrences have been reported in Raigarh district.

(b) & (c). A preliminary survey in an area of 128 square Kilometres has revealed traces of gold. A detailed survey has yet to be made and it is premature to indicate any details or say about the possibilities of exploitation of the mineral.

बन्धक श्रम प्रथा का सर्वेक्षण

778. **श्री एस० एम० सिद्धय्या** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में उन राज्य तथा संघ राज्यों क्षेत्रों में कोई सर्वेक्षण किया गया है जिन्होंने बताया है कि उन के क्षेत्रों में बन्धक श्रम संबंधी कोई समस्या नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण की रूपरेखा क्या है ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

Spreading of particular type of disease

779. **Shri Janeshwar Mishra** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state :

(a) whether Government have made a study to find out that a particular type of disease has been spreading in major cities and industrial colonies of the country because of adulteration and air pollution ;

(b) whether the capital of the country is also affected; and

(c) the preventive measures taken in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M Ishaque) : (a) No.

(b) & (c). Does not arise.

महाराष्ट्र के आदिवासी विकास खंडों में सार्वजनिक टेलिफोनों की व्यवस्था करना

780. **श्री जेड० एम० काहनडोल** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र के नासिक जिले में 9 आदिवासी विकास खण्डों में सभी सार्वजनिक टेलीफोन काल बूथों के असंतोषजनक कार्यकरण के बारे में अनेक शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उन्हें ठीक रखने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र के शेष आदिवासी विकास खण्डों में सार्वजनिक टेलीफोन लगाने का विचार है ; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी रूपरेखा क्या है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) (क) और (ख). जी नहीं । सभी पी० सी० ओ० संतोषजनक काम कर रहे हैं । तथापि, इगतपुरी पी० सी० ओ० के स्वीच में सुधार लाने के लिए 3 चैनल प्रणाली स्थापित करने का प्रस्ताव है । तांबे के तारों की चोरी से बचने के लिए सुरगना और पेट के पी० सी० ओ० के तांबे के तारों को बदल कर वहां अल्यूमिनियम के तार लगाने का प्रस्ताव है ।

(ग) और (घ). महाराष्ट्र के आदिवासी विकास खंडों के लिए बनाए गए सब-प्लानों को राज्य सरकार ने अन्तिम रूप नहीं दिया है । इस सब-प्लान को अन्तिम रूप देने के बाद, इन आदिवासी विकास खंडों में पी० सी० ओ० खोलने के प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा ।

पांच कोयला खानों में काम पर पाबन्दी लगाना

781. **श्री राम भगत पासवान** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश में पांच कोयला खानों में काम किए जाने पर हाल ही में पाबन्दी लगाई है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी हां ।

(ख) बाढ़ के खतरे की आशंका।

भारत और श्रीलंका के बीच आर्थिक सहयोग

782. **श्रीमती पार्वती कृष्णन** : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के प्रतिनिधियों ने हाल ही में हुई बैठक में दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ाने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी हां ।

(ख) 5 से 10 फरवरी, 1976 तक नई दिल्ली में आयोजित तीसरे भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की बैठक में जो निर्णय लिए गए, उन की मोटी-मोटी बातें इस प्रकार हैं :

(1) श्रीलंका को 5 करोड़ रुपए का नया ऋण देने, दोनों देशों के बीच माइक्रो-वेव कड़ी स्थापित करने, विज्ञान और तकनीकी ज्ञान के क्षेत्र में सहयोग का और विकास करने तथा सिविल विमानन की सुविधाएं बढ़ाने के करारों पर हस्ताक्षर किए गए।

(2) व्यापार की वृद्धि के लिए कदम उठाए जाएंगे ।

(3) मत्स्य पालन, पशु विकास, ग्रामीण तकनीकी केन्द्र, गन्ना उत्पादन, डीज़ल इंजन, बिजली मोटर और पम्प, अबरक खनन आदि में तकनीकी और आर्थिक सहयोग बढ़ाया जाएगा ।

(4) दोनों सरकारें पावर ग्रिड जोड़ने की सम्भावनाओं की जांच तकनीकी अध्ययन के आधार पर करेंगी ।

अलाय इस्पात उद्योग में संकट

783. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 4 फ़रवरी, 1976 को नई दिल्ली के एक समाचार पत्र में अलाय स्टील इन्डस्ट्री इन डोलड्रम में शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी; हां।

(ख) यह बात सही नहीं है कि सरकार ने छोटे इस्पात कारखानों को मिश्रित इस्पात के उत्पाद तैयार करने की अनुमति दे दी है । मई, 1974 में सरकार ने ऐसे छोटे इस्पात कारखानों को जो कुछ प्रकार के अल्प मिश्रित और विशेष इस्पात का उत्पादन करना चाहते थे ऐसा करने की अनुमति दे दी थी । छोटे इस्पात कारखानों की समस्याओं का अध्ययन करने और उन समस्याओं को हल करने के लिए यथोपयुक्त सिफ़ारिशें करने के लिए सरकार ने दो सलाहकार नियुक्त किये हैं । ये सलाहकार विविध प्रकार के मिश्रित और विशेष इस्पात की मांग और उपलब्धि जैसी बातों पर निःसन्देह विचार करेंगे। इस बीच नई इकाइयो को मिश्रित और विशेष इस्पात का उत्पादन करने के लिए सामान्यतः अनुमति नहीं दी गई है ।

टिस्को का पुनरोत्थान

784. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन** :: क्या **इस्पात और खान** मंत्री टिस्को के विस्तार के बारे में 15 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 123 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टिस्को ने उद्योग के पुनरोत्थान के लिये सरकार से 250 करोड़ रुपये की राशि र मांग नहीं की है,

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार ने क्या निर्णय किया है;

(ग) क्या सरकार के पास 'टिस्को' के 44 प्रतिशत शेयर हैं ; और

(घ) टिस्को में उत्पादन बढाने हेतु सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद): (क) अभी तक 'टिस्को' से ऐसा कोई आवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) टिस्को के लगभग 43% साधारण शेयर सरकारी वित्तीय संस्थानों, राष्ट्रीयकृत बैंकों और राष्ट्रीयकृत बीमा कम्पनियों के पास हैं ।

(घ) स्थापित क्षमता की तुलना में कम्पनी का उत्पादन सन्तोषजनक है। वर्ष 1975--76 में अब तक विक्रेय इस्पात के उत्पादन में क्षमता का उपयोग लगभग 98% है ।

करमहोम कान्फ्रेंस

785. **श्री त्रिदिब चौधरी** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक सोवियत नौवहन कम्पनी ने करमहोम कान्फ़्रेंस के नाम से विख्यात भारत-बंगला देश-पाकिस्तान तथा यूनाइटिड किंगडम शिपिंग लाइन्स कान्फ़्रेंस की सदस्यता के लिए आवेदन किया है ।

(ख) फ़रवरी के तीसरे सप्ताह में लन्दन में आयोजित कान्फ्रेंस के सदस्यों की बैठक में रुसी आवेदन पर क्या निर्णय किया गया; और

(ग) इस बैठक में भाग लेने वाले भारतीय नौवहन कम्पनियों के प्रतिनिधियों ने क्या रुख अपनाया और इस संबंध में भारत सरकार के क्या विचार हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) दि वी/ओ सोविनफ्लोट, सोवियत संगठन जो कि आरपार के व्यापार में सोवियत जहाजों के लिए माल की बुकिंग के लिये जिम्मेदार है ने जी० डी० आर० की डी० एस० आर० लाइन का आई० पी० बी० सी० क्षेत्र में नई यू० एस० एस० आर० लाइनर सेवा के उद्घाटन के बारे में सूचना दी और डी० एस० आर० लाइन ने इसकी सूचना सम्मेलन को दी ।

(ख) सम्मेलन ने अपने अध्यक्ष आई० पी० बी० सी० को वी/ओ० सोविनफ्लोट मोस्को के साथ समन्वेषी वार्ता करने के लिए अधिकृत किया ।

(ग) भारतीय लाइनो ने बैठक में इस विषय पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दिखाई । सरकार मामले पर विचार कर रही है ।

तोरशा पुल का निर्माण

786. श्री टुना उरांव : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जलपाईगुड़ी में सिलबरिहाट के निकट राष्ट्रीय राजपथ संख्या 31 पर तोरशा पुल के निर्माण के लिए मंजूर की गई धनराशि को बिना खर्च किये ही वापस कर दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह राशि कितनी है और इसके क्या कारण हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) इस मंत्रालय ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सिलवारीहाट के पास तोरशा नदी के ऊपर पुल के निर्माण का कोई कार्य स्वीकृत नहीं किया है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

एशिया पैसिफिक टेलीकम्यूनिटी की स्थापना

787. श्री कृष्ण चन्द्र हालदार : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत ने दूरसंचार सेवा के संवर्द्धन के लिए एक क्षेत्री संगठन एशिया पैसिफ़िक टेलीकम्यूनिटी की स्थापना के प्रस्ताव का बैंकोक में आयोजित बैठक में समर्थन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या निष्कर्ष निकले ; और

(ग) उन पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) जी हां ।

969 LS—3

(ख) 'एशिया पैसिफ़िक टेलीकम्यूनिटी' के संविधान को, विशेषज्ञों के अन्तर-सरकारी कार्यकारी दल की फ़रवरी, 1976 में बैंकोक में हुई बैठक में अन्तिम रूप दिया गया ।

(ग) तय किया संविधान, भारत द्वारा प्रचारित किये प्रारूप-संविधान के मुताबिक हैं निर्णीत संविधान की प्रति 'एस्केप' सचिवालय से प्राप्त होने पर सरकार इसके अनुसमर्थन के लिए अगली कार्यवाही करेगी ।

विदेशी चिकित्सा-डिग्रियों को मान्यता न देना

788. **श्री झारखण्डे राय :**

श्री सरजू पांडे : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय चिकित्सा परिषद् ने पूर्व युरोपीय देशों में विश्वविद्यालयों द्वारा दी गई चिकित्सा-डिग्रियों को मान्यता प्रदान नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो उस के क्या कारण हैं ;

(ग) क्या सरकार को पता है कि इन विश्वविद्यालयों से शिक्षा प्राप्त करके आने वाले डाक्टरों को नौकरियां नहीं मिलती है; और

(घ) यदि हां, तो यह सुनिश्चय करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि इन विश्वविद्यालयों द्वारा दी जाने वाली डिग्रियों को भारतीय चिकित्सा परिषद् मान्यता प्रदान करे ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख): सोवियत संघ द्वारा प्रदान की जा रही निम्नलिखित चिकित्सा अर्हताओं को और भारतीय चिकित्सा परिषद् ने मान्यता दी हुई है और ये भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम 1956 की तीसरी अनुसूची के भाग 2 में शामिल हैं :—

1. जनरल फिज़ीशियन (पेट्रिक लुमुम्बा फ्रैंडशिप यूनिवर्सिटी, मास्को)
2. जनरल फिज़ीशियन (मास्को मैडिकल इंस्टिट्यूट, फर्स्ट एण्ड सेकण्ड , मास्को)
3. केन्डिडेट आफ मेडिकल साईंस (यू० एस० एस० आर०) इन मेडिसन जो सोवियत संघ की अकेडेमी आफ मेडिकल साईंसेज के इस्टीट्यूट आफ थैरेपी द्वारा प्रदान की जाती है ।

जहां तक अन्य पूर्व-योरोपीय देशों द्वारा दी जाने वाली मेडिकल अर्हताओं का सबंध है, इस मामले पर भारतीय चिकित्सा परिषद् विचार कर रही है ।

(ग) जहां तक भारतीय नागरिकों का संबंध है, भारतीय चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1956 में यह व्यवस्था है कि अधिनियम की धारा 13 की उपधारा (4) के अन्तर्गत केन्द्र सरकार परिषद् से परामर्श करने के पश्चात् राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित करके तीसरी अनुसूची के भाग 2 में संशोधन कर सकती है और उस में ऐसी कोई भी अर्हता शामिल करवा सकती है जो किसी विदेशी चिकित्सा संस्था ने प्रदान की हो ।

(घ) भारतीय चिकित्सा परिषद् ने दिल्ली में विदेशों के सभी राजदूतों और हाई कमिश्नरों से अनुरोध किया है कि वे परिषद् को यह बताए कि क्या उनके देश अपने देश में दी जा रही मेडिकल डिग्रियों को पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करने की योजना चालू करने के इच्छुक हैं। उक्त परिषद् पारस्परिक आधार पर मान्यता प्रदान करने की योजना संबंधी किसी भी मामले में कार्यवाही तब करेगी जब किसी देश से इस आशय का उत्तर मिल जाएगा।

दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में उत्पादन

789. **श्री एस० एम० बनर्जी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुर्गापुर इस्पात संयंत्र के श्रमिक संघों ने उत्पादन बनाये रखने का वचन दिया है

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) दुर्गापुर संयंत्र में इस्पात का उत्पादन बनाये रखने के लिये सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चन्द्रजीत यादव) : (क) और (ख) हाल में दुर्गापुर में इस्पात कारखाने की तीन प्रमुख मजदूर यूनियनों ने इस्पात और खान मंत्री को आश्वासन दिया है कि वे उत्पादन का स्तर बनाये रखेंगे और इस में वृद्धि करने के लिए प्रयत्न करेंगे। उन्होंने यह भी अपील की है कि तैयार उत्पादों के लिए उपयुक्त बाजार सुनिश्चित किया जाए ताकि कामगारों को अधिक प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए प्रेरणा मिले।

(ग) उत्पादन बढ़ाने के लिए दुर्गापुर इस्पात कारखाने ने कई उपाय किये हैं। उन में मुख्य मुख्य उपाय इस प्रकार हैं :—

(1) उपस्करों का योजनाबद्ध ढंग से रख रखाव तथा देखभाल।

(2) कच्चे माल की अपेक्षित मात्रा तथा क्वालिटी को ध्यान में रखते हुए उत्पादकों तथा रेलवे से परामर्श कर के कच्चे माल अर्थात् कोककर कोयले, लौह खनिज चूना पत्थर की पर्याप्त मात्रा में उपलब्धि सुनिश्चित करना।

(3) उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से अनुपूरक सुविधाओं की व्यवस्था करना।

(4) नए इंजिन प्राप्त करना जिस से कारखानों में सामग्री लाने ले जाने के काम में और सुधार हो सके।

(5) कर्मशाला स्तर की समितियों की मार्फत कामगारों की भागीदारी की व्यवस्था करना।

(6) शिकायत निवारण समितियां गठित कर के कामगारों की शिकायतें दूर करना।

(7) चिकित्सा सुविधाओं/परिवहन सुविधाओं आदि मुख्य सुविधाओं में सुधार करना।

इन सभी उपायों से, जिन में मालिक मजदूर सम्बन्धों में सुधार और आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् विशेष रूप से सुधार हुआ है दुर्गापुर इस्पात कारखाने के उत्पादन में क्रमिक

रूप से वृद्धि हुई है । दिसम्बर, 1975 के महीने में इस्पात पिण्डों के उत्पादन में निर्धारित क्षमता का 77.5 % प्राप्त कर के इस्पात पिण्डों के उत्पादन में एक नया कीर्तिमान स्थापित किया गया। फरवरी, 1976 में निर्धारित क्षमता का 79.4% प्राप्त कर के विक्रेय इस्पात के उत्पादन में एक और कीर्तिमान स्थापित किया गया ।

दुर्गापुर में जुलाई, 1975 से लेकर उत्पादन में वृद्धि का रुख निम्नलिखित सारणी में दिखाया गया है ।

क्रम संख्या	मास	इस्पात पिण्ड		विक्रेय इस्पात	
		वास्तविक उत्पादन (000 टन)	क्षमता का प्रतिशत	वास्तविक उत्पादन (000 टन)	क्षमता का प्रतिशत
1.	जुलाई, 1975 .	80.0	60.0	61.4	59.5
2.	अगस्त, 1975 .	85.4	64.1	65.7	63.6
3	सितम्बर, 1975 .	83.3	62.5	49.9	48.3
4.	अक्तूबर, 1975	82.2	61.7	56.3	54.5
5.	नवम्बर, 1975 .	87.1	65.3	60.2	58.3
6.	दिसम्बर, 1975 .	103.3	77.5	71.0	68.8
7.	जनवरी, 1976 .	94.1	70.6	70.9	68.7
8.	फरवरी, 1976 .	90.1	67.6	82.0	79.4

भारत में लोकतंत्र के बारे में अमरीकी समाचार-पत्रों का झूठा प्रचार

790. **श्री राजदेव सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नई दिल्ली में हुए संसदीय राष्ट्रमंडल सम्मेलन के बाद और प्रतिनिधियों द्वारा भारत में तथा भारत से वापस जाने के बाद अपने-अपने देश में दिये गये भाषणों तथा वक्तव्यों से इंगलैंड कनाडा तथा अन्य राष्ट्रमण्डलीय देशों के समाचार-पत्र संयत हो गये हैं और इस देश की स्थिति वास्तविक परिप्रेक्ष्य में देख रहे हैं ;

(ख) क्या अमरीकी समाचार-पत्र अभी तक इस देश में लोकतंत्र के बारे में अपना झूठा प्रचार कर रहे हैं ; और

(ग) यदि हां, तो भारत सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ताकि वे स्थिति का वास्तविक परिपेक्ष्य में मूल्यांकन करें ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने, जिनमें पश्चिमी देशों के वे विधायक और उच्च अधिकारी भी शामिल हैं जिन्होंने नई दिल्ली में राष्ट्रमण्डली संसदीय सम्मेलन में भाग लिया था, अपने- अपने देशों में पहुंचने के बाद जनता के समक्ष भारत की स्थिति को सही रूप से प्रस्तुत किया था और बिना जाने-पूछे की गई आलोचना का भी खण्डन किया था। फिर भी, राष्ट्रमंडल के पश्चिमी देशों के अखबार आम तौर से स्थिति की

तस्वीर को तोड़-मरोड़कर ही प्रस्तुत कर रहे हैं। दूसरी ओर राष्ट्रमंडल के कुछ एशियाई/अफ्रीकी कैरेबियाई देशों के अखबारों में भारत की स्थिति के बारे में ऐसे लेख देखने में आये हैं जिनमें वस्तुपरक, सहानुभूति परक और प्रशंसात्मक भाव दृष्टिगोचर होते हैं।

(ख) जी हां ।

(ग) इस प्रकार के शत्रुतापूर्ण प्रचार का शीघ्रतापूर्वक प्रतिकार करने के लिए तथा विदेशों में सब जगह भारत की सही तस्वीर पेश करने के लिए सरकार और विदेश स्थित हमारे मिशन बराबर समुचित और प्रकात्रकारी कदम उठाते रहते हैं, यह कार्य वे साक्षात्कार और वार्ताओं के माध्यम से, पत्र और लेख प्रकाशित करके तथा समुचित व्यक्तियों को अपना पक्षसार देकर करते हैं।

फिलेरिया को नियंत्रित करने के लिए उपाय

791. श्री पी० रंगनाथ शिनाय : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या फिलेरिया रोग अशुद्ध पेय-जल के कारण फैलता है ; और

(ख) फ़िलेरिया पर नियंत्रण करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं ।

(ख) फ़ाइलेरिया रोग की रोकथाम के लिए राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम को 1955 में आरम्भ किया गया था । नियंत्रण संबंधी कार्यकलापों में मच्छरों को कम करने के लिए लार्वा-निरोधी कार्य करना तथा फ़ाइलेरिया से पीड़ित रोगियो का डाइथिलकरबामाइजिन से उपचार करना भी शामिल है।

Resumption of Air Flights between India and Pakistan

792. **Shri M. C. Daga :** Will the Minister of **External Affairs** be pleased to state

(a) whether a decision has been taken to resume air flights as a result of the high leve talks held between the officers of Pakistan and India;

(b) whether Pakistan has refused to withdraw the complaint made to the Internationa l Civil Aviation Organisation ; and

(c) If so, the reaction of Government thereto ?

The Minister of External Affairs (Shri Yashwantrao Chavan) : (a) No, Sir. The talks between India and Pakistan at Foreign Secretary's level held in May, 1975 were inconclusive

(b) and (c). Official exchanges are continuing between the two countries for arriving at a satisfactory solution to this problem.

पश्चिम बंगाल में मच्छर

793. श्री दिनेश जोरदार : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेंढ़कों के निर्यात तथा डी० डी० टी० की अनुपलब्धता के कारण पश्चिम बंगाल में मच्छर अत्यधिक बढ़ रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) और (ख). मच्छरों के पैदा होने में मेंढकों के निर्यात का कोई खास हाथ नहीं है। पश्चिम बंगाल में मच्छरों की रोकथाम के लिये डी० डी० टी० भी इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। मच्छरों का उपद्रव मुख्यत: क्यूलीसाइनी से होता है। पश्चिम बंगाल में प्रत्येक वर्ष बसन्त ऋतु में मच्छरों का प्रकोप बढ़ जाता है क्योंकि वहां पर यह मौसम मच्छरों के पैदा होने के लिए बड़ा अनुकूल हो जाता है। जहां पर पानी रुका रहता हो तथा ऐसी नालियों में जिनमें पानी खड़ा रहता हो ऐसे गन्दे स्थानों में मच्छर पैदा हो जाते हैं। इसका संबंध आमतौर पर सफाई और नाली की समस्याओं से जुड़ा हुआ है। कलकत्ता नगर निगम का मच्छर निरोधी विभाग कलकत्ता में मच्छर निरोधी कार्य करता है। राज्य सरकार ने मिदनापुर, कण्टई, बांकुरा, विष्णुपुर, सूरी, बोलपुर, दुर्गापुर, बज-बज, इग्लिशबाजार और बेहरामपुर नगरों में क्यूलिसाइनी की रोकथाम के लिए फाइलेरिया नियंत्रण योजनाएं पहले से ही चलाई हैं। आमतौर पर मच्छरों के नियंत्रण/उन्मूलन के लिए राज्य सरकार की कोई योजना नहीं है।

जल दूषण के कारण फैलने वाले रोग

794. **श्री सरदीश राय : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक नदियों के तटों पर बसे हजारों व्यक्ति जल दूषण के कारण पेचिश जठर आंत्रशोध, हैजा और अन्य रोगों से ग्रस्त हैं;

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ; और

(ग) जल दूषण रोकने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों से ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है। अलबत्ता यह सब जानते हैं कि स्वास्थ्य के लिए जल दूषण एक मुख्य खतरा है। दण्डाणुज अतिसार (बेसीलरी डेसन्ट्री), जठरान्त्रशोथ और हैजा ज्यादातर मौसमी बीमारियां होती हैं। अत: इन बीमारियों के लिए मात्र जल-दूषण को ही जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता।

(ख) दण्डाणुज अतिसार और जठरान्त्रशोथ के इलाज की अस्पतालों, औषधालयों और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में व्यवस्था है। जहां तक हैजे का संबंध है यह क्षेत्र राष्ट्रीय हैजा नियंत्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत आता है और इस क्षेत्र में स्थापित संघर्ष दल इस बीमारी का ख्याल रखते हैं।

(ग) केन्द्र और राज्य स्तरों पर गठित किए गए जल दूषण मण्डल इस दूषण को रोकने के लिए कार्यवाही कर रहे हैं। कूड़े-कचरे की सफ़ाई कर और औद्योगिक कड़े-कचरे को रासायनिक प्रक्रिया से साफ और पतला करने के बाद ही उसे जमीन पर अच्छी तरह निपटा कर नदियों के दूषण को कम करने का एक व्यापक कार्यक्रम आरम्भ कर दिया गया है। इसके अलावा भारत सरकार ने जल (दूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 बनाया है।

Meeting of State Labour Ministers to determine minimum wage for Agricultural Labour

795. **Shri Shankar Dayal Singh :** Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether a meeting of Labour Ministers of various States had been convened to determine the minimum wages for agricultural labour; and

(b) if so, the important decisions taken thereat ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) and (b). The question of revision of minimum rates of wages for agricultural workers was discussed in the 26th Session of the State Labour Ministers' Conference held at New Delhi on the 19th July, 1975. Conclusions are enclosed (Annexure).

Statement

Extract from the conclusions of the 26th Session of the Labour Ministers Conference held at New Delhi on 19th July, 1975

ITEM No. 2 : *Revision of minimum Rates of Wages for Agricultural Workers.*

The *Chairman* concluded that in the fixation/revision of the minimum rates of wages every State should evolve its own methodology depending upon the local conditions of wages and that the same wages should be fixed for men and women. It was also agreed that the Minimum Wages Act be amended by the Central Government to cut short the procedure for revising minimum wages in those employment where the initial exercise of fixation of minimum wages had already been done either through the committee method or by the notification method. It was further decided that States which had comparatively lower rates of minimum wages in agricultural employments and which contemplated revision of such rates should notify their proposed revised rates by the 15th August, 1975. It was also agreed that the responsibility for implementation of the minimum wage should rest with the Labour Departments but that they might enlist the support and cooperation of other sister departments in this regard wherever necessary. Where no variable dearness allowance was a content in the minimum wage rates it was agreed that the States would revise the minimum wages within a period of two years.

माल परिवहन के लिए ट्रैक्टर

796. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी :** क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को माल के परिवहन और सवारी यातायात के लिये कृषि ट्रैक्टरों के पूर्ण उपयोग पर नियामक और वित्तीय दोनों प्रकार की अनावश्यक पाबन्दियों के कारण होने वाली राष्ट्रीय हानि और परिहार्य हानि की जानकारी है ; और

(ख) यदि हां, तो इन पाबन्दियों को हटाने और कृषकों तथा राष्ट्रीय आय दोनों के हित साधन के लिये इस प्रमुखतया कृषि उपकरण का अधिकतम उपयोग करने हेतु क्या उपाय करने का विचार है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) राज्य सरकारों तथा संघ राज्य प्रशासनों ने सूचित किया है कि माल की ढुलाई के लिए कृषि ट्रेक्टरों के पूरे उपयोग पर कोई प्रतिबंध नहीं है। ऐसे ट्रैक्टरों के साथ संलग्न ट्रेलरों में यात्रियो को तो जाने की अनुमति नहीं होती है। कृषि ट्रैक्टरों के प्रयोग पर प्रतिबन्ध से कोई परिहार्य हानि अथवा राष्ट्रीय क्षति सरकार की जानकारी में नहीं आई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

बन्धुआ श्रमिकों के कल्याणार्थ संगठनों का गठन

797. **श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :**
श्री एस० एम० सिद्धय्या : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंधुआ श्रम निषेध क़ानून के पास हो जाने के बाद सरकार ने केन्द्रीय तथा राज्य स्तर के ऐसे संगठनों की स्थापना करने के लिए कोई कदम उठाए हैं जो ऐसे लोगों की देखभाल करेंगे ; तथा उनके पुनर्वास की व्यवस्था करेंगे ; और

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय स्तर पर ऐसी क्या व्यवस्था स्थापित की गई है और राज्य संगठनों को इस प्रयोजन के लिए कितनी केन्द्रीय सहायता दी जायेगी ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). जी, हां। बन्धक श्रमिकों के पुनर्वास संबंधी कार्यक्रमों का संबंध समन्वय करने तथा उनकी प्रगति पर नज़र रखने तथा इस संबंध में रिपोर्ट देने के लिए श्रम मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में एक केन्द्रीय समिति गठित की गई है जिसमें कृषि, ग्रामीण विकास, समाजिक कल्याण के विभागों, योजना आयोग, गृह मंत्रालय और अन्य संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि हैं।

केन्द्रीय सरकार ने राज्यों के मुख्य सचिवों से पहले ही अनुरोध किया है कि वे सभी व्यवस्थाओं पर नज़र रखने के लिए अपनी अध्यक्षता में समितियां गठित करे। राज्य सरकारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी योजना निधियों का एक भाग मुक्त किए गए बन्धक श्रमिकों के पुनर्वास के लिए सुरक्षित करें।

आँध्र प्रदेश में ताम्बा परियोजना

798. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश माईनिंग कारपोरेशन ने उस राज्य में मेलारम में ताम्बा परियोजना की स्थापना का कार्य आरम्भ कर दिया है ;

( ) यदि हां, तो परियोजना सम्बन्धी तथ्य क्या है तथा इसके कब तक पूरे हो जाने की सम्भावना है; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस परियोजना के लिए किसी प्रकार की सहायता दी है; और

(घ) यदि हां, तो क्या ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) आन्ध्र प्रदेश खनन निगम ने राज्य के मेलारम स्थान पर एक तांबा प्रोजेक्ट लगाने का फैसला किया है।

(ख) इस प्रोजेक्ट में टन 100 तांबा अयस्क के दैनिक उत्पादन हेतु एक भूमिगत खान का विकास करना और तदनुरूप एक सांद्रक स्थापित करना शामिल है। खान और सांद्रक का निर्माण के ठेका भारत गोल्ड माइन्स लि० को दिया जा चुका है। वर्तमान संकेतों के अनुसार इस प्रोजेक्ट के अप्रैल, 1978 तक पूरा हो जाने की आशा है।

(ग) और (घ) मेलारम में सर्वेक्षण व समन्वेषण कार्य शुरु में भारतीय भू-सर्वेक्षण संस्था द्वारा और बाद में खनिज समन्वेषण निगम द्वारा किया गया तथा 31–3–75 तक समन्वेषण पर लगभग 35 लाख रुपये खर्च हो चुके है।

बम्बई में टेलीफोन के मामले में धोखाधड़ी

799. **श्री के० लकप्पा : क्या संचार मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बम्बई में टेलीफोन के मामले में धोखाधडी हो रही है ; और

(ख) टेलीफोनों के मजूंर करने की पद्धति का पुनर्गठन करने के लिये क्या कदम उठाये गये है ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) बम्बई टेलीफोन के तीन कर्मचारियों को केन्द्रीय जांच ब्यूरो के कर्मचारीयों ने तारीख 31–1–1975 को एक चाल चलकार उपभोक्ता के अहाते में टेलीफोन के तार बदलने के सिलसिले में उस उपभोक्ता से प्रत्यक्ष रूप में 170 रुपये लेते हुए पकड लिया। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने जांच पडताल के लिये एक आपराधिक मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने अभी तक यह नहीं कहा है कि इस में कोई रैकेट काम कर रहा है।

(ख) जिन आवेदकों के नाम रजिस्टर में दर्ज होते हैं उन के नाम पर नये टेलीफोन कनेकशनों की मंजूरी डाक तार निदेशालय द्वारा स्पष्ट रूप से जारी किये गये नियमों और प्रक्रियाओं के अनुसार दी जाती है। सरकार ने हाल ही में एक पेशगी जमा योजना लागू की है। विभिन्न एक्सचेंजों की प्रतीक्षा सूचियां तारीख 1–9–75 पहले जो विद्यमान थी उन्हें फिर से तैयार किया जायेगा। इन में सिर्फ़ उन लोगों के नाम रखे जायेंगे जो पेशगी जमा रकम की अदायगी कर देते है। टेलीफोनों के हस्तातंरण से संबंधित नियमों और विनियमों को उदार और सरल बना दिया गया है ताकि टेलिफोनों के अनधिकृत रूप से इस्तेमाल करने के मामले कम किये जा सकें।

संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए कार्यवाही

800. **श्री पी० गंगादेव : क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में संक्रामक रोगों से 50 प्रतिशत रोगीयों में विकृति आ जाती है और 30 प्रतिशत रोगी मर जाते है; और

(ख) यदि हां, तो उन रोगों के उन्मूलन के लिये क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) यह अनुमान है कि भिन्न-भिन्न बीमारीयों से होने वाली मौतों में से लगभग 50 प्रतिशत संचारी रोगों से होती है और ये रोग देश की कुछ रुग्णता का लगभग 75 प्रतिशत है।

(ख) भारत सरकार ने पहले से ही मुख्य मुख्य संचारी रोगों की रोकथाम के लिये देश में अनेक नियंत्रण/उन्मूलन संबंधी कार्यक्रम आरम्भ किया हुए हैं जो इस प्रकार हैं—राष्ट्रीय चेचक उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम, राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय क्षमरोग नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय हैजा नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम, राष्ट्रीय रोहे नियंत्रण कार्यक्रम और राष्ट्रीय रतिरोग नियंत्रण कार्यक्रम।

ठोस प्रयत्नों के परिणाम स्वरुप चेचक से ग्रस्त रोगीयों की संख्या जुलाई 1975 से शून्य हो गई है। अन्य संचारी रोगों पर काबू पाने को लिये भी कारगर कार्यवाही की जा रही है।

राउरकेला इस्पात कारखाने में पाइपलाइन परियोजना

802. **श्री रघुनन्दनलाल भाटिया :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राउरकेला इस्पात कारखाना एक वृहत पाइपलाइन परियोजना बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस परियोजना से बढ़ते हुए तेल उद्योग को मांग पूरी होगी;

(ग) क्या इस कारखाने में अब तक आयात किया जाने वाला विशेष इस्पात मिश्र धातु आरम्भ कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) जी हां।

(ख) से (घ). राउरकेला में एक स्पायलरली वेल्डिड स्टील प्लांट लगया जा रहा है। इस प्लान्ट को लगाने का मुख्य उद्देश्य मथुरा में लगाये जाने वाले तेल साफ करने के कारखाने के लिये कच्चा तेल ले जाने हेतु विरामग्राम मथुरा पाइपलाइन के लिये भारतीय तेल निगम की पाइपलाइन प्रायोजना की आवश्यकता की पूर्ति करना है। राउरकेला इस्पात कारखाने ने नियोबियम बेयरिंग हाई स्ट्रेग्थ लो अलाय स्टील प्लेटों का सफलता पूर्वक विकास कर लिया है। नियोबियम बेयरिंग हाई स्ट्रेग्थ लो अलाय स्टील प्लेटों की मुख्य विशेषतायें निम्नलिखित हैं :–

(i) हाई ईल्ड स्ट्रेंग्थ

(ii) अधिक कठोरता।

खानों के बन्द होने के कारण रोजगार को हानि

804. **श्री समर मुखर्जी :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गत एक वर्ष में खानों के बन्द होने से कुल कितने श्रमिक बेरोजगार हुए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

खाड़ी के देशों में गये भारतीयों के पारपत्र के लिये अनिर्णीत पड़े आवेदन पत्र

805. **श्री सी० एच० मोहम्मद कोया :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन यापन की खोज में वैध दस्तावेज प्राप्त किये बिना अरब की खाड़ी के देशों में गये अनेक भारतीयों ने भारतीय पारपत्र के लिए आवेदन-पत्र दिये हैं ;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने बहुत से इन आवेदन पत्रों पर कोई कार्यवाही नहीं की है ; और

(ग) क्या इन आवेदन पत्रों पर मंत्रालय का शीघ्र कार्यवही करने का कोई प्रस्ताव है ?

विदेश मंत्री श्री यशवंतराव चव्हान : (क) खाड़ी के देशों में स्थित हमारे मिशनों को इस प्रकार के लोगों से पासपोर्ट के कुछ आवेदन मिले हैं।

(ख) चूंकि आवेदन-कर्ता अपनी राष्ट्रीय हैसियत सिद्ध करने के लिए कोई वैध प्रलेख प्रस्तुत करने में समर्थ नहीं हैं, इसलिए उन्हें पासपोर्ट जारी करने से पहले संबद्ध मिशनों को भारत में राज्य सरकारों के जरिये उनकी राष्ट्रीय हैसियत तथा उनके चाल-चलन की जांच करनी है।

(ग) राज्य सरकारो को इस तरह के मामलों में जल्दी कार्रवाई करने का स्मरण कराया जाता है।

अगरतला में मेडीकल कालेज

806. **श्री दशरथ देव :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार को त्रिपुरा सरकार से अगरतला में मेडिकल कालेज खोलने के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया रही ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन में उपमंत्री (श्री ए०के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री इंजीनियरों की कमी

807. **श्री के० सूर्यनारायण :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या व्यापारिक बेड़े की बढ़ती हुई मांग की पूर्ति के लिये देश में समुद्रीय इंजीनियरो तथा नौपरिवहन अधिकारियों की भारी कमी है,

(ख) यदि हां, तो इस कमी की पूर्ति के लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं, और

(ग) क्या व्यापारिक बेड़े की नौकरी को शिक्षित युवको के लिए अधिक आकर्षक बनाने के विचार से सरकार का नौवहन कम्पनियों को अधिकारियो और नाविकों की उपलब्धियो, परिलब्धियों और छुट्टी सुविधाओं को बढ़ाने की सलाह देने का है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पिछले कुछ समय से भारतीय नौवहन कम्पनियों को प्रमाणपत्र धारी व्यापार पोत अधिकारियों, विशेष कर कनिष्ठ अधिकारियों की कमी का अनुभव हो रहा है।

(ख) इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने डैक प्रशिक्षार्थियों और कनिष्ठ इंजीनियरों पर एक अनुबंध पत्र द्वारा प्रतिबन्ध लगाने का निश्चय किया है जिससे वे अपना पहला प्रतियोगिता प्रमाण पत्र के बाद भारतीय नौवहन कंपनियों में कम से कम 5 वर्ष तक सेवा करने के लिए वचनबद्ध होते हैं। सरकार ने तत्काल की कमी को पूरा करने के लिए प्रशिक्षण संस्थानो में प्रशिक्षार्थियो की संख्या बढ़ाने के लिए अन्य उपाय भी किये हैं।

(ग) व्यापार पोत अधिकारियों और कर्मीदल की परिलब्धियों में अभी हाल ही में वृद्धि की गई है।

उड़ीसा में सोने के निक्षेपों का पता लगना

808. **श्री चिन्तामणी पाणिग्रही** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा के क्योंझर जिले में सलईकाना क्षेत्र में सोने के निक्षेपों का पता लगा है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और अब तक कितनी मात्रा में सोने के निक्षेप पाये जाने का अनुमान है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) :(क) और (ख). उड़ीसा सरकार के खान निदेशालय द्वारा किए गए प्रारंभिक खोज कार्य से क्योंझर जिले के सलईकाना इलाके की पुरानी खदानों के खत्तों में सोना होने का पता चला है। चूंकि अभी खोज का काम पूरा नहीं हुआ है, अतः ब्यौरा देना संभव नहीं है।

श्वांस में कोयले की गर्द जाने से कोयला खनिकों के फ़ेफ़ड़ों का रोग

809. **श्री बंसत साठे** :
श्री भान सिंह भौरा :
डा० सरदीश राय :
श्री रघुनन्दन लाल भाटिया :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या झरिया कोयला खान में किए गए नमूना सर्वेक्षण से पता चला है कि श्वांस में कोयले की गर्द जाने से लगभग 8 प्रतिशत खनिकों को न्युमोको निमोसिस नामक फ़ेफड़े की बीमारी है ;

(ख) सर्वेक्षण के अन्य महत्वपूर्ण निष्कर्ष क्या है ; और

(ग) कोयले की गर्द से फ़ेफ़ड़ों को रोगग्रस्त होने से बचाने के लिए कौन से अतिरिक्त सुरक्षा उपाय किए गए हैं / करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) पटना के चिकित्सा विज्ञानों से संबंधित राजेन्द्र मेमोरियल रिसर्च इन्स्टिट्यूट द्वारा झरिया कोयला क्षेत्रो में श्रमिकों के स्वास्थ्य के संबंध में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार कोयले की धूलि के कारण 'वायुधात्विक रोग' की घटनाएं लगभग 8 प्रतिशत पायी गईं।

(ख) इस सर्वेक्षण के अन्य महत्वपूर्ण जांच-परिणाम निम्न प्रकार हैं .—

(1) जीर्ण श्वासनलीशोथ	2.96 प्रतिशत
(2) रक्तहीनता	41.97 प्रतिशत
(3) हुकबांमें पीड़ा	43.9 प्रतिशत
(4) फेफड़ो का तपेदिक	7.46 प्रतिशत

(ग) कोयला खान विनियमन में निर्धारित किए गए एहतियाती उपायों के अलावा, जिनमें कार्य स्थलों के 90 मीटर के अन्दर-अन्दर धूलि को पानी से दबाना और संवातन के बेहतर स्तर शामिल हैं, खान सुरक्षा महानिदेशक ने उद्योग को जारी किए गए परिपत्र में धूलिमयता के मानक निर्धारित किए हैं। खान प्रबन्धकों को सलाह दी गई है कि वे खान सुरक्षा संबंधी तीसरे सम्मेलन की सिफारिशों के अनुसार व्यावसायिक स्वास्थ्य सेवा एकक स्थापित करें। खान सुरक्षा महानिदेशालय ने राष्ट्रीय व्यावसायिक स्वास्थ्य संस्थान के सहयोग से 24 नवम्बर से 29 नवम्बर, 1975 तक वायुधात्विक रोग के बारे में कोलियरियों के डाक्टरों को इस बीमारी के निदान तथा उसकी रोक थाम में प्रशिक्षण देने के लिए एक अल्पकालिक पाठ्यक्रम आयोजित किया।

भारत और श्रीलंका के बीच "मनीला ड्राफ्ट" पर वार्ता

810. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और श्रीलंका के बीच "मनीला ड्राफ्ट" पर दिल्ली में वार्ता हुई थी ; **और**

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) और (ख) : आर्थिक, व्यापारिक और तकनीकी सहयोग के लिए भारत-श्रीलंका संयुक्त आयोग की तीसरी बैठक में द्विपक्षीय आर्थिक हित के मामलों पर विचार-विमर्श किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक घटनाओं पर सामान्य रूप से विचार-विनिमय हुआ था। लेकिन 77 देशों की मनीला घोषणा पर विशेष रूप से कोई चर्चा नहीं हुई थी।

Liver disease against Coal Miners due to polluted Coal dust

811. **Shri Chandra Shailani** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether a sample survey has been conducted in Jharia Coal mine which has revealed that 8 percent of the miners suffer from liver diseases due to polluted coal dust; and

(*b*) if so, the Government's reaction thereto and the measures being taken to save the miners from this serious disease ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma): (a) A sample survey was conducted in Jharia Coal mines by the Rajendra Memorial Research Institute of Medical Sciences, Patna. The Survey has revealed that around 8 per cent of the miner suffered from lung disease (and not liver disease) due to coal dust.

(b) Apart from the precautionery measures laid down in the Coal Mines Regulations which include suppression of dust with water within 90 metres of working faces and better standards of ventilation, the Director General of Mines Safety has recently laid down the standards of dustines in a circular issued to the industry. The mine managements have also been advised

to establish Occupational Health Service Units in accordance with the recommendations of the Third Conference on Safety in Mines. A short term specialised course on pneumoconiosis was also organised by the Directorate General of Mines Safety in collaboration with the National Institute of Occupational Health from 24th November to 29th November 1975 for training of the colliery doctors in the matter of diagnosis and prevention of the disease.

दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में नई टेलीफोन लाइनों का चालू किया जाना

812. **श्री समर गुह** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में वर्ष 1973–75 के दौरान पृथक-पृथक कितनी नई टेलीफोन लाइनें चालू की गई ;

(ख) उपरोक्त नगरों के सम्बंध में इन वर्षों के दौरान लम्बी दूरी के कितने कनेक्शन लगाये गये; और

(ग) वर्ष 1976 के दौरान नये कनेक्शन देने की क्या योजनाएं हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में वर्ष 1973–75 के दौरान चालू की गयी नई टेलीफोन लाइनों की संख्या नीचे दी गयी है :—

दिल्ली	15,000 लाइनें
बम्बई	29,500 लाइनें
कलकत्ता	16,100 लाइनें
मद्रास	13,100 लाइनें

(ख) ट्रंक कालों के लिए उपर्युक्त अवधि में इन शहरों तक पहुंचाए गए लम्बी दूरी के ट्रंक सर्किटों की संख्या नीचे दी गयी है जिनमें उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सर्किट भी शामिल हैं :—

दिल्ली	322
बम्बई	189
कलकत्ता	221
मद्रास	467

(ग) ऐसा प्रस्ताव है कि वर्ष 1976 में इन टेलीफोन प्रणालियों में लाइनों की नीचे लिखी क्षमता बढ़ा दी जाए :

	वर्ष 1976 में 10–3–76 तक चालू की गई	1976 में बढ़ाये जाने की संभावना	योग
बम्बई	5,000	23,000	28,000
दिल्ली	2,500	26,900	29,400
कलकत्ता	4,800	14,500	19,300
मद्रास	—	5,000	5,000

वर्ग स्टेशनों पर काल आफिस तथा पब्लिक काल आफिस बनाना

813. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हानि के आधार पर काल आफिस तथा पब्लिक काल आफिस बनाने के लिये किन किन जगहों को वर्ग स्टेशन माना जाता है ;

(ख) प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में ऐसे कितने सामुदायिक विकास खंड हैं जिनमें पब्लिक काल आफिस बनाये गये हैं और प्रत्येक राज्य / संघ राज्य क्षेत्र में कितने खंड हैं ; और

(ग) सभी सामुदायिक विकास खंडों और मुख्यालयों में कब तक पब्लिक काल आफिस बना दिये जायेंगे ताकि ग्रामीण विकास को गति मिले ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) और (ख) इस बारे में एक विवरण पत्र (अनुबंध क और ख) सभा पटल पर रखा जाता है। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 10465 / 76]

(ग) आशा है कि पांचवीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक उन खंड मुख्यालयों में सार्वजनिक टेलीफोन घर खोल दिए जाएंगे जो राजस्व (आय) की संबंधित शर्तों को पूरा करते हैं।

मंडी, हिमाचल प्रदेश में डाक तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता बहाल करना

814. **श्री नारायण चन्द पराशर :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंडी, हिमाचल प्रदेश के डाक-तार कर्मचारियों को परियोजना भत्ता बहाल कर दिया गया है, जैसा कि अन्य परियोजना कर्मचारियों को उपलब्ध है ; और

(ख) यदि हां, तो उनका भत्ता कब से बहाल किया गया था ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध में मजदूर संघों को सम्बद्ध करना

815. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार ने इस्पात और खान मंत्रालय के अधीन सरकारी क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों के प्रबन्ध में मजदूर संघों के प्रतिनिधियों को सम्बद्ध करने के लिये क्या ठोस उपाय किये हैं अथवा करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : इस्पात उद्योग के प्रबन्ध में कामगारों की भागीदारी की एक सुव्यवस्थित तथा व्यापक पद्धति काफी समय से विद्यमान है। नए आर्थिक कार्यक्रम के अनुसार इस पद्धति में और गति लाई गई है और इसे नई दिशा दी गई है। जहां कहीं आवश्यक था वहां नई समितियों का गठन किया गया है तथा इस बात के उपाय किए गए हैं कि वर्तमान समितियां

अधिक प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। इस समय इस्पात विभाग के अधीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में कर्मशाला तथा संयंत्र स्तर पर लगभग 400 द्विपक्षीय समितियां कार्य कर रही हैं। इन समितियों का क्षेत्र काफी व्यापक है जिसमें उत्पादन, उत्पादिता, सुरक्षा शिकायत निवारण तथा सुख सुविधाएं आदि शामिल हैं। उद्योग में कर्मशाला तथा संयंत्र स्तर पर मजदूरों की भागीदारी के बारे में सरकार के दिनांक 30 अक्तूबर, 1975 के संकल्पों के उपबन्धों के अनुसार विभिन्न समितियों के गठन और कार्यों में कुछ मामूली परिवर्तन किए जा रहे हैं।

खान विभाग के अधीन मजदूरों की भागीदारी की योजना भारत एल्यूमीनियम कंपनी लि०, भारत गोल्डमाइन्स लि०, मिनरल एक्सप्लोरेशन कारपोरेन लि०, हिन्दुस्तान कापर लि०, और हिन्दुस्तान जिंक लि० में आरम्भ की गई है।

श्रीलंका को भारतीय प्रतिनिधि मंडल

816. **श्री वीरभद्र सिंह :** क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक भारतीय प्रतिनिधिमंडल हाल ही में श्रीलंका गया था ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं, और

(ग) प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम क्या हैं और वहां किन विषयों पर चर्चा हुई ?

विदेश मंत्री (श्री यशवंतराव चव्हाण) : (क) से (ग). विदेश सचिव के नेतृत्व में भारत सरकार के एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 से 17 जनवरी, 1976 तक (i) मनार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी में दोनों देशों के बीच समुद्री सीमा और (ii) कोलम्बो में होने वाले गुट-निरपेक्ष शिखर सम्मेलन से संबद्ध मामलों के बारे में विचार विमर्श के लिए श्रीलंका की यात्रा की।

प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों का विवरण अनुबंध में दिया गया है।

विवरण

भारतीय प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों के नाम जिन्होंने 14 से 17 जनवरी, 1976 तक कोलम्बो की यात्रा की :

1. श्री केवल सिंह, विदेश सचिव, विदेश मंत्रालय . . . . नेता
2. श्री एस पी० जैन०, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।
3. श्री शहाबुद्दीन, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।
4. डा० एस० पी० जगोटा, संयुक्त सचिव, विदेश मंत्रालय।
5. श्री विनय वर्मा, निदेशक, विदेश मंत्रालय।
6. श्री एस० पी वालसुब्रमणियम, संयुक्त सचिव, कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय।
7. श्री पी० सी० जार्ज, संयुक्त निदेशक (मात्स्यकी), कृषि एवं सिंचाई मंत्रालय।
8. श्री एफ० एल० फ्रेजर, भारत सरकार के जल सर्वेक्षक, देहरादून।

विदेश उप मंत्री द्वारा अफ्रीकी देशों का दौरा

817. श्री वीरभद्र सिंह :

श्री राज राज सिंह देव : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विदेश उपमंत्री ने हाल ही में कुछ अफ्रीकी देशों का दौरा किया था और उन देशों के अधिकारियों के साथ बातचीत की थी ; और

(ख) यदि हां, तो दौरो और वहां पर हुई बातचीत का संक्षिप्त व्यौरा क्या है ?

विदेश मंत्री **(श्री यशवंतराव चव्हाण)** : (क) और (ख) . जी हां। विदेश मंत्रालय में उप मंत्री, श्री बिपिनपाल दास ने हाल में अफ्रीका के निम्नलिखित देशों की यात्रा की थी : (1) मोरिशस, (2) कीनिया, (3) सूडान, (4) तन्जानिया, (5) जम्बिया, (6) जाइर (7) नाइजीरिया (8) घना (9) आइवरी कोस्ट, (10) गिनी (11) सेनेगल और (12) उगांडा।

ये यात्राएं सदभाव के नाते की गई थीं और इनसे भारत और उन देशों के बीच द्विपक्षी संबंधों को मजबूत करने का उद्देश्य पूरा हुआ जिनकी उन्होंने यात्रा की। इन देशों के नेताओं के साथ आपसी हितों के मामलों पर विचार विनिमय हुआ। इन विचार-विनिमयों से इस बात की पुष्टि हुई कि महत्पूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर और गुट निरपेक्ष देशों के अंदोलन की और मजबूत करने की आवश्यकता पर दोनो ओर के विचारों में मोटे तौर पर समानता है। दक्षिण अफ्रीका की समस्याओं पर विशेष रुप से विचार विमर्श हुआ। अफ्रीका के मुक्ति आंदोलनों के प्रति भारत के समर्थन की उन देशों में, जिनकी उन्होंने यात्रा की बहुत सराहना की गई।

आजकल श्री बिपिनपाल दास तूनीसिया और लीबिया की यात्रा पर गए हुए हैं।

शिक्षित बेरोजगार

818. **श्री वसन्त साठे** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1970–75 के दौरान शिक्षित बेरोजगारों की संख्या 18.20 लाख से बड़कर 41 लाख हो गई है परन्तु दूसरी और अधिसूचित रिक्तियों और भरे गए स्थानों की संख्या इतनी कम हो रही है कि संगठित क्षेत्र में रोजगार की औसत वार्षिक विकास दर जो 1961–71 में 3.25 प्रतिशत थी वह 1974 में 2.4 प्रतिशत रह गई है ;

(ख) यदि हां, तो इस बारे में अढ़ियतन प्रवृत्ति क्या है और समेकित संसाधन/क्षेत्र विकास के कार्यक्रम में जन संसाधानों के युक्तिसंगत एव अधिकतम उपयोग के लिए क्या उपाय/कार्यवाही करने का विचार है ; और

(ग) इस बारे में क्या योजना बनाने का विचार है / नीति तैयार की गई है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) :(क) से (ग) यद्यपि शिक्षित बेरोजगारों के यथार्थ आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं, तो भी रोजगार कार्यालयों में दर्ज नौकरी चाहने वाले शिक्षित व्यक्तियों (जो सभी अनिवार्यत : बेरोजगार नहीं हैं) की संख्या दिसम्बर, 1970 के अंत में

18.22 लाख थी, जो बढ़कर जून, 1975 के अंत में 43.42 लाख हो गई। वर्ष 1970 से 1975 के दौरान अधिसूचित और रोजगार कार्यालयों के माध्यम से भरे गए रिक्त स्थानों के संबंध में सुचना इस प्रकार है :—

वर्ष	अधिसूचित रिक्त स्थान	भरे गए रिक्त स्थान (हजारों में)
1970	744.4	447.2
1971	813.6	507.0
1972 . .	858.8	507.1
1973	871.4	518.8
1974	672.5	396.9
1975	681.6	404.1

जहां तक संगठित क्षेत्र में रोजगार की विकास दर की प्रवृत्ति का संबंध है, औसत वार्षिक विकास 1961 से 1971 की समयावधि के दौरान 4.43% था, परन्तु 1971–75 की समयावधि के दौरान 3.2% था।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार नीति, कृषि, सिंचाई, बिजली उत्पादन, मुख्य सिंचाई प्रणालियों का कमान क्षेत्र विकास, कुटीर लघु और मध्यम उद्योगों, समाज सेवाओं, व्यापार, वाणिज्य तथा अन्य अनुषंगी एवं सम्बद्ध कार्यकलापों जैसे विभिन्न क्षेत्रों में योजना कार्यक्रम कार्यान्वित करके बेरोजगारों (शिक्षतो सहित) के लिए पर्याप्त रोजगार अवसरों की व्यवस्था करना है।

पोत निर्माण उद्योग को उन्नत बनाने के लिए ब्रिटिश सहायता

819. **श्री राज राज सिंह देव** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पोत निर्माण उद्योग को उन्नत बनाने के लिए सरकार ने ब्रिटिश विशेषज्ञों से सम्पर्क स्थापित किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में ब्रिटिश विशेषज्ञों ने क्या उत्तर दिया है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी): (क). हिन्दुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड में पोत निर्माण क्षमताओं के सुधार तथा विस्तार के लिए ब्रिटिश परामर्शकों को लगाया गया है।

(ख). ब्रिटिश परामर्शक पहले ही कार्य कर रहे हैं।

Construction of National Highways

820. Shri G. C. Dixit : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the position in regard to construction of National Highways along with road diversions in Madhya Pradesh ; and

(b) the major bridges on national highways construction of which has not yet been completed ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh) :

(a) & (b). A statement indicating the position is attached. [Placed in the Library. *See* No.L.T.—10466/76]

Setting up Telecommunication Industries in Madhya Pradesh

821. Shri G.C. Dixit : Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) Whether Central Government have received any proposal from Madhya Pradesh Government for setting up more telecommunication industries in the State ;

(b) if so, outlines thereof ; and

(c) the decision taken thereon ?

The Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) :

(a). Yes, Sir.

(b). The Government of Madhya Pradesh have suggested certain sites suitable for location of telecommunication factories.

(c). The question of location of the new units of Indian Telephone Industries Ltd., to be set up during the Fifth Five Year Plan period, is under consideration.

Post Offices Opened in M. P.

822. Shri G.C. Dixit: Will the Minister of **Communications** be pleased to state :

(a) the number of post offices opened in Madhya Pradesh in 1975 ; and

(b) whether keeping in view the population and the large size of the area these figures are less or more compared to the figures of other States ?

Minister of Communications (Dr. Shanker Dayal Sharma) :

(a). 351

(b). Even with the opening of these offices, the postal facilities provided in M.P. are inadequate considering the population and the facilities available in other States.

Bauxite Deposits in Madhya Pradesh

823. Dr. Laxminarain Pandeya : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) whether there are rich deposits of bauxite in Jhabua, Bastar, Sarguja and Bilaspur in Madhya Pradesh ;

(b) whether only small quantity of bauxite is being utilised in the BALCO plant in Korba at present ;

(c) if so, whether Government have under consideration any scheme to utilise it ; and

(d) if so, the facts thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Suukhdev Prasad):

(a). 3.8 and 21.9 million tonnes of bauxite reserves have been estimated in Bilaspur & Sarguja District respectively, minor occurences of bauxite have been reported from Bastar District.

(b) to (d) The production of alumina from Korba plant is regulated to match the smelting capacity that has been commissioned. So far a smelting capacity of 25,000 per annum has been commissioned out of a licensed capacity of 100,000 tonnes of metal per annum. When the smelter is fully commissioned, there will be greater utilisation of bauxite for the alumina plant which at present is exploiting of 10 million tonnes of bauxite for Mandla, Bilaspur and Shahdol districts and Phutkapahar deposits in Bilaspur District.

Coal Production in Chasnala Mine

824. **Shri Bhagirath Bhanwar** : Will the Minister of **Steel and Mines** be plaeased to state :

(a) the monthly producion of coal from Chasnala mine prior to the recent accident ; and

(b) the total loss, including machinery, etc. suffered in this accident ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev prasad): (a) The monthly production of coal from the Chasnala underground mine prior to the accident was about 10,000 tonnes.

(b) This is still been assessed.

इस्पात की कतरनों के निर्यात पर लगे प्रतिबन्ध को हटाना

825. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस्पात कतरन उद्योग ने सरकार से इस्पात कतरनों के निर्यात पर लगे प्रतिबंध को हटाने का अनुरोध किया है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ; और

(ग) क्या इस्पात कतरन उद्योग में वित्तीय संकट है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) और (ख) वर्तमान नीति में लोहयुक्त स्क्रैप के निर्यात पर पूर्णतया प्रतिबंध नहीं है। कुछ प्रकार के लोहयुक्त स्क्रैप की, जो आन्तरिक खपत से बच जाता है, माध्यम अधिकरण अर्थात् मेटल स्क्रेप ट्रेड कारपोरेशन लिमिटेड की मार्फत निर्यात करने की अनुमति है। स्क्रैप संस्थाओं से लोहयुक्त स्क्रैप के लिए निर्यात नीति में ढील देने के बारे में सुझाव प्राप्त हुए हैं। उन पर विचार किया गया था और, जहां कहीं उचित था वर्तमान निर्यात नीति में ढील देकर तदर्थ आधार पर निर्यात करने की अनुमति दे दी गई थी।

(ग). इस बारे में कोई पक्की जानकारी नहीं है कि स्क्रैप उद्योग को वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है ? .

Scheme to Provide Employment to Women

826. **Shri Ramavatar Shastri** : Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) whether Government have formulated any scheme to provide employment to the women;

(b) if so, the main features thereof ; and

(c) the number of women likely to get employment as a result thereof ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Verma) : (a) to (c) No scheme, as such, has been formulated. However, women have got equal opportunities to seek employment according to their educational attainment and suitability in various schemes and programmes taken up during the Fifth Plan.

Estimates of women likely to get employment during the Fifth Plan peroid under Plan Schemes are not available.

झरिया कोयला खान की सुरक्षा के बारे में जांच

827. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान अनुसंधान संस्थान ने झरिया कोयला खान की सुरक्षा के बारे में जांच की है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है ।

भारत कोकिंग कोल लि०, की कोयला खानों में दुर्घटनाएं

828. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चसनाला खान दुर्घटना के पश्चात् कोयला खानों में दुर्घटनायें बढ़ रही हैं;

(ख) क्या 'भारत कोकिंग कोल लि०' की कटरास, चोइतुदीह, केसलपुर, रामभोली तथा विक्टोरिया पश्चिम कोयला खानों में गंभीर दुर्घटनायें हुई थीं जहां इस वर्ष फरवरी के प्रथम सप्ताह में बहुत से श्रमिक मर गए ; और

(ग) यदि हां, तो दुर्घटनाओं में वृद्धि के क्या कारण हैं और इन आए दिन होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सरकार का विचार क्या कार्यवाही करने का है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, चासनाला खान दुर्घटना के बाद कोयला खानों में 41 घातक दुर्घटनायें घटित हो चुकी हैं ।

(ख) रामकनाली कोलियरी और विक्टोरिया वैस्ट कोलियरी में एक-एक गम्भीर दुर्घटना हुई जिनमें 4 व्यक्तियों को गम्भीर चोटें आई और 1 व्यक्ति को मामूली चोटें लगीं । केशालपुर कोलियरी और कतास चोइटोडिह कोलियरी में एक-एक घातक दुर्घटना हुई जिनमें 2 व्यक्ति मारे गए तथा एक व्यक्ति को मामूली चोटें आई ।

(ग) ऊपर दी गई घटनायें यह प्रदर्शित नहीं करतीं कि दुर्घटनाओं में वृद्धि हुई है । जहां तक सुरक्षा संबंधी उपायो का संबंध है, पर्यवेक्षण को कड़ा करने और सुरक्षा उपायों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों की व्यवस्था करने के लिए कार्यवाही की जा रही है तथा प्रबंधकों को भी सलाह दी जा रही है कि वे सुरक्षा संबंधी उपायों का दृढ़ता से अनुपालन करें ।

विशाखापतनम पतन में पोत-दुर्घटना

829. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 10 फरवरी, 1975 को विशाखापत्तनम पत्तन पर हुई पोत-दुर्घटना में 2 श्रमिकों की मृत्यु हुई थी और कई अन्य घायल हुए थे ;

(ख) यदि हां, तो दुर्घटना के कारण क्या थे, जांच रिपोर्ट क्या है और मृत व्यक्तियों के निकट संबंधियों को क्या मुआवजा दिया गया है ; और

(ग) दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) विशाखापत्तनम पत्तन में 10-2-1975 को ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। संभवतया आशय उस दुर्घटना से है जो उक्त पत्तन में 12 फरवरी, 1976 को एम० वी० 'रत्न मनोरमा' जहाज में हुई इस दुर्घटना में दो गोदी कर्मचारी मारे गए और अन्य तीन घायल हुए।

(ख) **दुर्घटना के कारण** : दुर्घटना हैच दो के डेक पान्टूनों के बीच के सामने के हिस्से का इस्पात विलेटो के भार के साथ नीचे के फल का में गिरने से हुई।

जांच रिपोर्ट : गोदी सुरक्षा निरीक्षक द्वारा जांच की जा रही है। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट और रेवेन्यू डिविजनल अधिकारी विशाखापत्तनम द्वारा भी न्यायिक जांच की जा रही है।

मुआवजा : दो मृतक कर्मचारियों में से प्रत्येक के परिवार को राज्य सरकार, गोदी श्रम बोर्ड और संबंधित नौभरक द्वारा 500 रु० की अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई। इसके अलावा दोनों मृतक कर्मचारियों के सम्बन्धी कर्मचारी प्रतिभूति अधिनियम के अधीन प्रत्यक को लगभग 10,000 रु० की प्रतिपूर्ति कर्मचारी प्रतिपूर्ति आयुक्त के पास उनकी सलाह पर जमा कर दी जायेगी।

जहां तक घायल कर्मचारियों का संबंध है कर्मचारी प्रतिपूर्ति अधिनियम के अन्तर्गत अदायगियों के अतिरिक्त तीनों घायल कर्मचारियों में से प्रत्येक को प्रतिमास 150 रू० की असमर्थता अनुग्रहपूर्वक अदायगी की स्वीकृति दे दी है बशर्ते कि वह राशि 400 रू० से अधिक न हो।

(ग) दुर्घटना के लिए किसी व्यक्ति को जिम्मेदार ठहराने और उसके विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न केवल तभी उठता है जब जांच पूरी हो जाए।

दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण के मामले

830. **सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आपात स्थित के दौरान दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण के कितने मामले हुए और इस खाद्य अपमिश्रण अधिनियम, 1954 के अन्तर्गत कितने मामलो में मुकदमा चलाया गया ;

(ख) क्या किन्हीं सरकारी होटलों या सरकारी समितियो के विरुद्ध भी मुकदमा चलाया गया है ;

(ग) ऐसे व्यक्तियों के नाम क्या हैं और उन्हें दण्ड क्या दिया गया है ; और

(घ) इस कदाचार को रोकने के लिए सरकार का तत्काल क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) अनन्तिम रिपोर्टों के अनुसार 1–7–75 से दिल्ली में खाद्य अपमिश्रण के 470 मामलों का पता लगाया गया। 252 मामलो में मुकदमें चलाये गए जिनमें, आपात स्थिति की घोषणा से पहले पता लगाए गए कुछेक मामले भी शामिल हैं।

(ख) और (ग) निम्नलिखित चार सहकारी समितियों पर मुकदमें चलाये गए हैं :—

1. टेलिकम्युनिकेशन स्टाफ कोआपरेटिव कैन्टीन, किदवई भवन, नई दिल्ली।
2. इंडियन एअर लाइन्स कोआपरेटिव कैन्टीन, इंडियन एअर लाइन्स भवन, नई दिल्ली।
3. इंडियन मैट्रोलाजीकल कोआपरेटिव कैन्टीन, नई दिल्ली।
4. इंडियन काफी हाउस कोआपरेटिव केन्टीन, नई दिल्ली। ये मामले अभी न्यायालय में चल रहे हैं।

(घ) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम को लागू करने वाले स्टाफ को सुदृढ़ किया जा रहा है। आशा है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 के उपबंधों से मिलावट रोकने में काफी जोरदार प्रभाव पड़ेगा।

क्ले खानों और कृषि श्रमिकों के लिये न्यूनतम मजूरी अधिनियम की क्रियान्विति

831. सरदार स्वर्ण सिंह सोखी :
डा० लक्ष्मी नारायण पाँडेय :

क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यूनतम मजूरी अधिनियम क्ले, चाइना क्ले, फ़ायर क्ले तथा देश की अन्य ऐसी खानों के श्रमिकों और कृषि श्रमिकों पर पूर्णतः लागू कर दिया गया है ;

(ख) कृषि श्रमिकों के लिए दैनिक मजूरी दरो में अन्तर के क्या कारण हैं, जो हर राज्य में समान कार्य के लिए अलग-अलग हैं ;

(ग) न्यूनतम मजूरी अधिनियम के अन्तर्गत विशेष रूप से बड़े भूमिधरों और खान मालिकों के विरुद्ध उक्त अधिनियम के उल्लंघन के लिए अब तक कितने मुकदमे चलाये गये हैं ; और

(घ) उक्त अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए सरकार का क्या दोषहीन कार्यवाही करने का विचार है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, कृषिक श्रमिकों पर लागू होता है और न्यूनतम मजदूरियां केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों दोनों द्वारा अपने तत्संबंधी कार्रवाई के कार्य क्षेत्रों में निर्धारित की गई है।

इस अधिनियम को हाल में क्ले, चाइना क्ले और फायर क्ले खानों के श्रमिकों पर भी लागू किया गया है और आपत्तियां/सुझाव आमंत्रित करने के लिए न्यूनतम मजदूरियां निर्धारित करने सम्बन्धी प्रस्ताव अधिसूचित किए गए हैं। इन प्रस्तावों को शीघ्र ही अन्तिम रूप दिए जाने की आशा की जाती है।

(ख) अन्तर, मुख्यतया हर राज्य में स्थानीय परिस्थितियों में अन्तर के कारण है ; इसके अलावा, पुनरीक्षण विभिन्न तारीखों पर किए जाते हैं।

(ग) जहा तक कृषि का सम्बन्ध है, श्रमिकों का बड़ा समूह राज्य के कार्य क्षेत्र में आता है और केन्द्रीय कार्य क्षेत्र में आने वाले श्रमिकों की संख्या बहुत कम है, जिसमें केवल मिलिट्री फार्मस, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के उद्यान संबंधी प्रभाग आदि शामिल हैं। केन्द्रीय क्षेत्र में कोई अभियोजन नहीं चलाए गए और पायी गई अनियमितताओं को विभागीय कार्यवाई द्वारा सुधारा गया है।

जहां तक खानों का सम्बन्ध है, जिनके लिए न्यूनतम मजदूरियां पहले ही निर्धारित की जा चुकी हैं, 1975 के दौरान 1,307 अभियोजन चलाए गए थे और 145 दावों के मामले दायर किए गए थे।

(घ) कार्यान्वयन तंत्र को मजबूत बनाने और निरीक्षणों को कराने का प्रस्ताव है और बड़े जुर्मानों की व्यवस्था करने के प्रश्न पर भी विचार किया जा रहा है।

बन्धित श्रमिकों की मुक्ति

832. श्री राम सहाय पाण्डे :
श्री नरेन्द्र कुमार सांघी :
डा० लक्ष्मी नारायण पाण्डेय :
श्री भागीरथ भंवर :

क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रत्येक राज्य में अब तक कितने बंधित श्रमिक मुक्त किए गए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : राज्यवार उन बन्धक श्रमिकों के संबंध में उपलब्ध सूचना, जिन्हें अब तक उनके बन्धन से मुक्त किया गया है, निम्न प्रकार है :—

(1)	आन्ध्र प्रदेश	14
(2)	बिहार	581
(3)	कर्नाटक	22,821
(4)	उत्तर प्रदेश	16,000

अंगोला में भारतीय राजदूतावास का खोला जाना

833. श्री शशि भूषण : क्या विदेश मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार लुआंडा, अंगोला में अपना राजदूतावास कब खोलने का विचार है ; और

(ख) क्या सरकार का विचार अंगोला के जन मुक्ति आन्दोलन (एम० पी० एल० ए०) के नेता को भारत की यात्रा के लिए निमंत्रण देने का है ; और यदि हां, तो कब ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) . 1973 में जब अल्जीयर्स में गुट-निरपेक्ष देशों का सम्मेलन हुआ था तभी प्रधान मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने डा० आगस्टाइन नेटो को भारत आने का नियंत्रण दिया था । अफ्रीका के अन्य नव-स्वतंत्र देशों की तरह ही अंगोला में अपने राजनयिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर भी हम विचार कर रहे हैं ।

ढाका में भारतीय उच्चायुक्त पर सशस्त्र हमले के बारे में जांच

834. **श्री शशि भूषण** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ढ़ाका में भारतीय उच्चायुक्त की हत्या के कथित प्रयास के बारे में बंगलादेश सरकार द्वारा जांच इस बीच पूरी कर ली गई है ; और

(ख) यदि हां, तो बंगलादेश सरकार से इस बारे में कोई पत्र प्राप्त हुआ है, तो उसका सारांश क्या है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

केरल एग्रीकल्चरल वर्कर्स एक्ट के बारे में राज्यों के विचार

835. **श्री सी० जनार्दनन** : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्यों से केरल एग्रीकल्चरल वर्कर्स अपनी राय देने के लिए कहा था;

(ख) क्या सभी राज्यों ने उक्त राय प्रकट कर दी है ; और

(ग) यदि नहीं, तो किस राज्य ने उक्त राय नहीं दी है और इस बारे में क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, हां ।

(ख) जी, नहीं ।

(ग) केरल खेतिहर श्रमिक अधिनियम के बारे में छः राज्य सरकारों/केन्द्रीय संघ क्षेत्रों, अर्थात् हरियाणा, तमिलनाडु, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली प्रशासन के मत अभी तक भी प्रतीक्षित हैं और उन्हें इस मामले में अनुस्मारक भेजा गया है ।

राष्ट्रीय राज पथ

836. **श्री विश्व नारायण शास्त्री** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 31 मार्च, 1975 को देश में राष्ट्रीय राजपथों की कुल संख्या क्या थी और उनकी लम्बाई किलोमीटरों में क्या थी ;

(ख) राष्ट्रीय राजपथों के वितरण का आधार क्या है ;

(ग) क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से राष्ट्रीय राजपथों की मीलों में लम्बाई का राष्ट्रीय औसत क्या है ; और

(घ) राष्ट्रीय राजपथों की राज्यवार लम्बाई क्या है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल संख्या 55 है और उनकी कुल लम्बाई 28.870 कि०मी० है ।

(ख) किसी सड़क को राष्ट्रीय राजमार्ग घोषित करने के लिये निम्नलिखित कसौटियो को विचार में लिया जाता है :--

(1) यह मुख्य राजमार्ग हो जो देश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाती हो;

(2) यह इतर राजमार्गों को मिलाये;

(3) यह राज्यों को राजधानियों को मिलाये;

(4) यह बड़े पत्तनों और औद्योगिक/पर्यटक केन्द्रों को मिलाये;

(5) यह सामरिक महत्व की आवश्यकताओं को पूरी करे ।

उपरोक्त कसौटियों के अलावा और आर्थिक बातों पर भी दिया जाता है ।

(ग) क्षेत्रफल और जनसंख्या के शब्दों में क्रमश: राष्ट्रीय राजमार्गों की राष्ट्रीय औसत किलो मीटर दूरी प्रति हजार वर्ग मील 9.03 कि०मी० और प्रति लाख जनसंख्या के लिये 5.30 कि०मी० है ।

(घ) विवरण संलग्न है ।

विवरण

क्र०सं०	राज्य का नाम	कुल लम्बाई कि० मी० में
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	2299
2.	आसाम	1468
3.	बिहार	2117
4.	चण्डीगढ़	24
5.	दिल्ली	72
6.	गोआ	229
7.	गुजरात	1352
8.	हरियाणा	729
9.	हिमाचल प्रदेश	630

1	2	3
10.	जम्मू और काश्मीर	541
11.	केरल	784
12.	मध्य प्रदेश	2670
13.	महाराष्ट्र	2861
14.	मणिपुर	211
15.	मेघालय	345
16.	मैसूर	1996
17.	नागालैंड	113
18.	उड़ीसा	1649
19.	पंजाब	865
21.	राजस्थान	2157
21.	सिक्किम	62
22.	तमिलनाडु	1749
23.	त्रिपुरा	200
24.	उत्तर प्रदेश	2328
25.	पश्चिम बंगाल	1419
	कुल	28870

ग्रामीण क्षेत्रों में रबड़ के गर्भ निरोधकों का वितरण

837. **श्री विश्वनारायण शास्त्री :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ग्रामीण क्षेत्रों में तथा गन्दी बस्तियों में रहने वालों में रबड़ के गर्भ निरोधक बांटने की कोई योजना है ; और

(ख) यदि नहीं, तो समाज में आर्थिक दृष्टि से निम्नतम-स्तर के लोगों के लिए इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने का विचार किया जा रहा है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों के साथ-साथ शहरी गन्दी बस्तियों में रहने वालों को भी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, उपकेन्द्रों और नगर परिवार कल्याण नियोजन केन्द्रों के फ़ील्ड स्टाफ़ द्वारा निरोध मुफ्त बांटे जाते हैं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

विदेशों में भारतीय मिशनों में सांस्कृतिक सहचारी

838. **श्री विश्वनारायण शास्त्री** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में भारतीय मिशनों (दूतावासों, हाई कमीशनों तथा वाणिज्य दूतों) की संख्या कितनी है ;

(ख) उनमें से कितने मिशनों में सांस्कृतिक सहचारी हैं ; और

(ग) क्या कुछ सांस्कृतिक सहचारी भारतीय विरासत और संस्कृति से अनभिज्ञ पाये गये हैं और जहां वे नियुक्त हैं वहां की भाषा नहीं जानते हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) विदेश-स्थित भारतीय मिशनों/केन्द्रों की कुल संख्या––जिनमें राजदूतावास, हाई कमीशन, सहायक हाई कमीशन, विशेष मिशन, कमीशन, प्रधान कोंसलावास और कोंसलावास, जिसमें अ-निवासी, मिशन भी शामिल हैं, सभी आते हैं––167 हैं।

(ख) और (ग). वाशिंगटन, मास्को, बोन्न, न्यूयार्क, सान फ्रांसिस्को, लंदन और ढाका स्थित हमारे मिशनों में सांस्कृतिक/शिक्षा सहचारी हैं जो शिक्षा मंत्रालय द्वारा नियुक्त किये गये हैं।

दूसरे मिशनों में सांस्कृतिक कार्य जहां तक सम्भव होता है वहां के विभिन्न अधिकारियो द्वारा किया जाता है जिन्हें अपने निर्दिष्ट कार्यों को भी करना होता है और जनशक्ति की सीमाओं को भी ध्यान में रखना होता है ।

विदेश स्थित मिशनों में नियुक्त अधिकारियों को, जिनमें विशुद्ध रूप से सांस्कृतिक कार्य करने वाले अधिकारी भी शामिल हैं, भारत की परम्परा और संस्कृति के विषय में अच्छी जानकारी है। इसके अतिरिक्त सांस्कृतिक सहचारी अपनी नियुक्ति के देश की भाषा भी जानते हैं ।

टेलीफोन एक्सचेंजों का खोला जाना और करचल (मैनुअल) एक्सचेंजों का दर्जा स्वचालित केन्द्रों के रूप में बढ़ाना

839. **श्री प्रसन्न भाई मेहता** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में वर्ष 1976 और 1977 के दौरान कितने नये टेलीफ़ोन एक्सचेंज खोले जाने का प्रस्ताव है और कौन-कौन से करचल (मैनुअल) टेलीफोन एक्सचेंजों का दर्जा स्वचालित केन्द्रों के रूप में बढ़ाने का विचार है ; और

(ख) आगामी दो वर्षों में किन-किन स्टेशनों पर एस-टी-डी सुविधायें आरम्भ की जायेंगी ।

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) वर्षवार यह सूचना नीचे दी गई है :––

	1976	1977
(i) नए एक्सचेंज खोलने का प्रस्ताव . .	388	382
(ii) मैनुअल एक्सचेंज का दर्जा बढ़ाकर उसे आटोमेटिक बनाने का प्रस्ताव . .	52 (सूची संलग्न है)	30 (सूची संलग्न है)

(ख) 31 मार्च, 1978 तक जिन स्थानों पर उपभोक्ता ट्रंक डायलिंग सुविधा दिए जाने की सम्भावना है, उनकी सूची अनुबन्ध में दी गई है। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-10467/76]।

टेलीफोनों के लिए प्रतीक्षा सूची

840. **श्री प्रसन्नभाई मेहता** : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संघ राज्य क्षेत्र, दिल्ली में 31 दिसम्बर, 1975 को टेलीफोनों के लिये प्रत्येक श्रेणी की प्रतीक्षा-सूची में कितने व्यक्ति थे ;

(ख) वर्ष 1975 के दौरान प्रत्येक श्रेणी के व्यक्तियों को कितने टेलीफोन कनेक्शन दिये जाने की आशा है ; और

(ग) वर्तमान प्रतीक्षा सूची कब तक समाप्त हो जायेगी ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में तारीख 31-12-75 को प्रतीक्षा-सूची में कुल 1,09,669 आवेदकों के नाम दर्ज थे। इनमें ओ० वाई० टी० श्रेणी में 28,767 और गैर-ओ० वाई० टी० श्रेणी में 80,906 आवेदकों के नाम थे।

(ख) वर्ष 1975 के दौरान जो नये टेलीफोन कनेक्शन दिये गये उनकी संख्या इस प्रकार है :—

ओ० वाई० टी० .	2612
गैर-ओ० वाई० टी०	1946

(ग) देश में एक्सचेंज उपस्कर और भूमिगत केबलों की आम कमी के कारण यह बताना कठिन है कि किस तारीख तक सभी आवेदको को टेलीफोन कनेक्शन दे दिये जायेंगे। फिर भी, एक्सचेंजों की क्षमता बढ़ाने और आवश्यक उपस्कर और जमींनदोज केबल प्राप्त करने के लिये पहले ही प्रयास शुरू कर दिये गये हैं, ताकि उपलब्ध सीमित साधनों के अन्तर्गत यथाशीघ्र अधिक से अधिक नये टेलीफोन कनेक्शन दिये जा सकें। जैसे-जैसे एक्सचेंजों में क्षमता उपलब्ध होगी, टेलीफोन कनेक्शन उत्तरोत्तर दे दिये जायेंगे।

पाकिस्तान द्वारा भारत विरोधी प्रचार

841. **श्री अनादि चरण दास** : क्या विदेश मंत्री यह बताने जी कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तान द्वारा किया गया भारत विरोधी प्रचार चीन-पाकिस्तान तथा चीन-अमरीका के सम्बन्धों की घटनाओं तथा बंगलादेश के समाचार पत्रों में भारत विरोधी आलोचना के अनुरूप है ;

(ख) क्या इन घटनाओं का एक दूसरे के साथ सम्बन्ध है और क्या ये भारत की प्रभुता के लिये खतरा उत्पन्न करती है ; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) यह सिद्ध करने का हमारे पास प्रमाण है कि हाल के कुछ महीनों में पाकिस्तान के प्रचार माध्यमों ने पड़ोसियों के प्रति भारत की नीतियों को निहायत गलत रूप में प्रस्तुत करने के प्रयत्न किये हैं। इस प्रकार का प्रचार चीन के प्रचार माध्यमों में प्रतिध्वनित होता है ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोनों का कार्यकरण

843. **श्री अनादि चरण दास** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में सार्वजनिक टेलीफोन प्रायः खराब हो जाते हैं, जो कई दिनों तक ठीक नहीं किये जाते और जिससे जनता को असुविधा होती है ; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में कितनी शिकायतें प्राप्त हुईं और क्या उपचारात्मक उपाय किये गए ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी नहीं ।

(ख) पिछले छह महीनों में कुल 20 शिकायतें मिली हैं। इन शिकायतों की जांच करा ली गई है। इनमें से पांच शिकायतें ऐसी थीं जो जंक्शन केबुल पर हाई ट्रांसमिशन क्षति के कारण हुईं। नया जंक्शन केबुल बिछाया जा रहा है। 13 शिकायतें पी० सी० ओ० लाइनों पर शोर पैदा होने के कारण थीं। यह आवाज़ निम्न आवृत्ति विद्युत् प्रेरक के कारण थी। सुधारात्मक उपाय करने के लिये राज्य विद्युत् बोर्ड के साथ मामले उठाये गये हैं। दो शिकायतें यंत्रों और बैटरी के दोषपूर्ण होने की वजह से थीं। इस बारे में कार्यवाही कर दी गई है ।

आपात स्थिति की घोषणा के पश्चात् विदेश भेजे गये मिशन

844. **श्री मूलचन्द डागा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में आपात स्थिति की घोषणा के बाद आपात स्थिति लागू करने के कारण बताने के लिये भारत सरकार ने किन-किन देशों में अपने मिशन भेजे ; और

(ख) उन मिशनों में कौन-कौन व्यक्ति थे और उन पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण): (क) इस उद्देश्य के लिये खासतौर से कोई मिशन विदेश नहीं भेजा गया था ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

खानों में सुरक्षा उपाय

845. **श्री रोबिन सेन** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार चासनाला दुर्घटना को ध्यान में रखते हुये खानों में सुरक्षा उपायों में सुधार करने पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी मुख्य बातें क्या हैं ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). खान सुरक्षा महानिदेशक द्वारा समय-समय पर विशेष सुरक्षा अभियान चलाये जा रहे थे, और चासनाला कोलियरी के विनाश के परिणामस्वरूप विशेषकर उन मामलों के पुनरीक्षण के आदेश दिये गये हैं जिनमें बाढ़ के खतरे की सम्भावना थी। अब तक खान सुरक्षा अधिनियम, 1952 की धारा 22(3) के अन्तर्गत सात मामलों में वैसी जगहो पर व्यक्तियों का नियोजन प्रतिषिद्ध करते हुये आदेश जारी किये गये हैं जिनमें बाढ़ के खतरे की आशंका थी। तीन अन्य मामलों में, पानी के जोर से अन्दर आने के खतरे के कारण कार्य की स्वीकृति वापस ले ली गई है और एक खान में पत्र द्वारा काम को रोकने के आदेश दिये गये हैं।

वर्ष 1975-76 के दौरान कर्मचारियों की अनिवार्य सेवा निवृत्ति

846. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभी संवर्गों के कर्मचारियों के कुल कितने मामलों का वर्ष 1975-76 के दौरान पुनर्विलोकन किया गया था ;

(ख) वर्ष 1975-76 के दौरान संवर्ग-वार अर्थात् प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से सेवा-निवृत किया गया ; और

(ग) वर्ष 1975-76 के दौरान संवर्ग-वार अर्थात् प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कुल कितने कर्मचारियों को अभी भी अनिवार्य सेवा निवृत्ति तथा अन्य दंड दिये जा रहे हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) 29,649।

(ख)

श्रेणी एक	श्रेणी दो	श्रेणी तीन	श्रेणी चार	जोड़
1	4	619	33	657

(ग) जानकारी इकट्ठी की जा रही है और इसे सभा-पटल पर रख दिया जाएगा।

पटना में डाक तथा तार विभाग का औषधालय

847. **श्री रामावतार शास्त्री** : : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना में डाक तथा तार विभाग के कर्मचारियों तथा उनके परिवार के लिये डाक तथा तार विभाग का औषधालय है;

(ख) क्या पटना में केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना आरम्भ करने तथा उसके साथ डाक तथा तार विभाग के औषधालय को मिलाने हेतु कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) पटना में दो डाक-तार औषधालय हैं। इन औषधालयों में डाक-तार कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों को चिकित्सा सुविधाएं दी जाती हैं।

(ख) और (ग). स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्रालय वर्ष 1976-77 के दौरान पटना में सी०जी०एच०एस० की सुविधाएं देने पर विचार कर रहा है। सी०जी०एच०एस० योजना एक सांविधिक योजना है जिसके दायरे में केन्द्रीय सरकार के ऐसे सभी कर्मचारी आ जाते हैं जिनके वेतन की अदायगी सिविल ऐस्टीमेटों से की जाती है, परन्तु इनमें रेलवे और अर्द्ध-सरकारी संगठन और आटोनामस निकाय के कर्मचारी नहीं आते। अतः पटना में इस योजना के लागू होने पर वहां के डाक-तार कर्मचारी इस योजना के दायरे में आ जायेंगे। इसलिए पटना में सी०जी० एच०एस० के लागू होने के बाद वहां मौजूदा डाक-तार औषधालय आगे काम नहीं कर सकेंगे। पटना के डाक-तार औषधालयों को सी०जी०एच०एस० संगठन में मिला देने के प्रश्न पर उचित समय पर स्वास्थ्य व परिवार नियोजन मंत्रालय के परामर्श से विचार किया जाएगा।

भारत-नेपाल सीमा पर अपराध

848. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जोंकी, बैंगश गांवों तथा बिहार के मधुबनी जिले में भारत-नेपाल सीमा पर स्थित गांवों में नेपाल की तरफ के क्षीधा और अन्य गांवों के अपराधियों द्वारा बड़े पैमाने पर डकैतियां तथा हत्यायें की गई हैं और की जा रही हैं; और

(ख) यदि हां, तो आपसी सहयोग के माध्यम से इन अपराधों की रोकथाम सुनिश्चित करनेहेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा की जा रही है ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख). 1 नवम्बर, 1975 को कुछ नेपाली अपराधी भारतीय सीमा में मधुबनी जिले के लडनिया थाने के तछमिनिया गांव में अनधिकार घुस आए थे। यह मामला राजनयिक सूत्रों के माध्यम से नेपाल सरकार के साथ उठाया गया था और उनसे अनुरोध किया गया है, कि वे इसकी रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाए और यह सुनिश्चित करें कि ऐसी घटनाएं फिर नहीं हों।

संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम की क्रियान्विति

849. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य को सलाह दी है कि संशोधित औद्योगिक विवाद अधिनियम के उपबन्धों को तेजी से क्रियान्विति के लिए विशिष्ट प्राधिकारों को सूचित करने और इस बारे में आवश्यक नियम बनाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करें ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी बातें क्या हैं ; और

(ग) इस बारे में राज्यों की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) और (ख). औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम, 1976 को सारे देश में 5 मार्च, 1976 से लागू कर दिया गया है। संघ शासित क्षेत्र के प्रशासनों सहित सभी राज्य सरकारों से संशोधन अधि-नियम के उपबन्धों को लागू करने के लिए आवश्यक कार्रवाई करने हेतु अनुरोध किया गया है। केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी की गई सभी अधिसूचनाओं की प्रतियां सभी राज्य सरकारों आदि को

उनकी सूचना के लिए भेज दी गई है। श्रम मंत्री जी ने औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के संशोधित उपबन्धों को लागू करने के लिए सभी कार्रवाइयों को अन्तिम रूप देने की अविलम्बिता और आवश्यकता पर बल देते हुए राज्य श्रम मंत्रियों को भी लिखा है।

(ग) सभी राज्य सरकारों आदि द्वारा अधिनियम के संशोधित उपबन्धों को लागू करने के लिए सभी प्रक्रियात्मक औपचारिकताओं को शीघ्र ही पूरा करने की संभावना है ?

कलकत्ता में टेलीफोन संबन्धी शिकायतें

850. **श्री सरोज मुखर्जी :** क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टेलीफोनों के लगातार कई दिन तक खराब पड़े रहने के बारे में कलकत्ता क्षेत्र के टेलीफोन उपभोक्ताओं से कुल कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं ;

(ख) टेलीफोन लाइनों में खराबी तथा उसके तार संबंधी दोषों के कारण निरन्तर होने वाली परेशानियों से उपभोक्ताओं को बचाने के लिये स्थानीय अधिकारियों ने क्या उपाय किये हैं ; और

(ग) कलकत्ता में टेलीफोनों की पुरानी प्रणाली को नई प्रणाली में बदलने में क्या प्रगति हुई है और इसके पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) टेलीफोनों के ठीक ढंग से काम न करने के बारे में टेलीफोन उपभोक्ताओं से प्राप्त लिखित शिकायतों की संख्या इस प्रकार है :—

जुलाई, 75	2379
अगस्त, 75	1718
सितम्बर, 75	1660
अक्तूबर, 75	1273
नवम्बर, 75	1313
दिसम्बर, 75	1422
जनवरी, 76	960
फरवरी, 76	1053

इससे पता चलता है कि जुलाई, 1975 से शिकायतें काफी कम हो गई हैं।

(ख) लम्बी अवधि तक रहने वाले दोषों का कारण भूमिगत केबुलों का क्षतिग्रस्त होना है। टेलीफोन केबुल अन्य सुविधाओं के लिए काम करने वाली पार्टियों द्वारा क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। अनेक जनोपयोगी सेवाओं के विभागों ने विकास-कार्यक्रम शुरू किये हैं, जिससे सड़कों और फुटपाथों को खोदना आवश्यक हो गया है। दूसरी जनोपयोगी सेवाओं के साथ टेलीफोन केबुल भी सकरे फुटपाथों में बिछाये गये हैं। इनके क्षतिग्रस्त होने पर केबलों में खराबी आ जाती है। टेलीफोन केबुलों, डिस्ट्रीब्यूशन प्वाइंट बक्सों और केबुल टर्मिनेटिंग बक्सों की चोरी होने के असंख्य वारदातों के परिणामस्वरूप भी टेलीफोन सेवा में बाधा पैदा होती है। टेलीफोन केबलों की क्षति कम हो, इस उद्देश्य से अन्य जनोपयोगी एजेंसियों के साथ लगातार निकट संपर्क बनाये रखा जा रहा है। पुलिस अधिकारियों के साथ भी संपर्क कायम रखा जा रहा है, ताकि चोरियों को रोका जा सके।

969 L.S.—5.

(ग) कलकत्ता टेलीफोन्स में काम कर रहे किसी भी बड़े ग्राटोमेटिक एक्सचेंज के उपस्कर को बदलने की जरूरत महसूस नहीं की गई है ।

अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान महिलाओं को दिया गया रोजगार

851. **श्री सरोज मुखर्जी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अन्तर्राष्ट्रीय महिला वर्ष के दौरान सरकारी क्षेत्र में कुल कितनी महिलाओं को रोज़गार दिया गया ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : पूरे वर्ष के संबन्ध में सूचना अभी उपलब्ध नहीं है । रोज़गार बाजार सूचना कार्यक्रम के अंतर्गत एकत्र की गई उपलब्ध सूचना के आधार पर जून, 1975 तक स्थिति इस प्रकार थी :

तारीख	सरकारी क्षेत्र* में महिला कर्मचारियों की संख्या (लाखों में)	पिछले छः महीनों की तुलना में प्रतिशत वृद्धि
31 दिसम्बर, 1974 को	11.06	+2.5
30 जून, 1975 को (अनन्तिम)	11.50	+3.9

*इस में केन्द्रीय और राज्य सरकारों के सभी प्रतिष्ठान तथा अर्द्ध सरकारी प्रतिष्ठान एवं स्थानीय निकायों के अधीन प्रतिष्ठान शामिल हैं ।

विदेशी दूतावासों द्वारा नियुक्त भारतीयों की सेवा शर्तों संबंधी नियम

852. **श्री एम० कतामुतु** : : क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत स्थित विदेशी दूतावासों, व्यापार आयुक्तों तथा व्यापार प्रतिनिधियों के प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों की सेवा शर्तों पर लागू होने वाले कोई नियम इस समय नहीं हैं;

(ख) क्या सरकार ने इन प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे भारतीय कर्मचारियों पर लागू होने वाली कुछ सेवा शर्तों के निर्धारण के बारे में कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) से (ग) प्रभुसत्ता सम्पन्न देशों का प्रतिनिधित्व करने वाले विदेशी मिशन और अंतर्राष्ट्रीय एजेन्सियां भारत में स्थानीय कर्मचारियों की भर्ती के सम्बन्ध में अपने ही नियमों से शासित होती हैं। फिर भी, भारत सरकार ने एक औपचारिक परिपत्र द्वारा उनसे कुछ न्यूनतम नियमों और शर्तों का पालन करने का अनुरोध किया है । एक माडल संविदा भी उन्हें भेज दी गई है जिसमें काम के घंटे, समयोपरि भत्ता, छुट्टी, बोनस, सेवानिवृत्ति के समय प्राप्त होने वाले लाभ, सेवांत लाभ आदि से संबंधित व्यवस्थाएं निर्धारित की गई हैं, जो उन्हें अपने भारतीय कर्मचारियों पर लागू करनी चाहिएं ।

तमिलनाडु में छंटनी किये गये कर्मचारियों की पुनः नियुक्ति

853. **श्री एम० कत्तामुत्तु :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तमिलनाडु सरकार ने राज्य में सरकारी क्षेत्रों में छंटनी किये गये कर्मचारियों और उन्हें पुनः रोजगार दिये जाने के बारे में आंकड़े एकत्र करने के लिए एक सैल का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं; और

(ग) उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार छंटनी किये गये कर्मचारियों की संख्या क्या है और उन में से कितने कर्मचारियों को पुनः रोजगार दिया गया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और प्राप्त होने पर सभा की मेज पर रख दी जायेगी।

सेलम इस्पात संयंत्र

854. **श्री एम० कत्तामुत्तु :**
श्री एस० ए० मुरुगनन्तम :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि सेलम इस्पात संयंत्र के निर्माण में अब तक हुई प्रगति की मुख्य बातें क्या हैं तथा उक्त संयंत्र में स्टेनलैस स्टील की ट्यूबों का निर्माण करने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : सेलम इस्पात कारखाने के निर्माण कार्य में अब तक हुई प्रगति की मुख्य-मुख्य बातें नीचे दी गई हैं :—

परामर्शदाताओं (मैसर्स दस्तूर एण्ड कम्पनी) से विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है और इस पर विचार किया जा रहा है। प्रायोजना के लिये भूमि अर्जन का काम लगभग पूरा हो गया है। इस प्रायोजना के लिये भूमि की कुल आवश्यकता 1536 हैक्टेयर है उसमें से 1534 हैक्टेयर भूमि प्राप्त कर ली गई है। जिसमें से 1532 हैक्टेयर भूमि का कब्जा सेलम स्टील लिमिटेड ने ले लिया है। संयंत्र स्थल पर काफी प्रारम्भिक कार्य भी पूरा हो गया है। सेलम नगर से प्रायोजना स्थल तक सड़क चौड़ी की जा रही है और रेलवे साईडिंग का निर्माण कार्य भी चल रहा है। निर्माण कार्य के लिये बिजली की सप्लाई की व्यवस्था लगभग कर ली गई है। निर्माण के प्रथम चरण के लिये जल की व्यवस्था कर दी गई है तथा द्वितीय चरण का कार्य चल रहा है। मिट्टी के कुल कार्य का 74 प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है। चारदीवारी प्रायोजना कार्यालय तथा रेल मार्ग पर पुल बनाने का कार्य, कारखाना क्षेत्र तक सड़क निकालने जैसी निर्माण सुविधायें, निर्माण प्रयोगशाला, निर्माण कार्य के लिये पानी, बिजली और संचार सम्बन्धी कार्य तथा प्राकृतिक जल मार्गों को मोड़ने सम्बन्धी सभी कार्य काफी हद तक पूरे हो गये हैं। कारखाने में रेल की पटरी बिछाने के लिये खुदाई का काम लगभग पूरा हो गया है। उपस्करों को रखने के शेड, पीने के पानी के लिये ओवर हैड टैंक, पीने के पानी को साफ करने का संयंत्र, यांत्रिक तथा वैद्युतिक मरम्मत-शाला, सेन्ट्रल स्टोर और वाच टावरों के कार्य चल रहे हैं। प्रथम चरण के लिये प्रमुख तथा सहायक उपस्करों के लिये यांत्रिक और वैद्युतिक विशिष्टयां परामर्शी इंजीनियरों से प्राप्त हो गई हैं।

इस समय इस कारखाने मे बेदाग इस्पात की ट्यूबें तैयार करने का प्रस्ताव नहीं है।

उड़ीसा सर्किल के लिए क्षेत्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन

855. **श्री अर्जुन सेठी :** क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सर्किल में वर्ष 1975–76 के लिये क्षेत्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति का गठन किया गया है और वह कार्य कर रही है ;

(ख) यदि हां, तो समिति के सदस्यों के नाम क्या हैं ; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

संचार मंत्री (डा० शंकरदयाल शर्मा) : (क) से (ग) सर्किल स्तर पर जो सलाहकार समितियां हैं, उन्हें क्षेत्रीय डाक-तार सलाहकार समितियां कहा जाता है। क्षेत्रीय टेलीफोन सलाहकार समिति नाम की कोई समिति नहीं है। उड़ीसा सर्किल में वर्ष 1975–76 के लिये क्षेत्रीय डाक तार सलाहकार समिति का गठन किया जा रहा है ।

अमरीकी राष्ट्रपति का दूसरे देशों के मामले में सी०आई०ए० के माध्यम से हस्तक्षेप करने के अधिकार के दावा का वक्तव्य

856. **श्री सी० के० चन्द्रप्पन :** क्या **विदेश** मंत्री अमरीका के राष्ट्रपति के भारत के प्रस्तावित दौरे के बारे में 8 जनवरी, 1976 के तारांकित प्रश्न संख्या 42 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अमरीका सरकार के साथ राष्ट्रपति फोर्ड द्वारा दिये गये इस वक्तव्य के सम्बन्ध में आपत्ति उठाई है कि वे अमरीका की सुरक्षा के हित में सी० आई० ए० जैसी ऐजेंसियों के माध्यम से दूसरे देशों के मामलों में हस्तक्षेप करना अपना अन्तरर्णीय अधिकार समझते हैं ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी तथ्य क्या हैं ?

विदेश मंत्री (श्री यशवन्तराव चव्हाण) : (क) और (ख) भारत सरकार ने अपना यह मत स्पष्ट रूप से बार-बार दुहराया है कि वह किसी देश द्वारा दूसरे देश के अन्दरूनी मामलों में दखल दिये जाने के विरुद्ध है। जब जैसी जरूरत होती है भारत सरकार के विचार उचित रूप से अन्य सरकारों को विभिन्न तरीकों से बता दिये जाते हैं जिनमें राजनयिक सूत्र का माध्यम भी शामिल है ।

राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना

857. **श्री डी० डी० देसाई :** क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये कोई प्रयत्न किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें तथा निष्कर्ष क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) :(क) और (ख) जी नहीं। फिर भी, देहात के इलाकों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सुदृढ़ करने तथा अस्पताली सुविधाओं का विस्तार करने की सरकार की योजनायें हैं। साथ ही, कमजोर वर्ग के लोगों को सरकारी अस्पतालों तथा औषधालयों में मुफ्त इलाज की सुविधायें दी जाती हैं। जैसे जैसे पैसा मिलता जाता है वैसे वैसे वर्तमान सुविधाओं को भी बढ़ाया जा रहा है, किन्तु वित्तीय संसाधन सीमित होने से समाज के सभी वर्गों के लिये एक राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलाना सम्भव नहीं है।

कर्मचारियों की छंटनी

858. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान वर्ष 1975 के दौरान देश में तीन लाख कर्मचारियों की कथित छंटनी की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों तथा रोगियों का अनुपात

859. **श्री जगन्नाथ मिश्र** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों और रोगियों का अलग-अलग अनुपात क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : देश के शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में डाक्टरों तथा मरीजों के अलग-अलग आंकड़े नहीं रखे गये हैं। फिर भी, देश में वर्ष 1973–74 के दौरान कुल मिलाकर डाक्टरों तथा जनसंख्या का अनुपात 1 : 4200 था।

उड़ीसा में निम्न श्रेणी के मेंगनीज अयस्क के खरीदने पर प्रतिबन्ध

860. **श्री त्रिदिव चौधरी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात कारखानों के अतिरिक्त अन्य मेंगनीज अयस्क उपभोक्ताओं से अनुरोध किया है कि वे कुछ समय तक उड़ीसा क्षेत्र से निम्न श्रेणी के मेंगनीज अयस्क की खरीद रोक दें ताकि निम्न श्रेणी वाला अयस्क इन तीन इस्पात कारखानों को उपलब्ध हो सके।

(ख) इन तीन इस्पात कारखानों के लिये निम्न श्रेणी के मेंगनीज अयस्क की कुल आवश्यकता कितनी है तथा उड़ीसा क्षेत्र से उनको इसकी कितनी सप्लाई उपलब्ध है ; और

(ग) क्या मेंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड से इसकी सप्लाई प्राप्त करके इसकी कमी को दूर करने की सम्भावना पर विचार किया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) (क) जी, नहीं। स्टील अथारिटी आफ इंडिया लिमिटेड ने कुछ फेरों उत्पादकों से केवल इतना निवेदन किया है कि वे अस्थायी तौर पर बिहार-उड़ीसा क्षेत्र से मध्यम ग्रेड के मैंगनीज अयस्क की खरीद रोक दें ताकि इस्पात कारखानों के लिये इसकी उपलब्धि में सुधार हो सके।

(ख) वर्ष 1975–76 के लिये राउरकेला, दुर्गापुर और बोकारो इस्पात कारखानों की निम्नग्रेड के मैंगनीज अयस्क की कुल आवश्यकता 2.9 लाख टन के लगभग है और बिहार-उड़ीसा क्षेत्र से प्रत्याशित उपलब्धि 2.3 लाख टन के लगभग है। इस प्रकार अन्तर को मध्यम ग्रेड के मैंगनीज अयस्क की आपूर्ति से पूरा करने का विचार है।

(ग) इस प्रश्न पर विचार किया जा रहा है कि क्या मैंगनीज ओर (इंडिया) लिमिटेड को मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की खानों से अधिक परिवहन लागत पर सप्लाई प्राप्त करके इस कमी को पूरा करना आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद रहेगा या नहीं।

तांबे की चादर के निर्माताओं की कथित कठिनाइयाँ

862. **श्री त्रिदिव चौधरी :** क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान चांदी धारक तांबे की भारी कमी के कारण तांबे की चद्दर के निर्माताओं और फोटो एनग्रेवरों की कठिनाइयों की ओर दिलाया गया है ;

(ख) क्या हिन्दुस्तान तांबा निगम ने तांबा प्लेट उद्योग की चांदी धारक तांबे का उत्पादन करने की मांग अस्वीकार कर दी है ; और

ग) सरकार का चांदी धारक तांबे की कमी दूर करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां। सरकार को 1975 में महाराष्ट्र स्टेट प्रोसेस एनग्रेवर्स एसोसिएशन से एक प्रतिवेदन मिला था जिसमें फोटो एनग्रेविंग के लिये अधिक पालिस वाली तांबा चादरों के निर्माण हेतु चांदीयुक्त तांबे की मांग की गई थी।

(ख) जी, नहीं। हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड को चांदीयुक्त तांबा का उत्पादन शुरू करने के लिये तांबा प्लेट उद्योग से कोई विधिवत् अभ्यावेदन नहीं मिला है।

(ग) हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड घटसिला में चांदीयुक्त तांबा पिंडों का निर्माण करने की सम्भावना की जांच कर रहा है। परन्तु, देशी निर्माण शुरू होने तक चांदीयुक्त तांबा पिंडों के आयात की गुणावगुण के आधार पर मंजूरी दी जा रही है।

ईरान को एल्युमीनियम की सप्लाई

863. **श्री त्रिदिव चौधरी :**
श्री डी० के० पंडा :

क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च स्तरीय ईरानी दल ने, जो इस देश में बाक्साइट खनन तथा एल्यूमीनियम निर्माण के वर्तमान विकास का अध्ययन करने हेतु फरवरी के अन्तिम सप्ताह में भारत आया था, इस देश के साथ ईरान को एल्यूमीनियम सप्लाई करने के सम्बन्ध में एक दीर्घकालीन करार करने की सम्भावना की ओर संकेत किया है ; और

(ख) क्या इन दो देशों के बीच कुदरेमुख लौह अयस्क परियोजना सहयोग की भांति ईरान में एल्यूमीनियम उद्योग के विकास के मामले में पारस्परिक सहयोग के लिये करार करने के लिए किसी प्रस्ताव पर बातचीत हुई है तथा क्या उस पर कोई निर्णय लिया गया है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) व (ख) ईरान सरकार के एक उच्च स्तरीय तकनीकी दल ने एक पखवाड़े से कुछ अधिक समय में हमारे बाक्साइट भंडारों और खानों, प्रद्रावकों तथा गोदियों का निरीक्षण किया था और वह 9 मार्च, को वापस चला गया। यद्यपि दल इस निरीक्षण से काफी प्रभावित प्रतीत होता था लेकिन उसकी वास्तविक प्रतिक्रिया उसके द्वारा अपनी सरकार को रिपोर्ट पेश किये जाने के बाद ही मालूम हो सकेगी।

गैर-सरकारी क्षेत्र के उद्योगों में कर्मचारियों का भाग लेना

864. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के 47 उपक्रमों ने शाप फ्लोर तथा प्लांट स्तर पर कर्मचारियों के भाग लेने की योजना को क्रियान्वित किया है अथवा इस दिशा में कार्यवाही आरम्भ की है ;

(ख) क्या इन उपक्रमों ने प्रभावी, सार्थक तथा व्यापक रूप से भाग लेने को सुनिश्चित करने हेतु कर्मचारियों के साथ विचार विमर्श करने के उपरान्त स्थानीय परिस्थितियों तथा अपनी-अपनी आवश्यकताओं के आधार पर विभिन्न पद्धतियां अपनाई हैं ; और

(ग) क्या गैर-सरकारी क्षेत्र के कुछ उद्योगों ने भी इस परीक्षण की शुरुआत की है ?

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) श्रम मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार 87 केन्द्रीय सरकार के सरकारी क्षेत्र के विभागीय उपक्रम शाप फ्लोर और प्लांट स्तर पर उद्योग में श्रमिकों की सहभागिता की योजना को या तो कार्यान्वित कर चुके हैं या उसे कार्यान्वित करने के लिये कार्यवाही शुरू कर चुके हैं ।

(ख) विभिन्न उपक्रमों से अब तक प्राप्त हुई सूचना के अनुसार उन्होंने शाप/प्लांट स्तर समितियां स्थापित करने में योजना में व्यवस्थित लचीलेपन/विभिन्नताओं का लाभ उठाया है ताकि वे स्थानीय परिस्थितियों के अनुकूल बैठ सकें। क्या इन उपक्रमों ने ये परिषदें अपने श्रमिकों से सलाह करते हुये बनाई हैं, इस सम्बन्ध में पूर्ण सूचना श्रम मंत्रालय के पास तत्काल उपलब्ध नहीं है ।

(ग) श्रम मंत्रालय के पास इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार निजी क्षेत्र में 87 एककों ने योजना के अन्तर्गत शाप फ्लोर और संयंत्र स्तर पर परिषदें स्थापित की हैं ।

भारतीय नौवहन उद्योग

865. **श्री राजदेव सिंह :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय नौवहन उद्योग पर्याप्त विदेशी मुद्रा अर्जित कर रहा है और निर्यात में सहायता दे रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्रों में होने वाले कुल आयात तथा निर्यात का कितने प्रतिशत नौवहन उद्योग द्वारा निपटाया जा रहा है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत के आयत/निर्यात व्यापार को ढोने में भारतीय नौवहन के भाग में लगातार वृद्धि हुई है जैसा कि निम्नलिखित आंकड़ों से विदित हो जायेगा :—

वर्ष	भारतीय नौवहन का प्रतिशतता भाग
1972–73	18.90
1973–74	22.40
1974–75	27.75

राष्ट्रीय राजमार्ग 17 पर गैर-सरकारी रेलवे लाइन

866. **श्री पी० रंगनाथ शिनाय :** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंगलोर फर्टिलाइजर एण्ड केमिकल्स ने पानम्बूर में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 17 को पार करती हुई एक गैर-सरकारी रेलवे लाइन बिछायी है ;

(ख) क्या यह रेलवे लाइन राजमार्ग पर बढ़ते हुए भारी यातायात के लिए खतरा है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री दलबीर सिंह) : (क) से (ग) भारत सरकार ने फैक्टरी क्षेत्र में रेलवे साईडिंग को रेल से जोड़ने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 17 के मील 5/6 और 5/7 के बीच अस्थायी लेबल क्रासिंग के निर्माण के लिए मैसर्स मंगलौर कैमिकल एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० मंगलौर को अनुमति दे दी है । अनुमति अन्य बातों के साथ साथ इस शर्त के अन्तर्गत दी गयी है कि यातायात की आवश्यकताओं के अनुसार भारत सरकार जब कभी चाहेगी कम्पनी को लेबल क्रासिंग के स्थान पर एक उपरिपुल उचित समय पर अपनी लागत से बनाना पड़ेगा। मैसर्स मंगलौर केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लि० द्वारा भेजे गए विवरण के अनुसार फिलहाल लेबल

क्रासिंग की आवश्यकता कम्पनी के उत्पादन का लगभग आधा रेक प्रतिदिन ईन्धन उधर ले जाने के लिए आवश्यक है, रेक की यह माला प्रतिदिन ईंधर उधर ढोने के लिए मंगलोर हसन बड़ी रेलवे लाईन के चालू होने से एक रेक तक हो जायेगी। लेवल क्रासिंग पर प्रबंध कम्पनी का आदमी होगा और इसके सीमित प्रयोग से इस समय इससे राष्ट्रीय राजमार्ग को कोई खतरा पैदा होने की संभावना नहीं है। किसी भी हालत में यातायात आवश्यकताओं के अनुसार लैबल क्रासिंग के स्थान पर उपरी पुल का निर्माण करवाना पड़ेगा।

Encouraging Ayurvedic System of Medicine in the Country

867. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Health and Family Planning** be pleased to state:

(a) the steps taken by Government to encourage ayurvedic system of medicine in the country;

(b) whether Government are aware of the percentage by which the expenditure incurred on ayurvedic system of medicine is less as compared to that on allopathic system of medicine ; and

(c) whether there is a great shortage of medicines and vaidyas in all the ayurvedic dispensaries in the country?

The Deputy Minister in the Ministry of Health and Family Planning (Shri A.K.M. Ishaque) : (a). The Central and State Governments have been encouraging the development of the Ayurvedic System to Medicine in all respects by providing increased financial resources in the successive five year plans. Besides two full fledged Post-Graduate Institutes in Ayurveda, 14 Post-graduate Departments in various specialities of Ayurveda functioning in the various States, a National Institute of Ayurveda has been established at Jaipur and steps are being taken to set up 3 more Post-graduate Departments in Ayurveda. A Centrally sponsored scheme for the development of State I.S.M. Pharmacies including heub gardens and drug testing laboratories is likely to be implemented in the near future. Another scheme for the establishment of a Central Pharmacy for the manufacture of standard Ayurvedic medicines is also undertconsideration. More funds have been provided for intensive research in Ayurveda. A uniform syllabus for Ayurvedic Education is proposed to be introduced in the near future. Financial assistance is being given to undergraduate colleges of Auyveda run by voluntary organisations for construction of buildings and purchase of equipment.

(b). Yes.

(c). No such shortage has been reported.

Unemployed Graduates Allotted Mini Buses

868. **Shri M. C. Daga** : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the number of unemployed graduates given mini buses in Delhi and on what terms and conditions; and

(b) the total expenditure incurred by Government thereon and the manner in which this amount will be released ?

The Deputy Minister in the Ministry of Shipping and Transport (Shri Dalbir Singh) : (a) Presumably, the Hon'ble Member has in mind the Schemes of the Delhi Administration for grant of mini bus permits to unemployed graduates under the Employment Protection Programme, 1974-75 and release of 200 mini buses to educated unemployed persons during 1975-76.

No permit under the first Scheme has been granted so far, although 50 persons have been tentatively selected by an Implementation Committee constituted for the purpose.

The broad terms and conditions for grant of permits under this Scheme are as under :—

(i) The applicant must be atleast a Graduate or have an equivalent degree from a recognised University or should be a Diploma/Certificate holder in Engineering from Industrial Training Institute in Delhi.

(ii) He must be unemployed and registered uptodate with an Employment Exchange in Delhi.

(iii) He should not possess his own taxi auto-rickshaw/Goods vehicle/Mini bus or any other category of transport vehicle.

(iv) His guardian's income should not exceed Rs. 900/— per month.

(v) The applicant will be required to obtain a driving licence for driving the vehicle within a period of 2½ months from the date on which he is called upon to do so. (Employment of qualified drivers with valid driving licences is, however, permissible).

Under the second Scheme, 78 persons have been provisionally seclected for grant of permits. The S.T.A. Delhi, has so far granted 42 stage carriage permits to DTC for operation of the vehicles under its control.

The mainterms and conditions for grant of permits under the Scheme are as under :

(i) The applicant must be Graduate, passed out of the Delhi University in the year 1974 or 1975 and must have decided to settle in the Road Transport business.

(ii) The guardian's income should not exceed Rs. 800 per month.

(iii) The applicant should contribute 20% of the total price of the mini bus or big bus of his own and the balance 80% would be financed through one of the Banks.

(iv) The mini buses should be attached to the DTC fleet at concessional fee of Rs. 500 per month.

(b). The total estimated expenditure on the Employment Promotion Programme 1974-75 is Rs. 8,34,220. Out of this a sum of Rs. 7·95 lakhs is the seed/margin money which is recoverable as soft loan from the allottees/beneficiaries.

Transportation of Goods Through River

869. Shri M.C. Daga : Will the Minister of **Shipping and Transport** be pleased to state :

(a) the quantity of goods transported through rivers at present; and

(b) the measures being taken by Government to increase it ?

Minister of State in the Ministry of Shipping and Transport (Shri H.M. Trivedi) : (a). The required information has been called for from the State Governments and Union Territories. It will be laid on the Table of the Sabha as soon as complete information has been received.

(b). There was no provision for development of IWT in the First Plan. The total expenditure actually incurred during the Second Plan, Third Plan, three subsequent Annual Plans and Fourth Plan was Rs. 20·80 crores in respect of Central Schemes. Centrally Sponsored Schemes as also State Plan schemes. In the Fifth Plan there is a provision of Rs. 40 crores in respcet of Central Schemes and Centrally Sponsored Schemes and Rs. 7 crores for State Plan schemes. An expenditure of Rs. 2·28 crores was incurred in the First year of the Fifth Plan in respect of Central Schemes and Centrally Sponsored Schemes. All this amount was spent on improvement of navigation facilities, acquisition of vessels, training schemes, etc.

पश्चिम बंगाल में मलेरिया और संक्रामक रोगों में वृद्धि

870. श्री सरदीश राय : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में गत वर्ष की तुलना में मलेरिया और संक्रामक रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या दुगनी से भी अधिक हो गई है ; और

(ख) यदि हां, तो मलेरिया और संक्रामक रोगों के उन्मूलन के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क). जी नहीं । जहां चेचक से पीड़ित व्यक्तियों की संख्या शून्य स्तर तक पहुंच चुकी है वहां 1975 में हैजे का प्रकोप पिछले साल की तुलना में कम हुआ है । मलेरिया के पोजेटिव रोगियों की संख्या में केवल आंशिक वृद्धि हुई है ।

राज्य में मलेरिया से निबटने के लिए सरकार निम्नलिखित उपाय बरत रही है :—

(1) मलेरिया यूनिटों को पुनर्गठित किया जा रहा है ।

(2) पिछले साल की तुलना में राज्य को इस साल अधिक मात्रा में सामान और उपकरण दिए गए हैं ।

(3) क्षेत्रीय कर्मचारियों के काम की देख-रेख में सुधार कर दिया गया है ।

(4) मलेरिया-रोधी सामग्री की सप्लाई की स्थिति में सुधार हो गया है ।

Labour Representation in Management of Industrial Houses

871. **Shri Shankar Dayal Singh**: Will the Minister of **Labour** be pleased to state :

(a) the names of industrial houses and other restablishments which have taken initiative in giving representation to labour in their management; and

(b) when Government propose to enforce it in the management of all establishments ?

The Deputy Minister in the Ministry of Labour (Shri Balgovind Varma) : (a). In so far as Public Sector establishments are concerned, workers have been appointed as directors on the Boards of Management of the Hindustan Antibiotics Limited, Pimpri, Hindustan Organic Chemicals Limited and the 14 nationalised banks. Government have no information as to whether workers have been appointed in the Boards of Management of Joint Sector and Private Sector establishments.

(b). The scheme for appointment of workers as directors on the Boards of Management is voluntary. At present, Government have no proposal to enforce it in the management of all establishments.

Capacity of Public and Private Sector Steel Plants

872. **Shri Shankar Dayal Singh** : Will the Minister of **Steel and Mines** be pleased to state :

(a) the present production capacity of various public and private sector steel plants;

(b) whether Government propose to augment their capacity; and

(c) if so, the facts in this regard ?

The Deputy Minister in the Ministry of Steel and Mines (Shri Sukhdev Prasad) : (a). The present annual production capacity of the integrated steel plants in the public and private sectors in terms of ingots and saleable steel is as under :—

	(000 tonnes)	
Public Sector	*Ingot Steel*	*Saleable Steel*
1. Bhilai Steel Plant	2500	1965
2. Durgapur Steel Plant	1600	1239
3. Rourkela Steel Plant	1800	1225

In addition, Bokaro Steel Plant will have a capacity of 1·7 million ingot tonnes at the first stage. Some of its units have already been commissioned and the others are at varying stages of construction/erection.

Private Sector :

1.	Tata Iron and Steel Works, Jamshedpur . . .	2000	1500
2.	Indian Iron & Steel Works, Burnpur	1000	800

(b) and (c). Bhilai and Bokaro Steel Plants are being expanded to an annual capacity of 4·0 million ingot tonnes each.

प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी के लिए नियोजकों की आपत्ति

873. **श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : क्या **श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्ध में श्रमिकों की साझेदारी के प्रश्न पर जैसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अपेक्षा की गई है; केन्द्रीय कार्मिक संघ एक हैं, परन्तु नियोजकों ने इस बारे में अब तक अपनी सहमति व्यक्त नहीं की है ;

(ख) यदि हां, तो इनकी आपत्ति का आधार क्या है ; और

(ग) इसको लागू करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

श्रम मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : (क) से (ग). केन्द्रीय मजदूर संघ तथा नियोजकों के संगठन उद्योग में श्रमिकों को सहभागिता संबंधी सरकार द्वारा यथा परिकल्पित योजन को कार्यान्वित करने के लिए अपना सहयोग दे रहे हैं ?

बम्बई पत्तन में जहाज दिवसों की हानि

874. **श्री वसन्त साठे** : क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बम्बई पत्तन के उपयोग की दर विश्व की सर्वाधिक उपयोग दरों में से एक है जिसकी गोदी की व्यवस्तता लगभग 90 प्रतिशत बैठती है और जिसके परिणामस्वरूप स्थान उपलब्ध न होने के कारण जहाज-दिवसों की हानि की दर बहुत अधिक है ;

(ख) यदि हां, तो जहाज-दिवसों की हानि की दर क्या है और गत तीन वर्षों में बम्बई पत्तन में कितना विलम्ब-शुल्क दिया गया और देश के अन्य प्रमुख पत्तनों की तुलना में वहां जहाज-दिवसों की हानि की स्थिति क्या है ;

(ग) क्या महाराष्ट्र राज्य सरकार वर्ष 1970 से इस स्थिति को दूर करने के लिये न्हावा शेवा पत्तन परियोजना की स्वीकृति के लिये जो दे रही है और इस परियोजना को स्वीकृति देने के विलम्ब होने से राज्य के औद्योगिक विकास में बाधा पड़ने के अतिरिक्त परियोजना लागत में वृद्धि हुई है ; और

(घ) इस परियोजना को शीघ्र ही स्वीकृति देने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एच० एम० त्रिवेदी) : (क) पिछले तीन वर्षों में बम्बई गोदी में घाट व्यस्तता की प्रतिशतता निम्नलिखित थी :

	1972–73	1973–74	1974–75
इन्दिरा गोदी .	80.64	89.11	86.27
प्रिन्सेस गोदी .	62.47	76.34	78.38
विक्टोरिया गोदी .	74.27	85.28	83.58

देश के बाहर के पत्तनों के गोदी व्यस्तता के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ख) बम्बई पत्तन न्यास घाट पर लगने से पूर्व जहाज रुकने के कारण विलम्ब शुल्क के भुगतान की मात्रा का रिकार्ड नहीं रखता। यह नौवहन कम्पनियों और प्रत्येक जहाजों/प्रेषिति के बीच करारों पर निर्भर करता है। बम्बई तथा कुछ दूसरे बड़े पत्तनों पर पिछले तीन वर्षों में जहाज दिवसों की हुई हानि नीचे दी गई है :—

	1972–73	1973–74	1974–75
बम्बई			
तेल . .	383	652	594
अन्य माल .	1581	6775	5223
कलकत्ता			
तेल .	कुछ नहीं	कुछ नहीं	कुछ नहीं
अन्य माल .	354	650	1645
कोचीन .	706	578	734
विशाखापत्तनम . .	737	833	926
मारमुगाओ .	430	841	752
मंगलोर	—	—	कुछ नहीं
तूतीकोरिन . .	—	—	कुछ नहीं

(ग) और (घ). महाराष्ट्र सरकार से न्हावा शेवा योजना पर शीघ्र स्वीकृति देने के लिए अनुरोध किया गया है, जिस पर एक नोट सरकारी निवेश बोर्ड द्वारा विचारार्थ परिचालित किया गया है। यह आशा है कि संबंधित मंत्रालयों के विचार अभिनिश्चित करने के बाद बोर्ड इस मद पर शीघ्र विचार करेगा। न्हावा शेवा परियोजना के मूल 3 घाट की अनुमानित लागत जो 1971 में 51.74 करोड़ रुपए थी, 1975 की कीमतों के अनुसार बढ़कर 73.99 करोड़ रुपए हो जायेगी। यदि कोयले के लिए एक और घाट बना दिया जाए तो 1975 की कीमतों के अनुसार उसकी लागत 95.39 करोड़ रुपए होगी।

देश में कुष्ठ रोगी

875. **श्री वसन्त साठे :** क्या स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व के एक तिहाई से भी अधिक कुष्ठ रोगी भारत में हैं और देश में कुष्ठ रोगियों की संख्या में पिछले एक दशक में अत्यधिक वृद्धि हुई है ;

(ख) यदि हां, तो देश में, राज्यवार, कुष्ठ रोगियों की संख्या क्या है ; और

(ग) क्या सरकार ने कुष्ठ रोगियों के इलाज करने और आर्थिक पुनर्वास संबंधी कोई समेकित योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी रूपरेखा क्या है ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : (क) जी नहीं। भारत में कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या विश्व के कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या का लगभग एक चौथाई है। पिछले दशक में इस रोग की व्यापकता दर में कोई विशेष वृद्धि नहीं हुई है।

(ख) अपेक्षित सूचना का एक विवरण संलग्न है।

(ग) जी हां। पांचवीं पंचवर्षीय योजना के एक भाग के रूप में सरकार ने एक विस्तृत राष्ट्रीय कुष्ठ नियंत्रण कार्यक्रम तैयार किया है जिसके अन्तर्गत कुष्ठ नियंत्रण एककों, सर्वेक्षण, शिक्षण और उपचार केन्द्रों, शहरी क्षेत्रों में कुष्ठ केन्द्रों, कुष्ठ रोगियों को अस्थायी तौर पर अस्पताल में भरती करने के लिए वार्डों रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी यूनिट और प्रशिक्षण केन्द्र खोलने की व्यवस्था है। स्वैच्छिक आधार पर सर्वेक्षण, शिक्षण और उपचार केन्द्र खोलने के काम में सहयोग देने के लिए स्वैच्छिक संगठनों को भी प्रोत्साहित किया जाता है जिसके लिए भारत सरकार द्वारा सहायता स्वरूप अनुदान दिया जाता है।

विवरण

1971 की जनगणना के अनुसार कुष्ठ रोगियों की राज्यवार अनुमानित संख्या

राज्य/संघशासित क्षेत्र	स्थानिक मारी जनसंख्या	कुष्ठ रोगियों की अनुमानित संख्या
	(लाखों में)	1971 की जनगणना (लाखों में)
1. आंध्र प्रदेश . . .	435.0	6.28
2. असम .	55.5	0.12
3. बिहार	563.5	3.39
4. गुजरात	127.4	0.25

1	2	3	
5	हरियाणा	6.0	0.01
6	हिमाचल प्रदेश	34.6	0.15
7	जम्मू व कश्मीर	13.0	0.05
8	मध्य प्रदेश . .	108.7	0.32
9	महाराष्ट्र . .	475.0	2.80
10	मणीपुर . . .	10.7	0.06
11	मेघालय	3.5	0.06
12	करनाटक	213.4	1.74
13	नागालैण्ड .	5.2	0.17
14	उड़ीसा . .	160.0	2.37
15	पंजाब	6.7	0.02
16	राजस्थान .	14.0	0.10
17	तमिलनाडु	412.0	7.83
18	केरल .	123.0	0.75
19	त्रिपुरा	15.0	0.10
20	उत्तर प्रदेश .	382.5	1.68
21	पश्चिम बंगाल	443.1	3.68
22	अंडमान निकोबार . .	1.2	0.01
23	अरुणाचल प्रदेश	2.8	0.01
24	चण्डीगढ़ . .	—	—
25	दादर व नागर हवेली	0.1	0.01
26	गोआ, दमन व दीव	9.0	0.05
27	दिल्ली	1.0	0.01
28	लक्कादीव द्वीपसमूह .	0.3	0.01
29	पांडिचेरी .	4.7	0.19
30	मिजोराम . .	0.4	0.01
31	लक्षद्वीप	0.3	—
	योग :	3717.2	32.23
		3720.0	32.00

दक्षिण क्षेत्र में सूक्ष्म तरंग व्यवस्था (माइक्रोवेव) का जोड़ा जाना

876. **श्री पी० नरसिम्हा रेड्डी** : क्या **संचार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दक्षिण क्षेत्र में, विशेष रूप से बंगलौर और मद्रास के बीच, उपलब्ध की जा रही सूक्ष्म तरंग दूर संचार की नई सुविधाओं के साथ आंध्र प्रदेश में चित्तूर को जोड़ने का प्रस्ताव है ; और

(ख) क्या मद्रास तथा बंगलौर और हैदराबाद के बीच विद्यमान कोक्सियल सुविधाओं के साथ इसे विकल्प के रूप में जोड़ने पर विचार किया जा रहा है ?

संचार मंत्री (डा० शंकर दयाल शर्मा) : (क) जी हां । चित्तूर को यू० एच० एफ० प्रणाली के जरिए तिरुपती से जोड़ने का प्रस्ताव है ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र

877. **श्री वाई० ईश्वर रेड्डी** : क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में इस्पात संयंत्र से सम्बन्धित कोई कार्य शुरू किया है;

(ख) क्या वर्ष 1976–77 के वार्षिक योजना परिव्यय में इस परियोजना के लिए आवश्यक धनराशि निर्धारित की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) जी, हां । इस कारखाने के लिए विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार करने के लिए परामर्शदाताओं की नियुक्ति की जा चुकी है और विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन तैयार किया जा रहा है । इसके साथ-साथ संयंत्र स्थल पर भूमि अन्वेषण, जल विज्ञान सम्बन्धी तथा जलवायु विज्ञान सम्बन्धी सर्वेक्षण आदि कुछ प्रारम्भिक कार्य भी आरम्भ कर दिये गये हैं । कारखाने के लिए भूमि अर्जन का काम लगभग पूरा हो गया है ।

(ख) और (ग) वर्ष 1976–77 में इस प्रायोजना के लिए 1 करोड़ रुपये के परिव्यय की व्यवस्था की गई है । इसमें विस्तृत प्रायोजना प्रतिवेदन के लिए परामर्शदाताओं को लगभग 30 लाख रुपये का भुगतान, भूमि अर्जन तथा भूमि अर्जन इकाइयों के सिब्बन्दी खर्च के लिए 31 लाख रुपये और शेष प्रारम्भिक कार्यों आदि के लिये है ।

संक्रामी और आमवातिक रोगों पर नियंत्रण करने के लिए कार्यवाही

878. **श्री पी० गंगादेव** : क्या **स्वास्थ्य और परिवार नियोजन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय समस्त विश्व के अन्य लोगों की तुलना में संक्रामी और आमवातिक रोगों से अधिक पीड़ित हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस बारे में किये गये उपाय क्या हैं ?

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० सहाक) : (क) अधिक विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में जहां लोगों का जीवन-स्तर नीचा होता है, आमवातिक ज्वर और आमवातिक हृदय रोग अधिक मात्रा में होते हैं। फिर भी अमेरिका जैसे विकसित देशों में अभी भी कुछ ऐसे स्थान हैं जहां पर आमवातिक ज्वर काफी मात्रा में होता है। लातिन अमेरिका, मेक्सिको, मध्य-पूर्वी ईरान, भारत और अन्य दक्षिण-पूर्वी एशियायी देश ऐसे देश हैं जहां ये रोग अधिक पाये जाते हैं। भारत में आम अस्पतालों से जो आंकड़े मिले हैं उनसे पता चलता है कि आमवातिक हृदयरोग का प्रतिशत सर्वप्रकार के हृदय रोगों का 30–40 प्रतिशत तक बैठता है।

(ख) समस्या की विकटता को देखते हुए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् में नई दिल्ली और हैदराबाद में जहां पर ये रोग अधिक पाये जाते हैं, आमवातिक ज्वर और आमवातिक हृदय रोग के रोगविज्ञान पर एक कार्यक्रम हाल ही में शुरू किया है जिसमें रोकथाम के पक्ष को प्रधानता दी गई है।

संयुक्त क्षेत्र में 'स्पंज आयरन' कारखाना

879. **श्री मौलाना इसहाक सम्भली:** क्या **इस्पात और खान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बारबिल में टिस्को के साथ संयुक्त क्षेत्र में 'स्पंज आयरन' कारखाने का प्रस्ताव किस स्थिति तक पहुंचा है;

(ख) क्या सहप्रायोजकों के बीच गतिरोध पैदा हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : (क) टाटा आयरन एण्ड स्टील कम्पनी से मालूम हुआ है कि इस समय प्रारम्भिक प्रायोजना प्रतिवेदन पर उड़ीसा सरकार से परामर्श करके विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

सीमा शुल्क अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, भारतीय टैरिफ अधिनियम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा लवण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं तथा उनके हिन्दी संस्करण सभा-पटल पर न रखने संबंधी विवरण

राजस्व और बैंकिंग विभाग के प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभापटल पर रखता हूं:—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 204(ङ) से 228(ङ), 230(ङ) और 231(ङ) की एक-एक

प्रति, जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(2) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क नियम, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 128(ङ), 129(ङ), 132(ङ), 133(ङ), 135(ङ) से 153(ङ), 157(ङ) से 159(ङ), 161(ङ) से 193(ङ), 196(ङ), 197(ङ), 200(ङ), 201(ङ) और 203(ङ) की एक-एक प्रति जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थीं तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(3) भारतीय टैरिफ अधिनियम, 1934 की धारा 3 की उपधारा (5) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 229(ङ) की एक प्रति जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(4) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क (दसवां संशोधन) नियम, 1976 जो दिनांक 16 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन।

(5) उपर्युक्त (1), (2), (3) और (4) में उल्लिखित अधिसूचनाओं के अंग्रेजी संस्करण के साथ उनके हिन्दी संस्करण सभा पटल पर न रखे जाने के कारण बताने वाला एक विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)। [ग्रन्थालय में रखा गया। देखिए संख्या एल० टी०-10459/76]।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

स्वास्थ्य और परिवार नियोजन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री ए० के० एम० इसहाक) : मैं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 की धारा 23 की उपधारा (2) के अन्तर्गत खाद्य अपमिश्रण निवारण (संशोधन) नियम, 1975 (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 फरवरी, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 63(ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं [ग्रन्थालय में रखे गये। देखिए संख्या एल० टी०-10460/76]

एल्युमिनियम (नियंत्रण) आदेश, 1970 को सिक्किम राज्य पर लागू करने संबंधी अधिसूचना

इस्पात और खान मंत्रालय में उपमंत्री (श्री सुखदेव प्रसाद) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०आ० 88(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेज़ी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 7 फरवरी, 1970 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा एल्युमिनियम (नियन्त्रण) आदेश, 1970 को सिक्किम राज्य पर लागू किया गया है, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी०-10461/76]।

औद्योगिक विवाद अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

श्रम मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बालगोविन्द वर्मा) : मैं औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 की धारा 38 की उपधारा (5) के अन्तर्गत औद्योगिक विवाद (केन्द्रीय) संशोधन नियम, 1976 (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 5 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 111(ङ) में प्रकाशित हुए थे, सभा पटल पर रखता हूं [ग्रन्थालय में रखे गए। देखिए संख्या एल० टी० 10462/76]।

सीमा शुल्क अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणब कुमार मुखर्जी) : मैं सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या सा०सां०नि० 238(ङ) (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) की एक प्रति, जो दिनांक 18 मार्च, 1976 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, सभा पटल पर रखता हूं। [ग्रन्थालय में रखी गई। देखिए संख्या एल टी०-10462/76]।

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

COMMITTEE ON THE WELFARE OF SCHEDULED CASTES AND SCHEDULED TRIBES

सिफारिशों पर की गई कार्यवाही

श्री डी० बसुमतारी (कोकराझार): मैं हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिये आरक्षण तथा नियोजन के बारे में समिति के 30वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण सम्बन्धी समिति के 34वें प्रतिवेदन के अध्याय पांच में की गई सिफारिशों के उत्तरों का, जो सरकार द्वारा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने के लिये समय पर नहीं दिये गये थे, विवरण सभा पटल पर रखता हूं।

राज्य सभा से सन्देश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

महासचिव: महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना देनी है:--

(एक) कि राज्य सभा 15 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में लोक सभा द्वारा 8 मार्च, 1976 को पास किये गये भांडागारण निगम (संशोधन) विधेयक, 1976 से बिना किसी संशोधन के सहमत हुई है।

(दो) कि राज्य सभा 15 मार्च, 1976 की अपनी बैठक में बाट और माप मानक विधेयक, 1976 में लोक सभा द्वारा 9 मार्च, 1976 को किये गये संशोधन से सहमत हुई है।

(तीन) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 12 मार्च, 1976 को पास किये गये विनियोग (संख्या 3) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(चार) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 1976 को पास किये गये पांडिचेरी विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

(पांच) कि राज्य सभा को लोक सभा द्वारा 11 मार्च, 1976 को पास किये गये नागालैंड विनियोग (संख्या 2) विधेयक, 1976 के बारे में लोक सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है।

सरकारी उपक्रमों संबन्धी समिति

COMMITTEE ON PUBLIC UNDERTAKINGS

78वां प्रतिवेदन

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं ग्राम विद्युतिकरण निगम लिमिटेड पर सरकारी उपक्रमों सम्बन्धी समिति के 62वें प्रतिवेदन में दी गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में समिति का 78वां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

रेल बजट, 1976-77—सामान्य चर्चा—जारी

Railway Budget, 1976-77—General Discussion—(*Contd.*)

अध्यक्ष महोदय : श्री कमलापति त्रिपाठी अपना भाषण जारी रखेंगे।

The Minister of Railways (Shri Kamlapati Tripathi) : I am grateful to the hon. Members, who participated in the discussion on the Railway Budget and gave their valuable suggestions.

It is surprising that my hon. friend Shri Samar Mukerjee has dubbed the budget as a tall talk. I fail to undersatnd as to why he has dubbed the budget to a tall talk, because what has been said in the budget is nothing but have facts. For example we had recrod loadng during the last year. In spite of this, it has been called a tall talk. That only shows that the hon. Member has said so because he has nothing else to say.

While presenting the budget last year, I had put before the House certain expectations and I have no hesitation in saying that all those expectations have been fulfilled. This year we had good and timely rains and the crops are very good. With the sense of discipline generated as a result of emergency our industrial production has gone up. There has been almost increase in production in the factories, be it steel or anything else. The dynamic leadership of our Prime Minister has generated new hopes in the nation and we are marching towards progress. So I have no hesitation in saying that with the sense of discipline generated in the nation as a whole, the railways are bound to continue to make further progress. Last year I said that the Railways hope to be out of the tunnel by next year and to day I say with confidence that the Railways are out of the tunnel.

Some of my hon. friends have said that the increase in freight rates would result in increase in the prices of industrial goods and this will ultimately effect the common people. But this is not correct. The increase is so marginal that it will behave almost negligible effect

on the common man. The apprehension shown by certain hon. Members that the increast in freight rate will result in diversion of goods traffc to road transport is also not correct Moreover, a very small quantity of goods is transported by road traffic as compared to the goods transported by Railways and we wish the road transport also to prosper.

Some hon. Members have questioned the justification of railways contribution to general revenues. They have said that Railways should not contribute to general revenues and the railways should not be considered by the Government as a source of tax. I do not agree with this suggestion. After all Railways and the biggest public sector undertaking and huge amounts are invested therein. At times railways take loan from the general revenue and the contribution made by the railways to general revenue may be treated as interest on the loans taken by the railways.

So far as the financial position of the railways is concerned, I may say that the financial position of the railways is quite satisfactory. It is no use saying that the financial position of the railways is not good. The very fact that we have been able to present a surplus budget this year after many years shows that there has been considerable increase in the earnings in course of last year. This trend is likely to continue even this year. Therefore there is no room for any disappointment in regard to the financial viability of the railways.

As regards the question of suburban trains, these trains are running in loss. But we have not increased the fares of the suburban trains and are running them because the railways have a social responsibility towards the country. If we increase the monthly fares the persons effected would be students, labourers, milkmen, petty shopkeepers as it is mainly these people who use these trains. That is why we have not increased those fares. After all, we cannot see everything from a commercial point of view. It would not be proper if we adopt a purely commercial attitude that we would not be laying any new lines because they are not remunerative in the beginning. We are gudied by three considerations, namely, service of the country, development of backward areas and making railways financially viable.

As regards the punctuality in the running of trains, we have achieved great success in this regard. As a matter of fact the punctuality had altogether disappeared in the last few years and late running of trains was a common feature. We have now been able to bring back punctuality in the running of the trains and the late running of the trains has become a thing of the past. The credit for this achievement goes neither to the Railway Minister or the Railway Board but to the lakhs of railway employees without whose untiring efforts and co-operation this would not have been possible.

A mention has been made about the employees who lost their jobs in connection with the last Rail strike. Of the 17,000 such employees, about 16,200 have already been reinstated. Out of the remaining 814 employees, 448 have gone to the courts and 70 have not sent any appeal. Thus 296 employees remained whose appeals have been rejected. These are people who may not have indulged in violence and sabotage but have incited others and are guilty of breach of discipline. We are not going to take back such persons. This is necessary in the interest of the railways.

As regards workers' participation in management, we have taken some concrete steps in that direction. In accordance with the policy adopted by the Ministry of Labour shop councils and joint councils have been set up in production units. Orders have also been issued for setting up a machinery to hear the grievances of the workers. Officers in the divisions have also been asked to hear grievances at least once a month.

As regards utilisation of the railway land by growing plantations on it, an initiative in this regard was taken by Shri Hanumanthaiya when he was the Minister of Railways and the gangmen had been asked to take up the work. But somehow necessary zeal could not be generated for this purpose and so the work could not make any headway. The Department should pay more attention to this matter and I would see what can be done in this regard.

A suggestion has been made to connect all the State Capitals with Delhi by railway lines. This is certainly a very useful suggestion. But it would require a huge investment. However, we would try our best in this regard.

It has also been said that the work of doubling the lines should be stopped and that money should be utilised in laying new lines in backward areas. Although we want to develop

[Shri Kamlapati Tripathi]

the backward areas, yet it would not be possible to stop this work because it is being undertaken in those areas which are industrially very advanced and require more transport facilities. If the Panning Commission allots us necessary funds, we would certainly take up the work of laying new railway lines.

As regards the construction of Nangal-Talwara railway line, it is certainly very necessary for the development of Himachal Pradesh. But it cannot be taken up immdiately because of paucity of funds. We are trying to get funds for this line and would strat the work as soon as we get something.

So far as Hasan-Mangalore line is concerned, although the work has been going on for the last 12 years, yet it has not been completed so far because there is a mountain in the middle of that track. However, we are doing our best to complete the line as soon as possible.

The question of pilferage has also been raised by some Members. The Railways have to suffer huge losses on this account. We are trying to gear up the R.P.F. and weed out the undesirable elements in it. The emergency has created a new sense of discipline in the R.P.F. and there has been much improvement in thier operations. So far as the R.P.F. was purely a watch and ward organisation. Now we are trying to vest it with challan and investigation powers so that it may become more effective in checking pilferage.

It has also been said that since we have enough of coal in the country, we should not go in for dieselisation. But the demand for dieselisation is coming from all sides because it not only results in increased load capacity but also helps in quicker transportation. We have already set up a factory for manufacturing diesel locomotives. So there is no question of going back.

As regards metre conversion, we have 30,000 kilometers of M.G. line. To convert it into B.G. would mean an expenditure of Rs. 4,000 crores. Since it is not possible to mobilise so much funds, the entire work cannot be taken up immediately. However, we have made a beginning and work for conversion of 1900 kilometres line is going on.

In regard to catering it has been said that there should be more cleanliness and the quality of food should also be improved. We want to set up a committee to look after catering. Some Members of Parliament who have taste for good food would be taken in that Committee.

The question of contruction of the railway bridge on N.E. Railway near Nepal border has also raised by some Members. I would like to assure the Members concerned that we have taken up the matter with the authorities concerned and as soon as necessary sanction is obtained, the work would be taken up.

Work of metre conversion on Shahdara-Saharanpur line is in progress and as soon as more funds are available, it would be expedited.

In regard to monthly passes, a suggestion has been made that photos of the pass-holders should be affixed on them so that they may not be used by other persons. It is a good suggestion and we would seriously consider it.

मुंगफली की गिरी, छिलके सहित मुंगफली और काफी पर निर्यात शुल्क के बारे में साँविधिक संकल्प

STATUTORY RESOLUTION REGARDING EXPORT DUTY ON GROUNDNUT KERNEL, GROUNDNUT SHELL AND COFFEE.

राजस्व और बैंकिंग विभाग में प्रभारी राज्य मंत्री (श्री प्रणव कुमार मुखर्जी): अध्यक्ष महोदय श्रीमन्, मैं निम्नलिखित संकल्प पेश करता हूं :—

"भारतीय टैरिफ़ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की दिनांक 12 फ़रवरी, 1976 की अधिसूचना सा० सां० नि० 75(ङ)

का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्यात शुल्क को बढ़ा कर मूंगफली की गिरी पर 800 रुपए प्रति टन, छिलके सहित मूंगफली पर 600 रुपए प्रति टन और काफ़ी पर 300 रुपए प्रति क्विटल कर दिया गया है।"

मूंगफली की फ़सल अच्छी होने के कारण हाल ही के महीनों में देश में मूंगफली का मूल्य विदेशी बाजार के मूल्य से काफ़ी कम हो गया है। कार्फी के मूल्य में भी ब्राजील में पाले की फ़सल नष्ट होने तथा अंगोला में अशान्ति होने के कारण अत्यधिक वृद्धि हुई है। इन वस्तुओं के निर्यात मे होने वाले अत्यधिक लाभ में से कुछ प्राप्त करने के लिए मूंगफ़ली की गिरी पर 800 रुपए प्रति टन, मूंगफ़ली पर 600 रुपए प्रति टन और कार्फी पर 300 रुपए प्रति क्विटल निर्यात शुल्क बढ़ाया गया है।

एक सुझाव यह दिया गया है कि 13-2-1976 से पहले निर्यात के लिये खरीदी गई काफी को बढे हुए शुल्क से छूट दी जाये। निर्यात शुल्क के बढाये जाने के समय कुछ न कुछ माल तो बीच रास्ते में रहता ही है, परन्तु सीमा-शुल्क अधिनियम 1962 के अनुसार वैधानिक स्थिति यह है कि इस प्रकार की छूट देना सम्भव नहीं है। अतः इसके लिये काफ़ी बोर्ड में ही बात की जा सकती है।

यह सुझाव भी दिया गया है कि वर्तमान स्थिति और अन्तराष्ट्रीय मूल्यों को देखते हुए यदि निर्यात शुल्क को बढाना न्यायोचित है तो मूल्यों के गिरने पर भी इस प्रकार का समन्वय किया जाये। मैं यह फ़िर दोहराता हूं कि विदेशी मंडियों में भारतीय सामान की स्पर्धात्मक स्थिति पर निर्यात शुल्क कर मामले पर विचार किया गया है और निर्यात व्यापार के हितों को देखते हुए यह आवश्यक समझा गया है वहां अपेक्षित समायोजन किया गया है।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"भारतीय टैरिफ़ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की दिनांक 12 फ़रवरी, 1976 की अधिसूचना सा० सा० नि० 75(ङ) का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से निर्यात शुल्क को बढ़ा कर मूंगफ़ली की गिरी पर 800 रुपये प्रति टन, छिलके सहित मूंगफ़ली पर 600 रुपये प्रति टन और काफ़ी पर 300 रुपये प्रति क्विटल कर दिया गया है।"

इस संकल्प पर भाषण देने वाला कोई सदस्य नहीं है। अतः मैं इसे सभा में मतदान के लिये रखता हूं। प्रश्न यह है :

"भारतीय टैरिफ़ अधिनियम, 1934 (1934 का 32) की धारा 4क की उपधारा (2) के अनुसरण में, यह सभा भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व तथा बीमा विभाग) की दिनांक 12 फ़रवरी, 1976 की अधिसूचना सा०

सां० नि० 75 (ड) का अनुमोदन करती है, जिसके द्वारा अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख में नियति शुल्क को बढ़ा कर मूंगफली की गिरी पर 800 रुपये प्रति टन, छिलके सहित मूंगफली पर 600 रुपये प्रति टन और काफ़ी पर 300 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया गया है।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

तमिलनाडु राज्य विधानमंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) विधेयक

TAMIL NADU STATE LEGISLATURE (DELEGATION OF POWERS) BILL.

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राष्ट्रपति को तमिलनाडु राज्य के विधानमंडल की विधियां बनाने की शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

संविधान के अनुच्छेद 356 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा 31 जनवरी, 1976 को तमिलनाडु राज्य के संबंध में जारी की गई उद्घोषणा द्वारा यह उपबन्ध किया गया है कि राज्य विधानमंडल की शक्तियों का संसद के प्राधिकार के अन्तर्गत अथवा संसद् द्वारा उपयोग किया जाएगा। अतः दोनों सदनों के भारी कार्यभार को दृष्टि में रखते हुए राज्य संबंधी विभिन्न विधायी मामलों को संसद् के लिए निपटाना इस समय कठिन है। तुरन्त विधान बनाने की स्थिति में तो यह और भी कठिन हो जाएगा। अतः विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि राज्य के संबंध में कानून बनाने हेतु राज्य विधान-मंडल की शक्तियां राष्ट्रपति को सौंप दी जायें।

विधेयक में उपबन्ध किया गया है कि इस संबंध में 60 संसद् सदस्यों (40 सदस्य लोक सभा से और 20 सदस्य राज्य सभा से) की एक सलाहकार समिति गठित की जाए। यह उपबन्ध भी किया गया है कि राष्ट्रपति द्वारा बनाए गये कानूनों में, आवश्यकता पड़ने पर, रूपभेद करने के लिए निदेश देने हेतु संसद् को शक्ति प्रदान की जाये।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव पेश किया गया :

"कि राष्ट्रपति को तमिलनाडु राज्य के विधानमंडल की विधियां बनाने की शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाये।"

श्री सोमनाथ चटर्जी (बर्दवान) : यह विधेयक इस बात का एक और उदाहरण है कि एक गलती के बाद दूसरी गलती कैसे की जाती है। इस विधेयक से सम्पूर्ण लोकतांत्रिक प्रक्रिया ही अवरुद्ध करने का प्रस्ताव है। इस विधेयक के द्वारा तमिलनाडु सरकार के संबंध में विधान बनाने की शक्ति कार्यपालिका को देने का उपबन्ध किया गया है और इस तरह कार्यपालिका सम्पूर्ण विधायी शक्तियां भी अपने पास लेना चाहती है। इसे संसदीय लोकतन्त्र की सभी परम्पराओं के विरुद्ध समझना चाहिए।

इस देश में संविधान के अनुच्छेद 356 का बहुत उदारता से प्रयोग करने से अनेक राज्यों में कानून बनाने के संबंध में जन प्रतिनिधियों का योगदान नहीं लिया जाता है। अब प्रत्येक बात दिल्ली से कार्यपालिका द्वारा ही की जायेगी। संसद् के कार्यकरण इस तरह से रद्द नहीं करने दिये जाने चाहियें। अतः मैं सिद्धान्त रूप से इस विधेयक का विरोध करता हूं।

मंत्री महोदय हमें यह बतायें कि तमिलनाडु में कब चुनाव कराये जायेंगे और क्या तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन जारी रखने के लिए आपात स्थिति का तर्क लिया जाएगा।

***श्री एस० ए० मुरुगानन्तम्** (तिरुनेलवेलि) तमिलनाडु राज्य विधानमंडल की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित करने संबंधी यह विधेयक सराहनीय है। इस विधेयक में तमिलनाडु राज्य के प्रशासन में राष्ट्रपति की सहायता करने हेतु एक सलाहकार समिति गठित करने का प्रस्ताव है जिसमें लोक सभा के 40 सदस्य और राज्य सभा के 20 सदस्य होंगे। अब तमिलनाडु के बहुत से क्षेत्र अकाल ग्रस्त हैं। तमिलनाडु में अकाल को दूर करने के लिए तुरन्त कारगर कदम उठाये जाने चाहियें। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के दौरान 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम को नई प्रेरणा मिलेगी।

तमिलनाडु में परिवार को मूल एकक मान कर वहां भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जानी चाहिए। हाल ही में तमिलनाडु में बसों के किराये में वृद्धि की गई है। ऐसा नहीं किया जाना चाहिए था क्योंकि यह जनसाधारण के हितों के प्रतिकूल है। तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन के दौरान ऐसे कार्य किये जाने चाहियें जो आम जनता के हित में हों।

श्री बी० वी० नायक (कनारा) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। 60 सदस्यीय सलाहकार समिति को जो दर्जा दिया गया है वह केवल सिद्धान्त मात्र नहीं होना चाहिए बल्कि इसे व्यावहारिक बनाया जाना चाहिए। ऐसी अधिकांश समितियां वास्तविक समस्याओं को भूल जाती हैं विशेषकर इन समितियों के वे सदस्य जो अन्य राज्यों से आते हैं। अतः मंत्री महोदय को तमिलनाडु राज्य के प्रतिनिधियों और लोगों को उचित साधन प्रदान करने चाहियें ताकि वे लोगों की आकांक्षाओं को समझ सकें और राष्ट्रपति शासन को सफल बना सकें।

श्री जे० माता गौडर (नीलगिरी) : तमिलनाडु के संबंध में राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्तियां प्रत्यायोजित करने वाले इस विधेयक का स्वागत नहीं करता। इस तथ्य से कि तमिलनाडु राज्य के लिए राष्ट्रपति को कानून बनाने की शक्ति दी गई है यही पता चलता है कि राज्य के लोगों को अपनी प्रतिनिधि सरकार बनाने के अधिकार से वंचित किया गया है। यह प्रतिनिधि सरकार की लोकतांत्रिक प्रणाली से वंचित रखना है। किसी को पता नहीं कि यह स्थिति कब तक चलेगी। राष्ट्रपति को राज्य में शासन करने की शक्ति दी जा रही है। पता नहीं राष्ट्रपति यहां से तमिलनाडु का शासन कैसे चलायेंगे।

श्री ओ० वी० अलगेशन (तिरुत्तनी) : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू किया जाना सदन ने बहुमत से अनुमोदित किया है। जहां राष्ट्रपति शासन है वहां ऐसी समितियां नियुक्त की गई हैं

*तमिल में दिये गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का संक्षिप्त हिन्दी रूपान्तर।

*Summarised translated version based on English translation of the speech delivered in Tamil.

[श्री ओ० वी० अलगेसेन]

और ऐसी विधायी शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं । कुछ चेतावनी दी गई है और यह कहा गया है कि तमिलनाडु राज्य के इस समिति के सदस्यों को अपेक्षाकृत अधिक अधिकार दिये जाने चाहियें । मंत्री महोदय को इस बारे में सावधानी बरतनी चाहिए ।

समिति में 60 सदस्य होंगे । 40 लोक सभा से और 20 राज्य सभा से । यह समिति राज्य के लिए वैकल्पिक विधान मंडल के रूप में कार्य करेगी । राज्य विधान मंडल को अपने स्थान से नहीं हटाया गया है । सम्पूर्ण संसद् का क्षेत्राधिकार स्थानापन्न किया जा रहा है और दोनों सदनों से आने वाले इस समिति के सदस्य कुछ समय के लिए राज्य के विधान मंडल के रूप में कार्य करेंगे । लेकिन इस समिति की दशा पहले जैसी नहीं होनी चाहिए । जो भी विधान बनाया जाता है या पेश किया जाता है, वह समिति के समक्ष पेश किया जाना चाहिए ।

राष्ट्रपति शासन का मुख्य उद्देश्य कुप्रशासन को दूर करना या समाप्त करना है । लेकिन कुप्रशासन केवल राज्य सरकार में ही व्याप्त नहीं है, यह तो नगरपालिकाओं में भी विद्यमान है । अतः इन स्थानीय निकायों को समाप्त करने हेतु अधिनियम पास करना और उन्हें दूसरे हाथों में सौंपना आवश्यक है ।

यदि राष्ट्रपति शासन लागू करने का उद्देश्य प्राप्त करना है तो इस विधेयक को इस सदन द्वारा पास किया जाना अत्यावश्यक है । सिद्धान्त के मामले में इस विधेयक पर कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए ।

गृह मंत्रालय में उपमंत्री (श्री एफ० एच० मोहसिन) : तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद संविधान के अनुच्छेद 357 के अन्तर्गत राज्य विधान मंडल की शक्तियां संसद द्वारा प्रयोज्य है । इसी अनुच्छेद के अन्तर्गत ही यह विधेयक लाया गया है । इस समय चार राज्य/संघ शासित क्षेत्र अर्थात् तमिलनाडु, पांडिचेरी, नागालैंड और गुजरात राष्ट्रपति शासन के अधीन हैं । राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किये जाने वाले 20 सूत्री कार्यक्रम से विभिन्न राज्यों में कई कानून बनाये गये हैं । अतः यह सभी आवश्यक विधान पास करने के लिए संसद् के पास समय नहीं है । जिन राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है वहां शक्तियां भी प्रत्यायोजित की जा रही हैं । संसद् की शक्तियां राष्ट्रपति को दी जाती हैं जो सामान्य नियम के अनुरूप हैं ।

तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लागू होने के बाद, कुछ अत्यावश्यक अध्यादेश जारी किये गये हैं । इन अध्यादेशों की अवधि 17 अप्रैल, 1976 को समाप्त हो जाएगी । तमिलनाडु सरकार इन अध्यादेशों को राष्ट्रपति के अधिनियमों के रूप में बदलने की इच्छुक है । ये अध्यादेश गरीब वर्ग के लोगों के लाभ के लिए जारी किये गये हैं । अतः इस विधेयक को अधिनियम बनाना अत्यावश्यक है । ताकि 17 अप्रैल, 1976 से पहले राष्ट्रपति द्वारा अपेक्षित विधान बनाया जा सके ।

सलाहकार समिति की शक्तियों के बारे में कुछ कहा गया है । विधान बनाने की शक्तियां राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित करने का उद्देश्य राज्य के लिए शीघ्रता से कानून बनाने की व्यवस्था करना है । विस्तृत और औपचारिक प्रक्रिया संबंधी नियमों वाली सलाहकार समिति बनाना वांछनीय नहीं है । पहले की भांति इसका अनौपचारिक सलाहकार रूप बनाये रखना है । लेकिन फिर भी इसका संसदीय नियंत्रण अवश्य रहेगा । विधेयक के खंड 3 में स्पष्ट कर दिया गया है कि इस सदन ने राष्ट्रपति

द्वारा बनाये गए कानूनों पर संसदीय नियंत्रण रखने का उपबन्ध कर दिया है। अतः विधायी शक्ति के लिए संसदीय नियंत्रण समाप्त नहीं हुआ है। समय की कमी के कारण ही यह शक्ति राष्ट्रपति को प्रत्यायोजित की जा रही है। अतः सभा को विधेयक पास कर देना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राष्ट्रपति को तमिलनाडु राज्य के विधान मंडल की विधियां बनाने की शक्तियां प्रदान करने वाले विधेयक पर, राज्य सभा द्वारा पास किये गये रूप में, विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम खण्डवार विचार आरम्भ करते हैं। प्रश्न यह है :

"कि खण्ड 2 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

The motion was adopted.

खण्ड 2 विधेयक में जोड़ दिया गया।

Clause 2 was added to the Bill.

खण्ड 3

Clause 3

उपाध्यक्ष महोदय : इस खंड पर श्री नायक का एक संशोधन है।

श्री बी० वी० नायक : मैं संशोधन संख्या 1 पेश करता हूं। क्या माननीय मंत्री राष्ट्रपति शासन के अन्तर्गत अन्य राज्यों में अनुभव के आधार पर सलाहकार समिति की बैठकों की आवधिकता बतायेंगे—क्या इसकी बैठक 6 महीने में, या दो या तीन महीने में एक बार होगी ?

उपाध्यक्ष महोदय : क्या आपको अपने संशोधन के बारे में जानकारी है ?

श्री बी० वी० नायक : जी, हां। मैंने 33 प्रतिशत वर्तमान सदस्यों के प्रतिनिधित्व के बारे में कहा है ताकि बैठकें यथाशीघ्र हो सकें। राष्ट्रपति शासन के एक वर्ष के दौरान केवल दो ही बैठकें हुई हैं।

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं आपके संशोधन को स्वीकार नहीं कर सकता समिति में सभी दलों के सदस्यों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। हम इस बात का ध्यान रखेंगे कि सलाहकार समिति की बैठकें होती रहें।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 1 मतदान के लिए रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ।

The amendment was put and negatived.

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि खंड 3, 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक का अंग बनें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

खंड 3, खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का नाम, विधेयक में जोड़ दिये गये ।

Clause 3, Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

श्री एफ० एच० मोहसिन : मैं प्रस्ताव करता हूं कि विधेयक को पारित किया जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को पारित किया जाए ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

The motion was adopted.

बजट (सामान्य) 1976-77—सामान्य चर्चा

BUDGET (GENERAL), 1976-77—GENERAL DISCUSSION

श्री इन्द्रजीत गुप्त (अलीपुर): वर्तमान बजट में कुछ अच्छी अथवा बुरी नई बातें आयी हैं। योजना के परिव्यय में बहुत वृद्धि हुई है, जो स्वागत योग्य है ।

योजना परिव्यय में वृद्धि के प्रस्ताव का ऐसे समय लाना अच्छी बात है, जब मूल्य न बढ़ रहे हों । अतः गत वर्षों की तुलना में भौतिक लक्ष्यों को दृष्टि में रखते हुये बजट परिव्यय की वृद्धि अधिक सार्थक सिद्ध होगी ।

सर्वसाधारण द्वारा अधिक खपत की वस्तुओं पर उत्पाद-शुल्क में भारी वृद्धि का सामान्य व्यक्ति पर बोझ डालने का प्रयत्न नहीं किया गया है । एक नई बात यह है कि हमारे देश में गैर-सरकारी क्षेत्र में एकाधिकार क्षेत्र को, औद्योगिक और वाणिज्यिक समुदाय को बजट प्रस्तावों में अवांछनीय छूट देने का प्रस्ताव किया गया है । इन छूटों का अवश्य ही कोई उद्देश्य है जो पिछली परम्पराओं के विरुद्ध है ।

योजना परिव्यय में 34 प्रतिशत की वृद्धि इस कारण औचित्यपूर्ण है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पेंशनभोगियों को राहत की व्यवस्था, खेल-कूद, शारीरिक प्रशिक्षण के विकास तथा खेलकूद प्रशिक्षण योजनाओं के लिये राशि का आवंटन करना पड़ा ।

पैट्रोलियम, इस्पात तथा विद्युत के लिए आवंटनों में भी काफी वृद्धि की गई है । यद्यपि कृषि उत्पादन को उचित प्राथमिकता दी गई है, फिर भी सिंचाई योजनाओं, बाढ़ नियंत्रण, उर्वरकों आदि का विकास सरकारी क्षेत्र में उद्योग के मुख्य क्षेत्र के विकास के खर्च पर नहीं किया गया है ।

बजट पत्रों में यह स्वीकार किया गया है कि कुडरेमुख परियोजना पर होने वाला व्यय ईरान द्वारा वहन किया जायेगा। तब भी इस परियोजना के लिए बजट में 100 करोड़ पये की राशि की व्यवस्था की गयी है। मंत्री महोदय हमें बतायें कि इस कुडरेमुख परियोजना के लिये 100 करोड़ रुपये की विशाल राशि की व्यवस्था करने की आवश्यकता क्यों पड़ी हैं, क्योंकि बजट पत्रों में कहा गया है कि समूची लागत ईरान पूरी करेगा।

बजट में दूसरी बात यह है कि संसाधन जुटाने के लिए कम प्रयास किये गये हैं। किन्तु वित्त मन्त्री पहले वर्षों की तुलना में इस वर्ष के बड़े योजना परिव्यय हेतु संसाधनों की व्यवस्था कैसे कर रहे हैं। यह परिव्यय लगभग 7800 करोड़ रुपये का होगा। आयोजन के इन तमाम वर्षों के दौरान न्यूनतम अतिरिक्त करों से हमें 48 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई है।

मंत्री महोदय जोखिम उठाकर खतरनाक रियायतें दे रहे हैं। हम अपना बजट इस आधार पर तैयार करते हैं कि यदि हम गैर-सरकारी निगमित क्षेत्र के साथ उदारता बरतें तो वह ईमानदारी से ऋणों का भुगतान करता है, उत्पादन में पूरी क्षमता से अधिक धन का निवेश करता है और करापवंचन की बजाय करों का भुगतान अधिक ईमानदारी से करता है। यह घाटे की बहुत बड़ी राशि है जिसे जानबूझकर पूरा नहीं किया गया है। यह अन्तर वर्ष के अन्त में पूरा होगा किन्तु 320 करोड़ रुपये से नहीं अपितु यह राशि बहुत अधिक होगी।

बजट से यह पता भी चलता है कि गैर-सरकारी क्षेत्र को अधिक रियायतें दी गई हैं। आयकर की अधिकतम और सीमांत दर कम करके 66 प्रतिशत कर दी गयी है, किन्तु छूट की सीमा नहीं बढ़ायी गयी है। शहरी भूमि तथा इमारतों पर अतिरिक्त सम्पत्ति कर पूरी तरह समाप्त कर दिया गया है।

निवेश भत्ते की दर 10 वर्ष के लिये 25 प्रतिशत कर दी गई है और इसका सभी व्यापारियों ने स्वागत किया है। इसके अतिरिक्त दीर्घकालीन अवधि के ऋणों पर बैंक द्वारा दिए जाने वाले ब्याज पर कर बिल्कुल समाप्त कर दिया गया है। साथ ही 5 प्रतिशत अधिभार भी हटा दिया गया है। ये सारी बातें आश्चर्यजनक नहीं है क्योंकि कुछ महीने पूर्व कुछ इस तरह का वातावरण बन गया था जिसमें बड़े-बड़े व्यापारी सरकार से यह कहने का प्रयास करते रहे कि जब तक इस तरह की छूटें नहीं दी जायेंगी तब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता।

जहां तक कम आय वाले वर्गों का सम्बन्ध है इनकी आयकर दरें बहुत कम हैं जबकि अधिक आय वाले वर्गों के लिए यह दर अधिक है। दरों में की गई यह कमी अधिक आय वाले लोगों के लिए की जानी चाहिए थी और कम आय वाले लोगों को अधिक राहत दी जानी चाहिए थी। किन्तु जो कुछ किया गया है, वह सब इसके विपरीत है। 25,000 रुपये तक की आय कर पर 2 से 5 प्रतिशत की कमी की गई है। किन्तु अधिक आय वाले वर्गों के लिए यह कमी 10 से 15 प्रतिशत तक है। 66 प्रतिशत अधिकतम दर, जो पहले 77 प्रतिशत थी अब एक लाख रुपये से अधिक आय पर लागू होगी, जबकि पहले यह दर 70,000 रुपये से अधिक पर लागू की जाती थी। किन्तु ग्रामीण क्षेत्र में अधिक समृद्ध वर्गों पर आयकर लगाने का सामान्य सिद्धान्त अब विवादस्पद नही रहा। किन्तु इस बार भी इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया गया। तत्पश्चात् सम्पत्ति कर दरों में की गई अत्यधिक कमी का कोई औचित्य नहीं है। अभी भी देश में छिपा

[श्री इन्द्रजीत गुप्त]

धन बड़ी मात्रा में है । अतः सम्पत्ति कर पर दी गई रियायतें पूर्ण तथा अनुचित है । ऊंची आय वाले वर्गों में 3 लाख या 5 लाख रुपये की सम्पत्ति की घोषणा करने वाले लोगों को सम्पत्ति कर में बहुत रियायत दी गई है । इसी तरह का कुछ कर व्यय पर भी लगाया जा सकता था। किन्तु ऐसा नहीं किया गया है ।

साबुन, चाय और सिले सिलाये कपड़े जैसी थोड़ी वस्तुएं ही जनसाधारण के उपयोग की हैं । उत्पादन शुल्क की राहत अधिकांशतः शहरी मध्यम वर्ग को दी गई हैं । टैलीविजन, वाटर कूलर तथा रेफ्रिजिरेटर जैसी वस्तुओं को कदापि जनसाधारण की उपयोग की वस्तुएं नहीं कहा जा सकता। उन्हें कुछ राहत दी गई हैं, जिसका प्रमुख उद्देश्य उद्योग की सहायता करना है ।

व्यापारियों को करों में दी गई रियायतों में की गई वृद्धि का परिणाम अत्यधिक घाटा है । इस घाटे का दूसरा कारण योजना परिव्यय में वृद्धि भी है । इस घाटे में संतुलन रखने के लिए पहला उपाय यह किया गया है कि बैंकों से ऋण लिया जाये । दूसरा उपाय यह किया गया है कि कर्मचारियों की मंहगाई भत्ते की जमा राशि में से पर्याप्त राशि ले ली जाये । और तीसरा उपाय यह है कि बाहरी सहायता पर अधिकाधिक निर्भर रह जायें । यदि बड़े पैमाने पर संसाधन जुटाने की व्यवस्था न की गई तो फिर सरकार को इन तीन उपायों का ही सहारा लेना पड़ेगा । कुछ अन्य बातें भी हैं जो बाधक बन गई हैं, जैसे कि स्वेच्छा प्रकटन योजना । हम पूरी तरह से इसके पक्ष में नहीं हैं ।

योजना के अन्तर्गत जितनी राशि प्रकट की गई है, वह छिपी सम्पत्ति का बीसवां हिस्सा होगा । फिर भी इस योजना के अन्तर्गत यह व्यवस्था की गई थी कि जो लोग स्वैच्छा से सम्पत्ति प्रकट करेंगे, उन्हें सम्पत्ति कर पुरानी ही दरों पर देना होगा । अब इस बजट में इन दरों में बहुत कमी की गई है । साथ ही यद्यपि यह उपबंध किया गया है कि अनिवार्य जमा योजना एक वर्ष और रहेगी, तथापि लाभांश के भुगतान पर लगे प्रतिबंध को हटाया जा रहा है । सरकार लाभांश अदायगी पर अंकुश लगा रही है जिसके फलस्वरूप धनी वर्ग को ही लाभ पहुंचेगा । अनिवार्य जमा योजना को एक वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। यह बजट देश के धनी वर्गों के हितों को दृष्टि में रखकर बनाया गया है कुछ हद तक यह शहरों में रहने वाले मध्यम वर्ग के भी हित में है । सरकार अब शहरी जनता को अपने पक्ष में करना चाहती है क्योंकि अगले वर्ष के अन्त तक चुनाव कराने का इरादा है । ग्रामीण जनता के समर्थन के बारे में सरकार पूरी तरह से विश्वस्त है उसे शहर के मध्यमवर्ग से कुछ आशंका है इसलिए उनकी स्थिति सुधारने हेतु वह उन्हें यत्र तत्र कुछ रियायतें दे रही है उदाहरणार्थ अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि नहीं की गई है । लेकिन छोटा और मध्यम किसान बहुत असंतुष्ट है उनसे जबर्दस्ती बकाया ऋण और राजस्व की वसूली की जा रही है ।

बजट में निर्धारित इस विशाल योजना परिव्यय में यह व्यवस्था नहीं की गई है कि इसका अधिकांश भाग दश के निर्धन वर्गों के विकास में लगाया जएगा ।

इस देश में कुछ अजीब बातें हो रही हैं एक ओर तो वित्त मंत्री मद्य निषेध के पक्ष में हैं और दूसरी ओर उसे कर से बिल्कुल छूट दे रहे हैं । यद्यपि यह राज्य सूची का विषय है फिर भी आप इस दिशा में कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी कर सकते हैं । आपने सभी मीठे पेय जलों जैसे कोका कोयला इत्यादि के मूल्य बढ़ा दिए है लेकिन सोडे के मूल्य नहीं बढ़ाए ताकि शराब पीने वाले लोगों को सोडा खरीदने के लिए अधिक पैसे न देने पड़ें ।

औषधियों पर उत्पादन शुल्क में भारी वृद्धि की गई है। 60 प्रतिशत जीवन रक्षक औषधियां सरकारी अस्पतालों, रेलवे के अस्पतालों और ई० एस० आई० द्वारा खरीदी जाती हैं। मेरा सुझाव है कि इस 5 प्रतिशत के अतिरिक्त उत्पादन शुल्क को जिससे लगभग 18 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा वापिस ले लिया जाए क्योंकि देश की निर्धन जनता इस अतिरिक्त उत्पादन शुल्क से बहुत प्रभावित होगी। मेरे विचार में दवाईयां भोजन से कम महत्वपूर्ण नहीं। अतः इस मामले पर कृपया पुनर्विचार करें।

मंत्री महोदय औद्योगिक समुदाय पर बहुत विश्वास कर रहे हैं इस बात की क्या गारंटी है कि कम कराधान के फलस्वरूप जो राशि उद्योगपतियों के पास बच रहेगी उसका विनियोजन वह अवश्य उत्पादक कार्यों के लिये करेंगे। यदि आप इसे सुनिश्चित नहीं करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि आप केवल उन लोगों पर भरोसा कर रहे हैं।

मंत्री महोदय को इस बात की आशा है कि कम करापवंचन के फलस्वरूप बेहतर राजस्व की प्राप्ति होगी। उन्होंने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख नहीं किया कि क्या करापवंचकों के विरुद्ध जो अभियान चलाया गया है, वह जारी रहेगा। यह अभियान जारी रहना चाहिए।

बजट बनाते समय विदेशी सहायता का सहारा लिया गया है लेकिन इसे बजट का अनावश्यक मुख्य भाग बनाने से खतरा उत्पन्न हो सकता है। इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

अन्त में मैं मंत्री महोदय से यह पूछना चाहता हूं कि यदि बड़े उद्योगपति कम कराधान के फलस्वरूप बची राशि का उत्पादक कार्यों के लिये पूंजी निवेश न करें तो क्या होगा ? इस बारे में हमें कुछ अनुभव हो चुके हैं। कपास और जूट के मूल्य कम हुये परन्तु इनसे निर्मित होने वाले पदार्थों के मूल्य कम नहीं हुये। किसानों की स्थिति दयनीय हो गई और जूट मिल मालिकों या कपड़ा मिल मालिकों के खजाने भरते रहे। इस बात को मंत्री महोदय ने स्वयं स्वीकार किया है। क्या इसके समाधान हेतु मिल वालों को अधिकतम खुदरा कीमत की मोहर लगाने के लिये कहा जाएगा। ताकि मध्यस्थों के लाभ पर नियंत्रण किया जा सके लेकिन कीमत कौन निर्धारित करता है। मेरा जो दिल चाहे मैं उस कीमत की मोहर लगा सकता हूं। इस बात का निर्णय कौन करेगा कि निर्माता को कितनी कीमत की मोहर लगानी चाहिये।

यदि अब मौनसून (वर्षा) समय पर नहीं आया तो क्या होगा। क्या मुद्रास्फीति की प्रक्रिया फिर चालू हो जाएगी।

डा० वी० के० आर० वी० राव (बेलारी) : उपाध्यक्ष महोदय, बजट की विभिन्न मदों के सम्बन्ध में विस्तृत चर्चा करने का मेरा इरादा नहीं है। मैं आर्थिक स्थिति को वृहद् परिप्रेक्ष्य में लेना चाहता हूं। पिछले कई वर्षों से हम आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय को बढ़ाने हेतु कई प्रकार की राजकोषीय नीतियां अपना रहे हैं अब हमें यह देखना है कि यह नई पद्धति इन समस्याओं का सामना करने में कहां तक समर्थ होती है। इसी पृष्ठभूमि में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहूंगा।

गत तीनचार वर्षों में सरकारी और गैर-सरकारी दोनों ही क्षेत्रों में पूंजी निवेश में कमी हुई है। कम पूंजी निवेश का आर्थिक विकास पर प्रभाव पड़ता है। पूंजी निवेश का आर्थिक

विकास से गहरा सम्बन्ध है। पूंजी निवेश के अभाव में आर्थिक विकास असम्भव है शायद इसी बात को ध्यान में रख कर वित्त मंत्री ने पूंजी निवेश की समस्या की ओर ध्यान दिया है कि इसे कैसे बढ़ाया जा सकता है।

वर्ष 1970–71 के आंकड़े देखने से पता चलता है कि कुल राष्ट्रीय उत्पाद और प्रति व्यक्ति आय दोनों ही रूप में आर्थिक विकास में तेजी से कमी आई है। 1970–71 में यह आंकड़े 4 से 5 प्रतिशत तक थे बाद में घटकर पहले यह 3 प्रतिशत और बाद में 2 प्रतिशत हो गये जहां तक प्रति व्यक्ति आय का सम्बन्ध है गत तीन-चार वर्षों में इसमें प्रगति दर शून्य रही है। अतः क्या पूंजी निवेश को बढ़ाना आवश्यक हो गया है या नहीं ? यदि आवश्यक है तो हम किन उपायों द्वारा अधिक पूंजी निवेश कर सकते हैं।

देश में काले धन की समानान्तर अर्थ व्यवस्था बनी हुई है। काला धन मुद्रास्फीति को बढ़ाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। मुझे खुशी है कि सरकार ने काले धन की समस्या को हल करने का निर्णय किया है। बजट को परखते समय इस पहलू को भी ध्यान में रखना चाहिये। कराधान की उच्च दरें करापवंचन और काले धन को बढ़ावा देती हैं इस सम्बन्ध में मेरे लिये कुछ भी कहना कठिन है। गत कुछ वर्षों में करों को वसूली में वृद्धि हुई है यह वृद्धि कर विभाग के प्रबन्धकों की कार्य क्षमता के कारण हुई है अथवा करापवंचकों के मन में समाए भय के कारण, क्योंकि आपात स्थिति की शक्तियां का प्रयोग करके काले धन वालों के घर छापे मारे गये हैं उनकी वस्तुयें जब्त की गई हैं, इस बारे में मैं एक ईमानदार अर्थशास्त्री के नाते कुछ नहीं कहना चाहता।

हमारे देश की अर्थव्यवस्था में गैर-सरकारी क्षेत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। क्या ऐसी अर्थ-व्यवस्था में प्रत्यक्ष कराधान द्वारा हमारे लिये संसाधनों को बढ़ाना सम्भव है ? मुझे इस बात की खुशी है कि श्री इन्द्रजीत गुप्त ने कहा है कि छूट की सीमा 66 प्रतिशत तक बढ़ाने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैं यह नहीं जानता कि क्या 66 प्रतिशत करापवंचक प्रवृत्तियों को रोकने में सहायक होगा अथवा नहीं लेकिन एक बात मैं जानता हूं कि सभी समाजवादी अर्थ व्यवस्थाओं में प्रगतिशील प्रत्यक्ष कराधान का संसाधनों को गतिशील बनाने के काम में प्रयोग नहीं किया जाता। हमारा अन्तिम लक्ष्य यही है कि देश में एक लोकतांत्रिक, समाजवादी समाज की स्थापना की जाये। सम्पत्ति और आय में व्याप्त असमानताओं को पूरी तरह समाप्त किया जाये। इसका अर्थ यह है कि देश की आम जनता का जीवन स्तर सुधरे और उन्हें समान अवसर प्राप्त हों। अतः हमारे लिये महत्वपूर्ण प्रश्न यही है कि हम उस समाज के लिये संसाधन कैसे जुटा सकते हैं और इस उद्देश्य के लिये हम प्रत्यक्ष करों पर कहां तक निर्भर रह सकते हैं ?

मंदी की बात को जा रही है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या देश में मन्दी है। इस बारे में दो विचारधाराएं हैं और मुख्य रूप से कहा जा रहा है कि देश में कुछ उद्योगों के सम्बन्ध में मन्दी है। मंदी का अर्थ स्टाक का जमा हो जाना, जबरी छुट्टी तथा कर्मचारियों की छटनी इत्यादि है) लेकिन 1975–76 के दौरान मन्दी पर काबू पाने का यत्न किया गया है। सरकार की अच्छी वित्तीय, राजकोषीय और पूंजीनिवेश नीति के फलस्वरूप औद्योगिक प्रगति दर 3.5 अथवा 4 प्रतिशत तक बढ़ गई है वित्त मंत्री ने अपने भाषण में उल्लेख किया है कि टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं के मामले में कुछ मंदी जरूर आई है। इस समस्या को दूर करने के लिए अवश्य कुछ करना होगा।

पैट्रोल की कीमत कम करने के सम्बन्ध में बड़े-बड़े विज्ञापन दिये जा रहे हैं । इस बात की मुझे जानकारी नहीं कि क्या दिल्ली के समाचार पत्रों में भी ऐसे विज्ञापन प्रकाशित हुये हैं पर बंगलौर में तो पूर्ण एक पृष्ठ पर इस सम्बन्ध में विज्ञापन दिया गया था । यदि पैट्रोल का उत्पादन शुल्क कम हो जाये तो इससे बहुत लोगों को रोजगार प्राप्त हो जाएगा ।

हमारे देश में किस प्रकार की अर्थ व्यवस्था है । टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुओं पर अत्यधिक पूंजी निवेश किया गया है इन वस्तुओं की मांग न तो निर्धन वर्गों या निम्न मध्यम वर्गों के लोगों द्वारा की जाती है । हमारी अर्थव्यवस्था एक विशेष वर्ग का प्रतिनिधित्व करती है । ताकि जनसाधारण का काला धन पकड़े जाने के कारण यह विशेष वर्ग बचे काले धन का भी उपयोग नहीं कर पारहा और उनकी क्रय शक्ति अकस्मात घट गई है जिससे इन वस्तुओं की मांग में अचानक कमी आ गई और परिणाम यह हुआ कि उद्योगों में मंदी आ गई और वस्तुओं का स्टाक जमा हो गया है । कुछ लोगों की छंटनी कर दी गई है और कुछ और लोगों की छंटनी का भय है ।

इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जमाखोरी रुक गई है क्योंकि विलासिता की वस्तुएं खरीदने और समाज विरोधी गतिविधियां चलाने के लिये जिस काले धन का उपयोग किया जाता था वह स्थिर है । अतः मांग घट गई है । आज हमें इस स्थिति का सामना करना पड़ रहा है । फिलहाल हमें इस समस्या को उसी प्रकार निपटाना होगा जैसा कि अब तक हम करते आये हैं ।

क्या हम उस अर्थव्यवस्था को जो कुछ वर्गों के लिये ही हितकारक है । ऐसी अर्थव्यवस्था में बदलने जा रहे हैं जो जनसाधारण के हितार्थ हो और यदि हम ऐसा करना चाहते हैं तो फिर हमें अर्थव्यवस्था के ढांचे में विभिन्न प्रकार के परिवर्तन करने होंगे क्योंकि मैं यह महसूस करता हूं कि किसी व्यक्ति को दंड देने मात्र से प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा । क्या यह बजट उसी प्रतिक्रिया का परिणाम है जिसमें एक व्यावहारिक और वास्तविक दृष्टिकोण अपनाया गया है ? योजना परिव्यय में जो वृद्धि की गई है उसका मैं स्वागत करता हूं ।

मैं जानना चाहता हुं कि यह 31 प्रतिशत की वृद्धि 1966-67 के आंकड़ों के आधार पर है अथवा वर्ष 1965-66 के बजट अनुमानों के आधार पर ?

भाषण से पता चलता है कि 490 करोड़ रुपये का व्यय किया गया है । जब 31 प्रतिशत वृद्धि की बात की गई है तो शायद इस राशि को भी हिसाब में लगाया गया है । किन्तु गणना से पता लगता है कि वृद्धि दर कम हुई है क्योंकि यह राशि 500 करोड़ रुपये तक है । अतः 500 करोड़ रुपये का अन्तर और आता है । इसलिये वृद्धि की दर 31 प्रतिशत की बजाय 22 या 23 प्रतिशत रही है ।

योजना परिव्यय में सही प्राथमिकताओं के लिये वृद्धि की गई है । मुझे इसमें कोई सन्देह नहीं है इससे अर्थव्यवस्था की प्रगति दर बढ़ाने में सहायता मिलेगी ।

इस नीति की दूसरी विशेषता यह है कि गैर-सरकारी निवेश बढ़ा दिया जाये । हमारे देश में यह सही है कि सरकारी क्षेत्र परिव्यय ही गैर-सरकारी परिव्यय को निर्धारित करता है । इस बारे में कोई विश्लेषण नहीं किया गया है कि हमारे देश में गैर-सरकारी निवेश भी सरकारी निवश के समान

महत्वपूर्ण है। गैर-सरकारी निवेश को कैसे बढ़ाया जाये। हमारी यह नीति रही है कि अतिरिक्त आय उन लोगों के हाथों में दे दी जाये जो उस आय को निवेश बढ़ाने और खपत बढ़ाने के लिये उपयोग में लाये।

मैं इतना कहूंगा कि चालू वर्ष से हम जिन परिस्थितियों में हैं, उनके अन्तर्गत यह बजट अपेक्षित है क्योंकि इसमें आर्थिक प्रगति के लिये सभी प्रकार के अवसर प्रदान किये गये हैं। यदि अब हम इस अवसर का लाभ नहीं उठाते तो फिर यह अवसर हमारे हाथ से निकल जाएगा।

बजट में कुछ रियायतें दी गई हैं। सभी वर्गों के लोगों को रियायत मिली है। अतः इसे "धनी लोगों का बजट" अथवा "निर्धन लोगों का बजट" की संज्ञा नहीं दी जा सकती। इसे सर्वोदय बजट कहा जा सकता है क्योंकि इससे कोई भी वर्ग प्रभावित नहीं हुआ है। सभी लोगों को इससे लाभ पहुंचा है। केवल निर्धन औषधि उपभोक्ताओं पर इसका प्रभाव पड़ा है। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि वह शराब आदि पर भले ही कर लगा दें किन्तु कुछ ब्रांड दवाइयां पर, जो कि मानव जीवन के लिये नितान्त आवश्यक हैं, उत्पादन शुल्क न लगायें। उन्हें इस पर पुनर्विचार करना चाहिये।

मैं यह नहीं कहता कि यह बजट बहुत ही आश्चर्यजनक है और इससे हम आश्चर्यजनक उपलब्धियों की प्राप्ति कर सकते हैं। किन्तु मैं इतना अवश्य कहुंगा कि उन्होंने बजट में सभी वर्गों पर अधिक भार न डालने का पूरा प्रयास किया है। उन्होंने विभिन्न प्रकार के प्रोत्साहन तथा रियायत देकर अर्थव्यवस्था को पुनः गति देने का प्रयास किया है। आशा है इससे निवेश में वृद्धि होगी, प्रगति दर बढ़ेगी और मंदी केगी।

हम वास्तविक रूप से देश में एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। इसके लिए हम ने बजट में नीति निर्धारित की है जिसका अनुसरण करके हम अर्थव्यवस्था की प्रगति कर सकेंगे। हम एक नये समाजवादी समाज की स्थापना करना चाहते हैं। वर्तमान स्थिति से छुटकारा पाने और अर्थव्यवस्था को पुनः सही मार्ग पर चलाने के लिए यह बजट एक हथियार है।

श्री ए० के० गोपालन् (पालघाट) : इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि इस बजट का देश के सभी बड़े बड़े व्यापारियों तथा उद्योग समूहों ने स्वागत किया है। यह बजट उनकी रुचि के अनुसार तैयार किया गया है और उनकी सभी मांगें पूरी की गई हैं। एक साधारण व्यक्ति के हितार्थ इसमें कोई व्यवस्था नहीं की गई है और उनकी स्थिति में सुधार लाने के लिए कुछ भी प्रभावशाली उपाय नहीं किये गये हैं।

"प्रगति के एक दशक" के बारे में समाचार पत्रों में अन्धाधुन्ध प्रचार किया गया है। हम जानना चाहेंगे कि इस दशक की आखिर कौन-कौन सी उपलब्धियां हैं। यह दशक श्रीमती इंदिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व का है। इस के दौरान खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, चीनी और कपड़े की उपलब्धता में काफी कमी हुई है। 1965-66 में प्रति व्यक्ति 15.2 मीटर कपड़ा उपलब्ध था जो कि अब घटकर 12.9 मीटर रह गया है। आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1975-76 में कपड़े के उत्पादन में 10 प्रतिशत गिरावट आई है।

जहां तक बेरोजगारी का सम्बन्ध है, रोजगार कार्यालयों के चालू रजिस्टरों के अनुसार 1965-66 से सभी प्रकार के बेरोजगारों की संख्या 1973 तक बढ़कर 82,17,649 तक पहुंच गई है। 1973 के पश्चात् के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। 1974-75 तक उनकी संख्या बढ़कर कहीं अधिक हो चुकी होगी।

[श्री वसन्त साठे पीठासीन हुए
[SHRI VASANT SATHE *in the Chair*]]

प्रगति के दशक की पहली बात यह है कि स्वतंत्रता के पश्चात् पहली बार रुपये का अवमूल्यन हुआ। क्यों? तत्कालीन वित्त मंत्री श्री सचिन चौधरी ने खुले रूप से स्वीकार किया था कि अमरीका ने धमकी दी है कि यदि रुपये के अवमूल्यन की मांग को स्वीकार न किया गया तो सभी प्रकार की सहायता बन्द कर दी जायेगी।

भारत सरकार के आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार 1965 में प्रति व्यक्ति को 418 ग्राम प्रति दिन अनाज की उपलब्धि थी जो 1975-76 में घटकर केवल 373.6 ग्राम प्रति दिन रह गई। दाल जो कि जनसाधारण के लिए प्रोटीन का एकमात्र साधन है, 1965 में प्रति व्यक्ति 61.2 ग्राम मिलती थी जो अब घटकर 41.7 ग्राम रह गई है। खाद्य तेल की मात्रा 3.6 किलोग्राम से घटकर 3.2 किलोग्राम हो गई है। पता नहीं यह मात्रा सारे वर्ष के लिए है अथवा एक महीने के लिए। इस तरह प्रत्येक खाद्यान्न की प्रति व्यक्ति खपत में कमी आई है।

इसी सर्वेक्षण के अनुसार गैर सरकारी क्षेत्र में 1966 में 68.5 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिला था जो 1975 में घटकर 68 लाख रह गया है। अतः गैर सरकारी क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में कमी आई है। ग्रामीण बेरोजगारी में भी बहुत वृद्धि हुई है किन्तु इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

1965-66 में खाद्यान्नों के थोक मूल्य का वार्षिक औसत सूचकांक 154 था जो कि 1974-75 में बढ़कर 401 हो गया। इसी तरह ईंधन, बिजली आदि का मूल्य सूचकांक भी 131 से बढ़कर 322 हो गया है।

1972-73 की तुलना में केन्द्रीय तथा राज्य कर 1975-76 में 8,064 करोड़ रुपये से बढ़कर 12,776 करोड़ रुपये हो गये। निस्संकोच रूप से कहा जा सकता है कि इस दशक के दौरान जनसाधारण पर करों का ढाई गुना भार पड़ा है।

तो प्रगति के दशक के दौरान जनसाधारण की यह दशा हुई है। दूसरी ओर, बड़े बड़े एकाधिकारियों तथा उद्योगपतियों का किस अनुपात में हित हुआ है? एकाधिकार गृहों की बढ़ी सम्पत्ति के बारे में आंकड़े 'आर्थिक समीक्षा' में नहीं दिये गये हैं। किन्तु यह सर्वविदित है कि इन एकाधिकारी गृहों की खूब बढ़ोतरी हुई है।

सरकारी वित्तीय संस्थाओं द्वारा 1965-66 में कुल 119.8 करोड़ रुपये का ऋण दिया गया जो कि 1975-76 में बढ़कर 414 करोड़ रुपये हो गया। किन्तु इसका बड़ा भारी भाग बड़े-बड़े एकाधिकारियों तथा उद्योगपतियों को ही मिला है।

इस दशक के दौरान हम अधिकाधिक रूप से विदेशी सहायता पर निर्भर रहे हैं। यह सबसे अधिक चिन्ता की बात है।

पंद्रह वर्ष पूर्व हमारी विदेशी सहायता 4,200 करोड़ रुपये थी जो अब बढ़कर 12,166 करोड़ रुपये हो गई है। इस दशक में खाद्यान्नों, खाद्य तेलों, चीनी और कपड़े की उपलब्धता में 15 से 30 प्रतिशत तक कमी हुई है। खाद्यान्नों और ईंधनों के मूल्य में लगभग 250 प्रतिशत वृद्धि हुई है।

सरकार की राजनीति ने देश को बुरे संकट और मन्दी की स्थिति में ला खड़ा किया है। "आर्थिक सर्वेक्षण" में उन्होंने इसे शिथिलता कहा है। वे मन्दी की सीमा को छिपाना चाहते हैं। उन्होंने कहा है यह मन्दी आटोमोबाइल, फ्रीजिरेटर, टेलीविजन और सूती कपड़ा उद्योग के क्षेत्र तक ही सीमित है। लेकिन वास्तविकता यह है कि मन्दी सभी क्षेत्रों में व्याप्त है।

सारे देश में छोटे इंजीनियरी एककों को बन्द कर दिया गया है। माल डिब्बे बनाने वाले कारखाने भी क्रयादेशों के अभाव में बन्द पड़े हुए हैं। अल्युमीनियम का भी स्टाक जमा हो रहा है। खान मंत्री ने भी संसद् में बताया कि 7 लाख टन अधिक कोयला जमा हो गया है।

दिनांक 21 जनवरी के "दि हिन्दू" अखबार में सूत्रों से प्राप्त समाचार के अनुसार केवल दिल्ली में ही छोटे पैमाने के उद्योगों के बन्द हो जाने के कारण 1.25 करोड़ रुपये की पूंजी अवरुद्ध हो गई है। हथकरघा उद्योग की स्थिति भी शोचनीय है। केरल के परम्परागत उद्योगों जैसे नारियल जटा, काजू तथा स्टार्च का भी यही हाल है। उद्योगों के बन्द होने के अतिरिक्त मजदूरों की बड़ी संख्या में छंटनी और जबरी छुट्टी भी की गई है।

1966 अर्थात् प्रगति दशक के प्रथम वर्ष से भारतीय अर्थ व्यवस्था स्थिर है। इसे एक के बाद एक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यदि स्थिति कुछ ठीक होती है तो फिर कोई न कोई संकट पैदा हो जाता है। इसके लिए कई बार योजना अवकाश रखना पड़ा। अन्ततः यह अल्प उपलब्ध क्षमता का उपयोग करने में भी असमर्थ रही। इसका कारण क्षमता की विकास दर तथा स्वदेशी मांग की परिसीमाओं का परस्पर विरोध होना है। मजदूरों, निर्धन किसानों तथा कृषि श्रमिकों की निर्धनता के कारण ऐसा होना अवश्यम्भावी था। ऋण बन्द करने की नीति का बड़े उद्योगों पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा। लेकिन छोटे उद्योग इससे बहुत प्रभावित हुए। फलस्वरूप हजारों कर्मचारी भी प्रभावित हुए बिना न छूट सके।

सरकार ने इस "शिथिलता" को दूर करने तथा विनियोजन को बढ़ाने के लिए क्या उपाय किये हैं। एकाधिकारियों के विरुद्ध बात करने के दिन गये। अब तो सरकार उन्हें विनियोजन के लिए प्रोत्साहन देने के नाम पर नियोक्ताओं को बोनस अधिनियम के अन्तर्गत 250 करोड़ रुपये का उपहार दिया है। उन्हें एक के बाद दूसरी रियायतें प्रदान की जा रही हैं। इन रियायतों से मंदी अभी भी जारी है। खाद्यान्नों के मूल्य में $7\frac{1}{2}$

प्रतिशत कमी से भी कोई लाभ नहीं हुआ। इस अधिनियम से क्रयशक्ति तथा वस्तुओं की स्वदेशी मांग में भी कमी होगी।

वित्त मंत्री देश को इस संकट से कैसे उबारेंगे। उन्होंने बड़े उद्योगपतियों की सभी मांगें स्वीकार की हैं। उन्होंने प्रत्यक्ष करों में इसलिए कमी की है क्योंकि इससे करापवंचन की प्रवृत्ति को रोका जा सकेगा और निर्यात बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।

औद्योगिक पुनरुत्थान का एकमात्र उद्देश्य निर्यात बढ़ाना तथा विदेशी मंडियों के लिए उत्पादन करना है। बजट में प्रस्ताव किया गया है कि कपड़ा मिलें निर्यात हेतु उत्पादन करें। जबकि हमारे देश में कपड़े की खपत प्रति व्यक्ति 11 मीटर प्रति वर्ष है।

औद्योगिक पुनरुत्थान तथा विस्तार के लिए सरकार विदेशी सहायता पर निर्भर है। "आत्म निर्भरता" और "शून्य सहायता" लेने का नारा अब लुप्त हो गया है। विदेशी सहायता पर निर्भरता के कारण स्वाभाविक रूप से और अधिक निर्यात करने की आवश्यकता पड़ेगी। इस देश से निर्यात कम मूल्यों पर और आयात अधिक मूल्यों पर हो रहा है।

विदेशी सहायता पर निर्भरता के अतिरिक्त सरकार विदेशी पूंजी के लिए भी आग्रह कर रही है। बहुराष्ट्रीय निगमों को सस्ता श्रम और अधिक मुनाफा देने की बात कर रही है। हमारी दुर्दशा को जानते हुए भी ये बहुराष्ट्रीय निगम अधिक रियायतों की मांग कर रहे हैं।

निर्यात पर निर्भर रहने की नीति में अन्ततः निष्फल सिद्ध होगी। विश्व में भारी आर्थिक संकट छाया हुआ है और भारतीय आयात की अधिक वृद्धि की संभावना नहीं है। हमारी समस्या केवल मात्र यह है कि बड़े पैमाने पर समाज के कमजोर वर्गों के पक्ष में आय का पुनर्वितरण किया जाये।

वित्त मंत्री ने विद्युत करघा पर उत्पादन शुल्क की दर बढ़ाकर हथकरघा उद्योग को संरक्षण प्रदान किया है। मालिक इन एककों के विभाजन बेनामी नामो में करके इस शुल्क से छुटकारा पा लेंगे। यदि सरकार वास्तव में हथकरघा उद्योग को संरक्षण प्रदान करना चाहती है तो बुनकरो को धागा सस्ती दर पर दिया जाना चाहिए।

दूसरी महत्वपूर्ण बात कृषि मूल्यों में निरन्तर कमी होना है। इससे छोटे तथा मध्यम किसान प्रभावित हुए हैं। कृषि के साधनों के मूल्य बढ़ गए हैं। जहां एक ओर औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाले कृषि पदार्थों के मूल्यां में कमी हुई है वहां दूसरी ओर औद्योगिक वस्तुओं के मूल्यों में जरा भी कमी नहीं हुई है। इससे हमारे छोटे तथा सीमान्त किसानों की स्थिति दयनीय हो जायेगी। हमारे अधिकांश लोगों की क्रयशक्ति भी कम हो जायेगी। ऐसी स्थिति में किस तरह औद्योगिक गतिविधियो को बढ़ाया जाये और अर्थ व्यवस्था को मंदी के दौर से कैसे निकाला जाये?

वित्त मंत्री ने महंगाई भत्ते की बढ़ी हुई आधी राशि तथा मंजूरी में पूरी वृद्धि को अगले साल तक जमा रखने का प्रस्ताव किया है। यह राशि पांच वार्षिक किस्तों में वापस की जायेगी। मूल अधिनियम में यह व्यवस्था थी कि प्रत्येक श्रमिक और कर्मचारी को एक पास बुक दी जायेगी

जिसमें उसके वेतन में से हर माह कटने वाली राशि को उसमें दर्शाया जायेगा । किन्तु ऐसा नहीं किया गया । नियोक्ताओं ने इस तरह की विशाल राशि बैंकों में जमा की है । स्वभावतः बैंक उन्हें वह राशि वापस कर ही देगा । रिकार्ड न होने के कारण नियोक्ताओं द्वारा यह राशि हड़पने की काफी संभावना है । मंत्री महोदय को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि नियोक्ताओं द्वारा 250 करोड़ रुपये की राशि हड़प न कर ली जाये ।

वित्त मंत्री ने "स्ट्रेटेजी फार इन्टेग्रेटिड रूरल डिवेलपमैंट" नामक पुस्तिका में भूमि सुधारों की महत्ता पर बल दिया है । प्रधान मंत्री के नए आर्थिक कार्यक्रम द्वारा कई आशाएं दिखाई गई हैं । इस कार्यक्रम के अन्तर्गत सरकार के इस इरादे की घोषणा की गई है कि भूमि सीमा संबंधी कानूनों और पहले ही अधिनियमित काश्तकारी सम्बन्धी कानूनों को कार्यान्वित किया जाये और न्यूनतम मजूरी निर्धारित करने सम्बन्धी कानूनों को लागू किया जाये । इन कानूनों का उद्देश्य यह नहीं है कि भूस्वामी स्वयं कृषि कार्य करे अपितु यह है कि उनसे समूची भूमि ले ली जाये । लेकिन इन वर्षों में इन कानूनों को लागू नहीं किया गया । योजना आयोग के कार्यदल ने कहा है कि सत्तारुढ़ दल में राजनीतिक भावना के अभाव तथा जमींदारों का अधिकारियों के साथ गठबंधन होने के कारण यह कानून लागू नहीं हो पाये ।

प्रधान मंत्री के नये आर्थिक कार्यक्रम की घोषणा के छः महीने बाद कृषि मंत्रालय की एक समिति ने फिर दोहराया है कि अभी तक लगभग 1/5 भाग भूमि मुजारा पद्धति के अन्तर्गत है और कहीं कहीं तो इस की प्रतिशतता बहुत अधिक अर्थात् 40 प्रतिशत तक है । गत दो दशकों में मुजायरों की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है तथा बटाइदारों की दशा विशेष रूप से शोचनीय है । इसका कारण यह है कि भूमि सुधार कानूनों में अनेक त्रुटियां हैं। मुजायरों की दशा शोचनीय होने के कारण वे जमींदारों की दया पर निर्भर हैं । राजस्व विभाग के छोटे कर्मचारी जमींदारों से मिले हुए हैं तथा बड़े कर्मचारियों पर भी जमींदारों का प्रभाव है । इन सब कारणों से भूमि सुधार केवल कागजो पर ही विद्यमान है और उन को कार्यरूप नहीं दिया जा सका है । प्रधान मंत्री ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि भूमि सुधारों को कारगर रूप से क्रियान्वित नहीं किया गया है । उन्होंने कहा है कि मेरे समक्ष जो मुख्य समस्या पेश की गई है वह यह है कि बड़े किसानों और स्थानीय राजस्व कर्मचारियो के बीच सांठगांठ है । इस संदर्भ में मुख्य मंत्रियों का दो दिवसीय सम्मेलन हुआ था, परन्तु वे भी इस समस्या का कोई सही हल बताने में असमर्थ रहे हैं ।

भूमि सुधारों को लागू करने का एकमात्र तरीका यह है कि उन उपायी से प्रत्यक्षतता लाभान्वित होने वाले किसानों और खेतिहर मजदूरों को संगठित किया जाये ।

उन्हें अपने उचित अधिकारो के प्रति जागरूक कराया जाये । प्रधान मंत्री यह जानते हुए भी कि भूमि सम्बन्धी दस्तावेज सही नहीं हैं, किसानों तथा खेतिहर मजदूरों के संगठनों को कार्य नहीं करने दे रही है । राज्य सरकारें उन लोगों को जो भूमि सुधारो को कार्यरूप देने के लिये संघर्ष कर रहे. हैं गिरफ्तार कर रही हैं । इस तरह से भूमि सुधारों को लागू करना सम्भव नहीं है ।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि चाहे देश में मुद्रास्फीति रही हो या मन्दी, बोझ हमेशा जनसाधारण को ही सहना पड़ता है । इस बजट का प्रभाव भी इस नियम का अपवाद नहीं होगा ।

जनसाधारण को इस से कोई राहत नहीं मिली है और उन पर भार बढ़ेगा परन्तु जनसाधारण को यह देखना है कि वे अपने संगठन और संघर्ष द्वारा इसे न बढ़ने दें।

श्री नरेन्द्र कुमार साल्वे (बेतूल) : माननीय सदस्य श्री ए० के० गोपालन तथा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बजट की आलोचना की है परन्तु उन्होंने अपने कथन के समर्थन में जो तर्क पेश किये हैं, उन में सार नहीं है । वस्तुतः यह बजट कल्पनाशील है और हमारे देश की अर्थ व्यवस्था के संदर्भ में इस से अच्छा कोई अन्य बजट हो ही नहीं सकता । इस बजट का देश के हर भाग में समाज के हर वर्ग द्वारा स्वागत किया गया है । वस्तुतः यह बजट आपातस्थिति की उद्घोषणा के बाद देश में आये अनुशासन, और देशवासियों द्वारा किये गये कड़े परिश्रम का फल है।

आज देश का समूचा वातावरण आशावाद से भरपूर है और कोई भी वित्त मंत्री इस सुअवसर को हाथों से नहीं जाने देगा । अब समय आ गया है कि भारी राशि निवेश के लिये अत्यधिक प्रोत्साहन देने की जरूरत है, ताकि हर कोई अपनी अपनी शक्ति और विश्वास के साथ सा 'क प्रगति कर सके । समूचे राष्ट्र का प्रधान मंत्री के कुशल नेतृत्व में पूर्ण विश्वास है ।

देश की अर्थ व्यवस्था पिछले वर्षों में काफी शोचनीय थी । मुद्रास्फीति के कारण चारों ओर निराश का वातावरण था । हमें आर्थिक क्षेत्र में काफी संघर्ष करना पड़ा है । हमें इस के लिये उन राजनीतिक तत्वों से भी लड़ना पड़ा जो देश में अनुशासनहीनता फैला रहे थे और देश में अशांति पैदा करने का प्रयास कर रहे थे । यह बहुत प्रशंसा की बात है कि अब अति निराशाजनक स्थिति से निकल कर वर्तमान आशाजनक स्थिति में पहुंच गये हैं । वह मूल तत्व, जिस के फलस्वरूप हम ने मुद्रास्फीति पर विजय पायी है हमारी मिश्रित अर्थ व्यवस्था है । हमारा विश्वास है कि हमें उत्तरदायी गैर-सरकारी क्षेत्र द्वारा पुष्ट अत्यन्त शक्तिशाली सरकारी क्षेत्र बनाना चाहिये । जब तक हम इस विचारधारा के अनुसार कार्य नहीं करेंगे हम अपने देश और अपनी जनता की समस्या को हल करने के लिये सही उपाय नहीं ढूंढ़ सकेंगे ।

31 मार्च, 1976 को समाप्त हुए वर्ष में 490 करोड़ रुपये का घाटा हुआ है, जब 247 करोड़ रुपये का घाटा होने का अनुमान था । लेकिन अनुमान से अधिक घाटे के बावजूद मूल्य स्थिरता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है । इस का कारण यह है कि चालू वर्ष में हमारे अर्थ व्यवस्था बहुत संतोषजनक रही है । वर्ष 1975-76 में अर्थ व्यवस्था में 5.5 प्रतिशत वृद्धि हुई है, जब कि चौथी योजना की अवधि में वृद्धि की दर केवल 3.3 प्रतिशत थी ।

इस स्थिति में, अगामी दो या तीन वर्षों में हमारे लिये भारी राशि निवेश करना अत्यधिक आवश्यक है । अतः वित्त मंत्री ने बड़े कल्पनात्मक ढंग से योजना के लिये निवेश हेतु 7,852 करोड़ रुपये की कुल राशि नियत की है । यह वर्ष 1975-76 के योजना परिव्यय का 31.06 प्रतिशत है । इस का उद्देश्य परियोजनाओं को तीव्र गति से पूरा करना है तथा इस बात में कोई सन्देह नहीं है कि कृषि तथा उद्योग, कठोर आर्थिक अनुशासन, आर्थिक आपराधियों के विरुद्ध कानून को कठोरता से लागू करने में भारी विवेकपूर्ण राशि निवेश से मूल्य स्थिरता आयेगी, प्रगति दर बड़ेगी और फलतः लोगो की दशा में सुधार होगा ।

गैर-निगमित क्षेत्र की आय पर कराधान के मामले में वित्त मंत्री ने कहीं अधिक साहसी, गतिशील और व्यवहारिक रवैया दिखाया है । गत दो दशकों में गैर-निगमित क्षेत्र पर आयकर 97.75 प्रतिशत तक बढ़ गया है । निगमित क्षेत्र में कर की दरें बहुत कम और युक्तिसंगत है । यह समझ में नहीं आता कि निगमित क्षेत्र के प्रति इतनी सहानुभूति क्यों दिखाई गई है । हमें इस बात को स्वीकार करना होगा कि धनी और निर्धन के बीच असमानता की खाई को दूर करने के लिये अधिक दरो पर कर लगाने का सिद्धान्त सही नहीं है । इस सम्बन्ध में बहुत से देशों के उदाहरण मौजूद हैं, जिन में सब से अधिक ज्वलन्त उदाहरण समाजवादी देशों का है कि अधिक ऊंची दरों पर कराधान करने से असमानताओं का उन्मूलन नहीं होता । इस से लोग अधिक बेइमान हो जाते हैं और वे अधिकाधिक अमीर बन जाते हैं ।

आयकर की दरों को युक्तिसंगत बनाने की बहुत आवश्यकता है । राजस्व जुटाने या राजस्व में वृद्धि करने के लिये कराधान को ऊंची दरें बनाने का सिद्धान्त बिल्कुल अव्यवहारिक है । इस समय प्रचलित वास्तविक सिद्धान्त यह है कि सभी प्रकार से आय बढ़ाकर ही हम राजस्व में वृद्धि कर सकते हैं । यह कार्य वित्त मंत्री करना चाहते हैं । हमारे देश में यह बात सही सिद्ध हुई है कि कराधान की असंगत दरें कर-अपवंचन की समस्या का समाधान नहीं है । अतः हमें कराधान की युक्तिसंगत दर बनानी चाहिये और इससे ही कर-अपवंचन को रोकने में सहायता मिल सकती है ।

जहां तक धन कर घटाने का सम्बन्ध है, नगरीय भूमि और मकानों पर धन कर की दर 15 प्रतिशत से घटा कर $2\frac{1}{2}$ प्रतिशत कर दी गई है । इस सम्बन्ध में वित्त मंत्री ने कहा है कि नगरीय रिक्त भूमि को अधिकतम सीमा निर्धारित करने से नगरीय भूमि और मकानों पर अब लगाये जाने वाले अतिरिक्त धन कर का कोई औचित्य नहीं है और इसे समाप्त करने का प्रस्ताव है। नगरीय भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित करना और नगरीय सम्पत्ति पर धन कर लगाना ये दोनों भिन्न बातें हैं। इससे करोड़ों रुपये के मूल्य के मकानों के मालिकों को दोहरा लाभ होगा क्योंकि सरकार उनके मकानों को अपने अधिकार में नहीं ले रही है और उन्हें कर से छूट मिल रही है । मैं आशा करता हूं कि वित्त मंत्री इस मामले पर पुनर्विचार करेंगे अथवा कम से कम उन्होंने जो कहा है उसका स्पष्टीकरण करेंगे ।

स्वयं हस्तगत सम्पत्ति का मूल्य 1971-72 के मूल्य या अर्जन मूल्य पर स्थिर करने सम्बन्धी उपबन्ध का स्वागत है । एक अप्रत्याशित कठिनाई आने की सम्भावना है । 1971–72 के बाद सम्पत्ति का मूल्य गिरा है । अतः यह स्थिरीकरण बाजार मूल्य अथवा 1971–72 का मूल्य अथवा अर्जन मूल्य जो भी कम हो, किया जाये ।

समाज के कमजोर वर्गों के लिये बहुत ही स्वागत योग्य उपबन्ध है । बिना किसी भुगतान के कर्मचारी बीमा योजना के अन्तर्गत आ जाते हैं और मृत्यु पर उन्हें कुछ भुगतान मिलेगा, जो गत तीन वर्षों की भविष्य-निधि में जमा राशि की औसत के बराबर होगा । पेंशन भोगियों को दी जाने वाली राहत का स्वागत है । निम्न वेतन वाले कर्मचारियों के लिये बनाए गये मकानों को सम्पत्ति कर से छूट दिये जाने का स्वागत है । जहां तक दवाइयों का सम्बन्ध है, मैं मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि दवाइयों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये । टोनिक और अलकोहल पर और कर लगाया जा सकता है, परन्तु जीवन बचाने वाली औषधियों पर कर नहीं लगाया जाना चाहिये ।

सिद्धान्तः यह स्वीकार किया गया है कि व्यापारियों को मनोरंजन व्यय की अनुमति दी जाये। यह बड़ी प्रसन्नता की बात है और इस सम्बन्ध में तथ्य परक दृष्टिकोण अपनाया गया है । परन्तु यह लाभ छोटे व्यापरियों को नहीं दिया गया है । यह एक विचित्र बात है । इसे युक्तिसंगत नहीं कहा जा सकता ।

मंत्री महोदय ने ऊंची बैंक दर के लिये अनेकों कारण बताये हैं। यदि वे इस बात को नहीं मानते कि ये दरें न्यायोचित नहीं हैं तो फिर जमाकर्ताओं को अधिक ब्याज क्यों नहीं दिया जाता ? जमाकर्ताओं को दिये जाने वाले ब्याज और बैंक द्वारा लिये जाने वाले ब्याज की दर में 2–3 प्रतिशत से अधिक अन्तर नहीं होना चाहिये । परन्तु यह अन्तर इस समय बहुत अधिक है । यह अन्तर बैंकों के अकुशल कार्य का द्योतक है। मंत्री महोदय को इस सम्बन्ध में एक जांच करानी चाहिये।

राष्ट्र एक चौराहे पर खड़ा है। नेताओं ने आशा और अवसर का वातावरण बना दिया है। वित्त मंत्री ने राष्ट्र को आगे बढाने का आवश्यक मार्ग दिखाया है और अब यह राष्ट्र का काम है कि वह अपने लक्ष्य को किस प्रकार प्राप्त करें और समाजवादी समाज की स्थापना करे ।

श्री इराज्मु-द-सेक्वैरा (मारमागोआ) : बजट से यह स्पष्ट होता है कि सरकार कहती एक बात है और करती एक दम दूसरी हैं ।

सरकार कहती है कि कृषि उत्पादन बढाना होगा, सिचाई की सुविधाओं को बढाना है परन्तु हम देखते हैं कि सिंचाई और बाढ नियंत्रण के लिये रखे गये 17.06 करोड़ रुपये में से केवल 16.5 करोड़ रुपये खर्च किये कये हैं। यही बात भूमिगत पानी के संसाधनो का विकास करने और छोटे किसानों और कृषि श्रमिकों सम्बन्धी योजनाओं के सम्बन्ध में सही है।

सरकार का समाज के विभन्न अंगो के प्रति क्या रुख रहा है ? उसने 75,000 रुपये से अधिक आय वाले लोगों को रियायत देने में तनिक हिचकिचाहट नहीं की। परन्तु दूसरी ओर देश के लाखों कर्मचारियों को महंगाई भत्ता अभी नहीं दिया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह निर्णय मुद्रास्फ़ीति को रोकेगा। यह बात तब समझ में आती है जब कि इस धन को उपयोग में नहीं लाया जाये। परन्तु अब सरकार ने इसका उपयोग करने का फ़ैसला किया है। क्या सरकार द्वारा इसे खर्च करने से मुद्रास्फ़ीति नहीं बढती ?

सरकार निगमित क्षेत्रों को अनेकों रियायतें दे रही है। कम्पनियो के पूंजीगत लाभ को कम किया जा रहा है परन्तु अन्तर-निगमित लाभांश के व्यय को अछूता छोड़ दिया गया है। अर्थ-व्यवस्था में हो रहे सुधार को देखते हुये सरकार को उन उद्योगों को प्रोत्साहन देना चाहिये जिन्हें अतिरिक्त पूंजी की आवश्यकता है और वह पूंजी बाजार से प्राप्त कर इक्वीटी आधार को विस्तृत करे। परन्तु ऐसा न करके सरकार ने मुद्रास्फ़ीति की मात्रा को बढाया है।

वित्त मंत्री ने कहा है कि यह बजट प्रगति की गति बढाने वाला है। परन्तु सचाई यह है कि इससे केवल सम्पन्न वर्ग की ही प्रगति होगी और हमारे करोड़ों देशवासियों की निर्धनता पूर्ववत बनी रहेगी। सम्पत्ति पर राहत का यही अर्थ निकलता है। सम्पत्ति कर में यह कटौती सर्वथा अनुचित है।

जहां तक उद्योग का सम्बन्ध है, इस वर्ष संशोधित अनुमान, 401 करोड़ रुपये की तुलना में अगले वर्ष के लिये 3.25 करोड़ रुपये का प्रावधान है। कुटीर उद्योग के लिये 21.85 करोड़ रुपये से घटाकर 20 करोड़ रुपये और खादी और ग्रामोद्योग के लिये 5.50 करोड़ रुपये से घटाकर 5 करोड़ रुपये किये गये हैं। हम किस तरह के देश का निर्माण कर रहे हैं ?

इस वर्ष अच्छी वर्षा हुई है। और अनुमान लगाया गया है कि मार्च या अप्रैल तक हमारे पास स्टाक में 1 करोड़ टन खाद्यान्न हो जायेगा। रबी की फ़सल से 44 करोड़ टन खाद्यान्न आ जाएगा। फ़िर भी खाद्य भंडारण के विस्तार के लिये जो व्यवस्था की गई है वह केवल साढे चार लाख टन है। यह बहुत कम है। कीमतें गिर रही हैं। अतः वित्त मंत्री को भंडारण की अधिक व्यवस्था करनी चाहिये। उन्हें इस ओर ध्यान देना चाहिये। यह इस देश और यहां के लोगों के हितों के विरुद्ध है।

हमारे लिये यह कोई नई बात नहीं है कि देश में चुनाव नहीं कराये जा रहे हैं क्योंकि सरकार को पता है कि वे सत्ता में नहीं रहेंगे। आज इस निर्वाचित सदन के कार्यकाल का अन्तिम दिन है और कल से हम अवैध सदस्य के रूप में बैठेंगे। चाहे इसका कार्यकाल संविधान के किसी भी अनुच्छेद के अन्तर्गत बढाया गया हो। अतः यदि सरकार ने देश का हित करना है तो उसे यथा-सम्भव शीघ्र चुनाव कराने चाहियें ताकि वे इस देश का शासन चलाने के लिये लोकप्रिय सरकार बना सकें। मंत्री जी को गैर-सरकारी लाइसेंस प्राप्त गोदामों को प्रोत्साहन देना चाहिये और यह सुनिश्चित करना चाहिये कि रबी की फ़सल मंडी में आये तो कीमतें वसूली मूल्य से नीचे नहीं गिरें।

इस वर्ष के बजट की एक और मुख्य बात यह है कि कृषि का योजना परिव्यय 323 करोड़ रुपये से घटाकर 11.80 करोड़ रुपये कर दिया गया है और उद्योगों के लिये योजना परिव्यय बढ़ा दिया गया है। यह देश और देशवासियों के हितों के विरुद्ध है।

श्री चिन्तामणि पाणिग्रही (भुवनेश्वर) : यह बजट हमारे देशवासियों के अथक प्रयास और हमारे गतिशील नेतृत्व की दृढ राजनीतिक आकांक्षा को, जो कि देश को आत्म-निर्भरता की दिशा की ओर अग्रसर कर रहा है सही मायनों में प्रतिबिम्बित करता है। इस बजट में हमारे देशवासियों की महान सफ़लता और ऐतिहासिक संघर्ष की झलक दृष्टिगत होती है। हमें आने वाले पांच-दस वर्षों में समाज वादी लोकतांत्रिक समाज की स्थापना के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए इसी तरह का संघर्ष करना है।

यह बजट विकास और निवेश प्रधान है। कृषि, सिंचाई तथा बिजली पैदा करने वाली जैसी मुख्य बातों को इसमें प्राथमिकता दी गई है। इससे अर्थव्यवस्था को अधिक गतिशील बनाने में सहायता मिलेगी। अतः यह आशा और विश्वास का बजट है। आज देश में आशा और विश्वास का वातावरण है।

बजट में योजना परिव्यय 7852 करोड़ रुपये कर दिया गया है। योजना परिव्यय में 31.6 प्रतिशत की वृद्धि की गई हैं जब कि करों में अधिकतम कमी की गई है, क्योंकि इस स्थिति में अधिक कर लगाने से लाभ नहीं होगा। इसमें कुछ छूट दी गई है ताकि यह देखा जा सके कि

कराधान के अतिरिक्त अन्य स्रोतों से संसाधन कैसे जुटाये जा सकते हैं। देश के कर्मचारी वर्ग को बधाई है कि इस वर्ष के बजट में उन्होंने जमा महंगाई भत्ते के रूप में संसाधन जुटाने के कार्य में सर्वाधिक योगदान दिया है।

यदि अर्थ व्यवस्था को प्रगति के पथ पर अग्रसर करना है तो यह आवश्यक है कि घरेलू बचतों द्वारा पूंजी निर्माण की अधिकतम दर प्राप्त की जाये। घरेलू पूंजी निर्माण 1972-73 में राष्ट्रीय आय 13.8 प्रतिशत से घटकर 1973-74 में 13 प्रतिशत हो गई और 1974-75 में यह और घटकर 12.8 प्रतिशत हो गई। अतः यह एक बड़ी भारी चुनौती है। हमें अपनी योजनाओं को आगे बढाने के लिए स्वयं सम्पत्ति को बढाना चाहिये। अर्थ व्यवस्था को मजबूत समृद्ध और आत्म-निर्भर बनाने के लिये हमारी वार्षिक घरेलू बचत कम से कम 7000 करोड़ होनी चाहिये जो हमारी राष्ट्रीय आय का केवल 14 प्रतिशत है।

वित्त मंत्री ने 328 करोड़ रुपये का घाटा दिखाया है। मेरे विचार में भारत जैसे विशाल देश के लिये यह घाटा, जहां खाद्यान्नों का उत्पादन 1140 लाख टन हो गया है और राष्ट्रीय विकास दर 5 प्रतिशत है मुद्रास्फ़ीति को नहीं बढायेगा, क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि मुद्रा-स्फ़ीति को रोकने के लिये कड़े उपाय किये गये हैं और भविष्य में यह उपाय और भी सख्ती से लागू किये जायेंगे।

यह प्रसन्नता की बात है कि वर्ष 1976-77 के बजट में वित्त के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में बजट से पड़ने वाला भार बैंककारी प्रणाली पर डाल दिया जायेगा। वित्त मंत्री को इसे जारी वित्त संस्थानों पर नियंत्रण पाने के लिये यह आवश्यक है कि सभी बैंककारी संस्थाओं को गैर सरकारी लोगों के हाथ से ले लिया जाए। मैं बजट का समर्थन करता हूं और आशा करता हूं कि यह बजट नये आर्थिक कार्यक्रम की क्रियान्विति में सहायक होगा।

श्री प्रिय रंजन दास मुंशी (कलकत्ता दक्षिण) : देश की वर्तमान परिस्थितियों के परिपेक्ष्य में वित्त मंत्री ने एक बहुत ही यथार्थवादी बजट पेश किया है और इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। उपलब्ध संसाधनों की परिधि में यह बजट जन आकांक्षाओं का प्रतीक है तथा इसमें राजनीतिक ताकतों से सम्भावित खतरों तथा धमकियों को ध्यान में रखा गया है। यह कहना बिल्कुल गलत है कि मंत्री महोदय तथा सरकार कृषि उत्पादन को हानि पहुंचा कर इस्पात उत्पादन तथा औद्योगिक क्षेत्र के विकास के लिये संसाधन जुटा रहे हैं। कृषि उत्पादन की उपेक्षा नहीं की जा रही है।

सामान्यतः बजट के बारे में अधिक तर्क नहीं दिये जाने चाहियें और विशेषकर वर्तमान परिस्थिति को ध्यान में रखते हुये। कहा गया है कि आर्थिक विकास के लिये राजनीतिक उद्देश्य की आवश्यकता नहीं परन्तु मेरा कहना है कि बजट की आर्थिक रूपरेखा से राजनीतिक उद्देश्य अवश्य परिलक्षित होना चाहिये।

यह बजट निर्धनो के लिये है। इस बजट में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों, ग्राम क्षेत्र विकास योजनायें, सिंचाई तथा 20-सूत्री कार्यक्रम के लिये काफ़ी धनराशि रखी गई है। अगले वर्ष ग्रामीण रोजगार की काफ़ी गुंजाइश और अवसर होंगे जिससे गत वर्ष की अपेक्षा अधिक रोजगार के अवसर मिलेंगे। वित्त मंत्री यह सुनिश्चित करें कि गैर-सरकारी क्षेत्र के बड़े औद्योगिक गृह अधिक

रोजगार के अवसर पैदा करें, उनकी लाभ कमाने की प्रवृत्ति रोकें तथा उनकी स्थापना व्यय को कम करें।

बहुराष्ट्रीय निगम अब सीमान्तक आय वर्ग के कर्मचारियों को नौकरी से निकाल रहे हैं और उच्च वेतन पाने वाले अधिकारियों का बोल बाला होने के कारण उन्हें नौकरी में बनाया रखा जा रहा है। वित्त मंत्री इस ओर ध्यान दें।

स्वेच्छया प्रकटन योजना के माध्यम से काले धन का पता लगाने के लिये सरकार ने जो प्रयास किया है वह निश्चय ही सराहनीय है। हमें आय-कर, उत्पात-शुल्क और सीमा-शुल्क विभागों के कर्मचारियों को इस कार्य के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये।

उद्योगों के आधुनिकीकरण के सम्बध में विशेषकर चाय बगानों के सम्बन्ध में पर्याप्त पूंजी निवेश नहीं किया गया है। यदि चाय उद्योग का आधुनिकीकरण कर दिया जाता है तो इससे न केवल अधिक विदशी मुद्रा की आय होगी अपितु हम देश में ही अतिरिक्त वित्तीय संसाधन जुटाने में भी समर्थ होंगे।

हमने सार्वजनिक वितरण की प्रणालो लागू की है और कृषि उत्पादन भी अच्छा होने की आशा है परन्तु शायद केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को इस मामले में सहयोग नहीं दे रही है जिसके फ़लस्वरूप लोगों को अपनी आवश्यकताओं के अनुसार स्टैण्डर्ड कपड़ा नहीं मिल रहा है हालांकि गोदामों में ढ़ेर कपड़ा पड़ा हुआ है। वित्त मंत्री कृपया इसकी जांच करायें।

जहां तक वित्तीय नीतियों का सम्बन्ध है गैर-सरकारी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र में कोई अन्तर नहीं है। सरकारी क्षेत्र के यूनिटों का प्रबन्ध पूर्णतया सरकार के हाथों में होता है जब कि गैर-सरकारी क्षेत्र के यूनिट सरकार पर विशेषकर बैंको, जीवन बीमा निगम और अन्य वित्तीय संस्थानों पर निर्भर होते हैं। यदि सरकार औद्योगिक यूनिटों के विकस के लिये कुशल प्रबन्धकों का एक मजबूत संवर्ग बनाती है तो एकाधिकारियों की धमकी को समाप्त किया जा सकता है बशर्ते कि हम इन यूनिटों को समय पर अपने हाथों में ले लें। यदि आई० आर० सी० आई० की समूची संस्था को न केवल बैंकिंग एजेन्सी के रूप में बल्कि औद्योगिक एककों के लिये प्रबन्धक एजेन्सी के रूप में चलाया जाये तो इससे रुग्ण मिले ठीक समय काम करने लगेंगी।

श्री पी० जी० मावलंकर (अहमदाबाद) : इस वर्ष रेल बजट और सामान्य बजट दोनों ही कुछ विशेषतया लिये हुये हैं। दोनों ही बजटों में कोई ऐसी बात नहीं है जिसका सामान्य जनजीवन पर विशेष प्रभाव पड़ा हो। लोगों के मन में जो डर और सम्भावनायें थीं, वे अछूत ही रह गई। न तो रेल किराये में वृद्धि हुई और न हो आम कर-दाता पर सम्भावित कर का भार पड़ा। इस वर्ष वित्त मंत्री ने यह सब नहीं किया है। इससे सरकार के अनुकूल रुख और अर्थिक स्थिति के सुदृढ होने का पता चलता है। उन्होंने बजट पेश करते समय यह ठीक ही कहा था कि इस बजट में प्रगति को गति प्रदान की गई है।

आशा है वित्त मंत्री की आशायें ठोस आधार पर आधारित हैं। यह भी आशा की जाती है कि उनकी इस आशावादिता को कांग्रेस जनों से भी पूरा सहयोग मिलेगा।

यद्यपि बजट प्रस्तावों से ईमानदार करदाता को प्रोत्साहन मिलता है, पर एक बात और भी है प्रत्यक्ष कर और सम्पत्ति कर को कम किया गया है। क्या यह ईमानदार करदाता और कर

अपवंचकों को, जो गत 5--10 या 15 वर्ष से कर की चोरी कर रहे थे, एक समान स्तर पर रखना नहीं है। फिर स्वेच्छा प्रकटन योजना से भी इन्हीं कर अपवंचकों को लाभ पहुंचा है। ईमानदार कर दाताओं को बजट प्रस्तावों में कोई राहत नहीं दी गई है। वित्त मंत्री और उनके सहयोगी किसी ऐसी पद्धति के अपनाये जाने पर विचार करें जिसमें करदाता को कुछ कठिनाई होते हुये भी यह प्रसन्नता हो कि उससे किसी एक सीमा तक ही कर लिया जाता है तथा वह राष्ट्र हित में उपयोग किया जाता है तथा कर अपवंचकों को सही और समय पर दण्ड दिया जाता है। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो मात्र राहत देने से समस्या हल नहीं होगी।

वित्त मंत्री को विचारधाराओं और रूढियो से स्वयं को बहुत दूर रखना चाहिये तथा उन्हें केवल व्यावहारिक दृष्टिकोण ही अपनाना चाहिये। इसका अर्थ यह कदापि नहीं कि उचित उद्देश्य सामने न रखा जाये। सामाजिक न्याय तथा समाजवादी समाज की स्थापना का उद्देश्य सदैव सामने रखना चाहिये। तथ्य तो यह है कि सम्पूर्ण वित्त नीति और बजट नीति का उद्देश्य समतावादी समाज की ओर झुके सामाजिक न्याय का होना चाहिये। वित्त मंत्री ने इस बार रूढियों और राजनीतिक दृष्टिकोण को कम से कम सामने रख कर और वर्तमान वित्तीय मामलों के लिए आवश्यक व्यावहारिक रुख अपना कर एक अच्छा काम किया है।

वर्ष के वर्ष गुजरते जा रहे हैं पर किसी भी वित्त मंत्री ने कृषि सम्पत्ति और आय पर कर नहीं लगाया है। कृषि सम्पत्ति और आय कराधान समिति ने 1972 में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। अनेकों अन्य अच्छे और महत्वपूर्ण प्रतिवेदनों के समान इसे सरकार के अभिलेखागार में सुरक्षित रख दिया गया है। सरकार कृषि कराधान के क्षेत्र की ओर क्यो बढ़ती ?

एक आम धारणा पैदा हो गई है कि वित्त मंत्री ने अधिक धनी, धनी और उच्च मध्यम वर्ग के लोगों को राहत पहुचाई है और गरीब तथा निम्न मध्य वर्ग के लोगो को कोई राहत नहीं दी है। जब तक हम कुछ महीने प्रतीक्षा करके यह न देख लें कि क्या होता है तब तक यह आलोचना वैध नहीं होगी। किन्तु उनके प्रस्तावों के कुछ पहलुओं से यह धारणा पैदा होती है कि उन्होंने जन साधारण के बजाय समाज के धनी वर्ग का अधिक ध्यान रखा है। समझ में नहीं आता कि टेलीविजन तथा रेफ्रिजिरेटरो पर उत्पाद शुल्क में कमी क्यों की गई है। शहरी क्षेत्रो में ये चीजें उच्च मध्यम वर्ग के लोगों की आवश्यकता की चीजें बन गई हैं।

देश के अन्य भागों की तरह गुजरात के लोग भी वहां एक चिरस्थायी सरकार चाहते हैं चाहे वह सरकार किसी भी दल की हो। वे दल-बदल की बीमारी को समाप्त करना चाहते हैं। किसी न किसी तरह दल-बदल को प्रोत्साहन देकर किसी सरकार को गिराना उचित नहीं है। यह काम उन लोगों का है जिन्हें कांग्रेस ने अपने दल से निकाल दिया था।

अब गुजरात का बजट ससद् में पास किया जायेगा। वित्त मंत्री को इस बात पर विचार करना चाहिए कि तेल पर रायल्टी के रूप में गुजरात को जो धनराशि मिलती है वह बहुत ही कम है किन्तु केन्द्रीय सरकार को जो इससे आय होती हैं वह बहुत ज्यादा है। मंत्री जी को सौराष्ट्र में परमाणु विद्युत् केन्द्र और सूरत के नजदीक हाजिरा शिपयार्ड स्थापित करने के प्रश्न पर विचार करना चाहिए।

श्री के० सूर्यनारायण (एलूरु) : जब तक हमारी ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था को मजबूत नहीं बनाया जाता और जब तक ग्रामों के लाखों स्वस्थ व्यक्तियों को रोजगार प्रदान नहीं किया जाता तब तक वे देश के अर्थ-व्यवस्था पर भार के समान हैं। अतः ग्रामीण विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए। हम बैंक सुविधाओं, उर्वरकों के उचित वितरण जैसी उनकी आवश्यकताओं पर विचार किये बिना भूमि सुधार की योजना बना रहे हैं। श्री गोपालन ने कहा है कि सरकार भूमि-सुधारों के लिए कोई कारगर कार्यवाही नहीं कर रही है। मैंने सलाहकार समिति में कृषि उत्पादों के मूल्यों में असाधारण गिरावट का प्रश्न उठाया है। सरकार ने उत्पादकों के हित में मूल्यों को स्थिर बनाने के लिये क्या कार्यवाही की है। सरकार ने मूल्यों में असाधारण गिरावट को, विशेषकर चावल-उत्पादन क्षेत्रों में, रोकने के लिए कोई योजना विशेष योजना नहीं बनाई है। यही हालत उत्तर प्रदेश में आलुओं, हरियाणा, पंजाब तथा बिहार में गेहूं के मूल्यों के बारे में है। यद्यपि आन्ध्र प्रदेश सरकार ने धान के लिए किसानों को वसूली मूल्य 72 रुपये प्रति क्विटल दिया है, तथापि उनसे कोई भी धान नहीं खरीद रहा है। यहां तक कि भारतीय खाद्य निगम भी सीधे मिलों से खरीद कर रहा है किन्तु वे मिलों को उसका मूल्य नहीं चुका पा रहे हैं और अनाज गोदामों में रखा हुआ है। हमारे 20 प्रतिशत गोदाम सही स्थिति में नहीं हैं। यदि अनाज को क्षति-ग्रस्त होने से बचाया जा सके और गोदामों की पूरी क्षमता का उपयोग किया जा सके तो फिर खाद्यान्नों के आयात की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी।

खेत की तैयारी पर 150 रुपये, बीजों पर 50, उर्वरकों पर 250, पानी पर 50 सफाई पर 50 रुपये, कटाई आदि पर 100 रुपये तथा परिवहन पर 50 रुपये और भूमि कर पर 50 रुपये खर्च होता है। इस प्रकार कुल मिलाकर प्रति एकड़ 750 रुपये व्यय होता है। प्रति एकड़ धान का उत्पादन 12 क्विटल होता है जिसका वसूली मूल्य 74 की दर से 928 रुपये बैठता है। प्रति एकड़ शुद्ध लाभ 178 रुपये बैठता है।

भूमि का मूल्य 3000–4000 से 25000–30000 प्रति एकड़ है। उद्योगों में लगी पूंजी पर 12 प्रतिशत लाभ की व्यवस्था रहती है जबकि कृषि में कुछ भी नहीं है। यदि कृषि के मूल्य ठीक तरह से निर्धारित किये जायें तो हम अनाज की कमी न रहने देंगे। देश की समस्या अनाज की है कारों, फ्रिजों की नहीं है। भुवनेश्वर कांग्रेस में चावल मिलों का राष्ट्रीयकरण का प्रस्ताव पारित किया गया था। उसे अभी तक क्रियान्वित नहीं किया गया। हमारी पार्टी चीनी मिलों के राष्ट्रीयकरण के लिए भी वचनबद्ध है। चीनी मिलें सरकार को धोखा देती रही हैं।

पटसन उद्योग को भी राष्ट्रीयकरण के लिए, ग्रामीण क्षेत्र को सौंप दिया जाये। आप ने हाथ करघा उद्योग के लिए 20 करोड़ रुपये के अनुदान की व्यवस्था की है। इसी प्रकार आपको धान तथा गन्ना उत्पादकों को भी सहायता देनी चाहिए। आप चीनी के करोड़ों रुपये की विदेशी पूंजी अर्जित करते हैं। उत्तर प्रदेश और बिहार में मिलें लैवी मूल्य भी नहीं देतीं। राज्य सरकार ने गन्ना उत्पादकों को न्यायालय का रास्ता दिखाया है। परन्तु यह गरीब लोग ऐसा नहीं कर पाते। मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था के हित में समुचित कार्यवाही करे।

मेरे जिले में राज्य सरकार ने 70 लाख रुपये व्यय करके 1000 एकड़ जमीन खरीदी है। पिछले 20 वर्ष से वहां पर 600 व्यक्ति रहते रहे हैं। पुलिस और सेना की मदद से 600 परिवारों

के आवासों को गिरा दिया गया। एक ओर तो हम जमीन खरीद कर गृह निर्माण के लिए देते हैं। दूसरी ओर सरकारी जमीन में बसे हुए लोगो को उजाड़ रहे हैं।

इस प्रकार की कार्यवाहियां बन्द की जानी चाहिए।

श्री के० लकप्पा (तुमकुर) : प्रधान मंत्री श्रीमती इन्दिरा गांधी के कुशल नेतृत्व के कारण देश ने अभी अभी मुद्रा स्फीति, अनुशासनहीनता, तथा बढ़ते हुए मूल्यों से छुटकारा पाया है।

मैं वित्त मंत्री महोदय को 20 सूत्री आर्थिक कार्यक्रम लागू करने की दिशा में सफल प्रयत्न करने के लिए बधाई देता हूं। उन्होंने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नयी दिशा देने की कार्यवाही भी की है। यह सचाई है कि इस देश की अर्थव्यवस्था प्रधान मंत्री के राजनीतिक दर्शन के आधार पर निर्मित हुई है। यह लक्ष्य बजट में स्पष्ट हो जाते हैं।

उच्च मध्यम वर्गों के लोगो को कुछ रियायतें दी गई हैं। स्मरण रखना चाहिए कि हमारे देश का सबसे बड़ा धन जनशक्ति है जिसका 80 प्रतिशत गांवों में रहता है। अधिकांश भार वही लोग वहन करते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि इन साधन-विहीन लोगों की मदद करने के लिये क्या प्रयत्न किये जा रहे हैं। किसानो को दिये जाने वाली रियायतें वास्तव में दुःखद हैं। विभिन्न राज्यो में गरीब किसानों पर भारी कर लगाये गये हैं। यदि किसानों को कोई प्रोत्साहन न दिये गये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था कैसे सुधर सकती है।

20 सूत्री कार्यक्रम शुरू होने पर हम चाहते थे कि बैंकिंग पद्धति में सुधार लाया जाये। हमें देखना चाहिए कि बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद गरीब किसानों को कैसे लाभ पहुंचा है। मैं समझता हूं अभी तक देश के विभिन्न भागो में ग्रामीण बैंक भी नहीं खोले गये।

राष्ट्रीयकृत बैंकों के अधिकारी भी किसानों की मदद नहीं करते। उनके ऋण स्वीकृत नहीं किये जाते। वास्तव में किसानों को सब प्रकार की कठिनाइयां सहन करनी पड़ रही हैं। उन्हें उपकरणों एवं उर्वरकों की सप्लाई भी नहीं की जाती। उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार लाकर उनकी कठिनाइयां समाप्त की जानी चाहिएं।

इसके पश्चात् लोक सभा शुक्रवार, 19 मार्च, 1976/29 फाल्गुन, 1897 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adiourned till eleven of the clock on Friday, Marh 19, 1976/ Phalguna 29, 1897 (Saka).

म० प्र० भा० स० मु० न० दि०—लो० स० ।।।—

GMGI PND 969 A LS